राजस्थान विधान सभा

१० वीं बैठक, मंगलवार, दिनांक--११ अक्टूबर, सन् १६५५ ई०

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में प्रातः ८-३५ बजे प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तम लाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष—प्रश्न, श्री चांदमल मेहता।

प्रश्न संख्या ३००

चालू वर्ष की पाठ्यपुस्तकों में राष्ट्रीयकरण की पुस्तकें

श्री चांदमल मेहता—क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) चालू वर्ष में पाठ्य पुस्तकों की सूचियां कब २ प्रकाशित की गई ?

(ख) उक्त पुस्तकों में राष्ट्रीयकरण की गई पुस्तकें कौन २ सी हैं ?

(ग) पाठ्य पुस्तकों की सूचियां प्रकाशित करने में विलम्ब होने के क्या २ कारण हैं ?

(घ) ऐसे कौन कौन व्यक्ति या फर्म हैं जिनके खिलाफ गत वर्ष शिकायत होने पर भी इस वर्ष उनकी पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया ?

श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल (उप शिक्षा मंत्राणी)—(क) ता० ११ जून व २ जुलाई, १६५५ को।

(ख) सदस्य महोदय की जानकारी के लिये इस सम्बन्ध की तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ग) कोई विलम्ब नहीं हुआ।

[श्रीमति कमला कुमारी बेनीवाल]

(घ) सदस्य महोदय की जानकारी के लिये इस सम्बन्ध की तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जुलाई में क्लॉसेज़ शुरू हो जाती हैं और २ जुलाई को जो सूची प्रकाशित की गई उससे विलम्ब नहीं माना जायगा ?

श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल—११ जून को भी प्रकाशित कर दी गई थी ?

श्री चांदमल मेहता—मैं यह पूछना चाहता हूँ कि दो जुलाई को सूची प्रकाशित की गई, १ जुलाई को स्कूल्स खुल जाते हैं तो क्या यह जरूरी नहीं है कि स्कूल्स खुलने के पहले सूची प्रकाशित की जाय ?

श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल—मैंने आपको बताया कि ११ जून को प्रकाशित कर दी गई थी और दुबारा २ जुलाई को की गई।

श्री चांदमल मेहता—जो सूची जून में प्रकाशित की गई तो उसी को दुबारा जुलाई में प्रकाशित किया गया या कोई अलग सूची थी ?

श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल—वही सूची है।

श्री चांदमल मेहता—फिर उसी सूची को दुबारा प्रकाशित किये जाने के क्या कारण थे ?

श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल—उससे अधिक प्रचार नहीं हो सका इसलिए दुबारा प्रकाशित कराई गई।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि पुस्तकों की सूची देर से प्रकाशित किये जाने के कारण आम तौर पर बाजार में किताबों का अभाव रहा ?

श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल—ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि पुस्तकों की सूची देर से प्रकाशित होने के कारण जो पुस्तक विक्रेता थे उन्होंने पुस्तकें देरी से मंगवाईं ?

श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल—मेरी जानकारी में तो ऐसी कोई बात नहीं है।

Page No.3

श्री चांदमल मेहता—जिन पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण किया गया वह किस आधार पर किया गया ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—अभी किया ही नहीं गया।

श्री चांदमल मेहता—जो सूची दी गई है, उसमें एक लिस्ट दी गई है कि फलां फलां पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और अभी यह कहा जा रहा है कि नहीं किया गया तो कौनसी बात सही है।

(विराम)

सूची मेरे पास है और इसमें यह सवाल है कि उक्त पुस्तकों में राष्ट्रीयकरण की गई पुस्तकें कौन कौन सी हैं। तो मुझे जो सूची दी गई है और जो तालिका उसमें दी गई है कि फलां फलां पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण किया गया लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया तो कौनसी बात सही है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री)—इस वर्ष कोई राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया।

श्री कंवरलाल जेलिया—इतने कम समय में सूची प्रकाशित होने का क्या कारण है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह समय काफी था, यह आपको बतला दिया गया।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या यह सही है कि सरकार की ओर से इतने कम समय में सूची प्रकाशित करने से विद्यार्थियों की पढ़ाई में नुकसान होता है।

(घंटी)

श्री भैंरूसिंह (१६)—पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित हुई देर से तो सूची जिसको दी गई तो क्या उसने जानबूझ कर देरी की ?

(घंटी)

श्री भैंरूसिंह—पाठ्य पुस्तकों की सूची बनाने का ठेका किस प्रेस को दिया गया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—सूची बनाने का ठेका किसी प्रेस को नहीं दिया गया ?

श्री भैंरूसिंह—तो कहां से बनवायी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—गवर्नमेंट प्रेस से बनवायी।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या राजस्थान सरकार एक महीने की अवधि पर्याप्त समझती है ?

(घंटी)

श्री किशनलाल शाह—पाठ्य पुस्तकों की छपवायी सूची प्रकाशित होने से पहले ही करा ली गई थी क्या ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—पाठ्य पुस्तकों की छपवायी पहले से ही शुरू हो गई थी क्योंकि राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था, इसलिए किताबें छपवानी शुरू हो गईं ।

श्री किशनलाल शाह—सारे डिविज़नों में एक ही तरह की पाठ्य पुस्तकें होनी चाहिए, विभिन्नता क्यों है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—पिछले साल जो लागू था वह इस साल भी नियम लागू रहा । राष्ट्रीयकरण तो किया गया नहीं था ।

श्री किशनलाल शाह—क्या कारण था ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—सौ सवा सौ पुस्तकें हैं, अलग अलग के लिए अलग-अलग कारण बताना मेरे लिये इस समय तो सम्भव नहीं है ।

श्री किशनलाल शाह—एक एक डिविज़न के लिये अलग अलग एक एक किताब रखना क्या उपयुक्त है ?

श्री अध्यक्ष—अलग प्रश्न करिये ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—सन् १९५३ के अन्दर एक कमेटी इसके लिये थी और उसने जो फैसला किया था उसके आधार पर यह लागू है ।

श्री रामदयाल उपाध्याय—बाजार में पुस्तकें उपलब्ध नहीं होने से कितने समय तक के लिये स्कूल्स बन्द रहे ?

श्री अध्यक्ष—Order !

(घंटी)

श्री किशनलाल शाह—जिन पाठ्य पुस्तकों के खिलाफ शिकायतें थीं उन किताबों का राष्ट्रीयकरण न किये जाने का क्या कारण है ?

Page No.5

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—राष्ट्रीयकरण करने में समय पर किताबों का प्रकाशित होना मुश्किल था। इसके अलावा कुछ आधार ऐसे थे जिन पर निश्चित विचार किया जाना आवश्यक था इसलिये गवर्नमेंट ने एक हाई पॉवर नेशनेलाइजेशन बोर्ड कायम किया है, जो इन सारी चीजों के अन्दर जा रहा है; उसके बाद तय किया जायगा।

श्री किशनलाल शाह—जिन जिन पाठ्य पुस्तकों के बारे में शिकायतें थीं उनके लिये कोई एक्शन लिया गया क्या ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—वे अलग अलग शिकायतें अलग अलग प्रकार की थीं, उनकी डिटेल मुझे मालूम नहीं कि कोई कार्यवाही की गई या नहीं। यह मैं नहीं कह सकता।

प्रश्न संख्या ३०१

सन् १९५५ में राजस्थान में खोले जाने वाले राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड

श्री जवानसिंह—क्या योजना एवं विकास मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५५ में राजस्थान में अब कितने और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड खोले जायेंगे ?

(ख) सिरोही जिले में कहां कहां उपरोक्त खंड खोले जाने का निश्चय किया गया है ?

(ग) उपरोक्त खंड विशेष क्षेत्रों में खोलने के आधार क्या क्या हैं ?

श्री सम्पतराम (उप मन्त्री)—(क) सन् १९५५ में राजस्थान में दो अक्टोबर से दस राष्ट्रीय विस्तार सेवा क्षेत्र खोले गये हैं। दो अन्य खण्डों में पूर्व प्रसार कार्य आरम्भ किया गया है।

(ख) कहीं नहीं।

(ग) विस्तार सेवा खण्ड क्षेत्र विशेष में खोले नहीं जाते हैं। उनके खोलने में सामुदायिक योजना प्रशासन की ओर से निर्धारित योग्यताओं का पालन किया जाता है।

श्री किशनलाल शाह—यह केन्द्र खोलने का क्या आधार है ?

श्री सम्पतराम—This is a separate qeustion.

Page No.6

[श्री सम्पतराम]

सिंचाई के साधन, वर्षा का उचित परिमाण, जिससे प्रयत्न किये जाने पर अच्छी फसल हो सके। प्रशासनिक सुविधा और पहले विकास योजना का कार्य चल रहा हो आदि आदि आधार हैं।

श्री किशनलाल शाह—क्या यह सही नहीं है कि एक्सटेन्शन ब्लॉक्स और सोशल वेलफेअर सेन्टर्स एक साथ नहीं चला रखे हैं ?

श्री सम्पतराम—एक्सटेन्शन ब्लॉक्स और सोशियल वेलफेयर सेन्टर्स एक साथ नहीं खोले जा सकते, ऐसा प्लानिंग कमीशन का नियम है।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—मैं स्पष्ट कर दूं, ऐसा कोई नियम नहीं है।

श्री जवानसिंह—प्रश्न में पूछा गया कि कहां कहां खोले गये ?

श्री सम्पतराम— I will read out the names.

झालरापाटन, नोखा, सरदारशहर, बून्दी, नीम का थाना, चिड़ावा, मान्डलगढ़, प्रतापगढ़, कोटडा, जयपुर............लाडनू।

श्री जवानसिंह—क्या ये जो क्षेत्र खोले गये हैं विस्तार सेवा खंड में प्राथमिकता इस प्रकार की रही है कि जिन जिलों में पहले से ये क्षेत्र नहीं है वहां पहले खोले जांय ?

श्री सम्पतराम—जिन जिलों को सी. पी. ओ. द्वारा निश्चित किया गया उनको प्राथमिकता दी गई।

श्री जवानसिंह—क्या प्राथमिकता देने में इस बात का खयाल नहीं रखा गया कि जिन जिलों में विस्तार सेवा क्षेत्र नहीं है वहां पहले खोले जांय ?

श्री अध्यक्ष—"This was one of them", this was the reply.

श्री रामकिशोर व्यास—This was one of them.

यह तो था, जिस जिले में नहीं थे वहां खोले गये।

Page No.7

श्री जवानसींह—क्या यह सही है कि जिन जिलों में ये विस्तार खण्ड खोले गये हैं वहां सिंचाई का पैमाना वर्षा का पैमाना ध्यान में नहीं लिया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास—यह तो लिया ही गया है लेकिन जिस जिले में नहीं थे वहां भी खोले गये हैं ?

श्री जवानसिंह—क्या ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां साधन नहीं होते हैं वहां विस्तार सेवा खण्ड खोल दिये गये हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—बहुत नहीं खुले हैं लेकिन वहां पर भी खुलने चाहिये ।

श्री भैरूसिंह—सरकार ने क्या कोई इस प्रकार की कम्पेरेटिव लिस्ट तैयार की है, जिसमें यह हो कि अब फलां फलां जिले का नंबर आने वाला है ?

श्री रामकिशोर व्यास—ऐसा कोई जिला नहीं जहां राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड न खुला हो ।

श्री भैरूसिंह—क्या आपने इस प्रकार कोई कम्पेरिटिव लिस्ट बनाई है क्या ?

श्री रामकिशोर व्यास—ऐसी कोई जरुरत नहीं क्योंकि हरेक डिस्ट्रिक्ट में एक एक है ।

श्री जसवन्त सिंह – क्या हरेक डिस्ट्रिक्ट में कम्युनिटी प्रोजेक्ट भी खोले जांय, क्या यह सरकार जरुरी नहीं समझती ?

श्री रामकिशोर व्यास—अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता ।

प्रश्न संख्या ३०२

ग्राम जाखेड़ा में मियों का बेरा खोदने की स्वीकृत राशि अन्य स्थान पर लगाना

श्री भोपालसिंह—क्या योजना एवं विकास मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या गांव जाखेड़ा में लमियों का बेरा के खोदने लिये १०००० रू० (दस हजार रुपया) कलेक्टर साहब नागौर ने तथा कमेटी ने मन्जूर किया था ?

(ख) क्या यह रुपये मन्जूर होने पर किसी दूसरी जगह लगवा दिये हैं ? अगर हां, तो क्यों ?

[श्री भोपालसिंह]

(ग) क्या सरकार इस बड़ी रकम का हिसाब लेती रही है ? अगर हां, तो क्या सरकार सदन की मेज पर उस हिसाब की एक प्रति रखने की कृपा करेगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—(क) जाखेडा में पानी पीने के कुए को पूरा करने के लिये स्थानीय विकास कार्य की धनराशि में से कलेक्टर नागौर ने केवल एक हजार रुपया दिया था, दस हजार नहीं।

(ख) नहीं।

(ग) हां। हिसाब की प्रति कलेक्टर नागौर से मंगवाई गई है। आने पर पेश कर दी जावेगी ?

कु० श्री जसवन्तसिंह—क्या प्रश्न में कहीं एक हजार के आगे एक बिन्दी लगने से तो दस हजार नहीं हो गये ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इसका जवाब प्रश्नकर्ता ही दे सकते हैं।

श्री भोपालसिंह—जाखेड़ा के लिये दस हजार रूपये मन्जूर हुए थे उस समय प्रश्नकर्ता उपस्थित थे, क्या वे रुपये दूसरे गांवों में लगा दिये क्या ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं समझता हूँ, मैं जैसा कि पहले उत्तर दे चुका हूँ जिस कार्य के लिये आपने पूछा उस कार्य के लिए एक हजार रुपया खर्च किया गया।

श्री किशनलाल शाह—तो क्या ६ हजार रुपया दूसरी जगह खर्च हुआ ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—एक हजार ही खर्च करने का सवाल था, एक हजार ही खर्च किया गया।

श्री किशनलाल शाह—माननीय मन्त्री यह बतलायेंगे कि रुपया स्वीकृत कितना हुआ था और खर्च कितना हुआ ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं उत्तर दे चुका हूँ, फिर उसको दोहरा दूं ताकि सदस्यों को स्पष्ट हो जायगा कि जाखेडा गांव के पानी पीने के कुए को पूरा करने के लिये स्थानीय विकास कार्य की धन राशि में से केवल एक हजार रुपया दिया था दस हजार नहीं।

श्री सन्तोषसिंह—तो क्या माननीय मन्त्री यह समझते हैं कि जिस कुए को पूरा करने के लिये दस हजार रुपये मांगे गये थे उसके लिये एक हजार रुपये दिये गये, तो क्या उससे काम पूरा हो जायगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—माननीय सदस्य तो ऐसा प्रश्न कर रहे हैं जैसे मैं कुए पर ही काम कर रहा हूँ।

श्री किशनलाल शाह—रकम स्वीकृत कितनी हुई थी और खर्च कितनी हुई, ये दोनों अलग अलग सवाल हैं और अलग अलग सैन्स रखते हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैंने स्पष्ट कर दिया है, स्वीकृति उतनी ही होगी जितनी कि खर्च की गई है।

श्री किशनलाल शाह—रकम स्वीकृत कितनी हुई थी और स्वीकृत रकम में से खर्च कितनी हुई, ये दोनों बातें अलग अलग हैं ?

श्री अध्यक्ष—प्रश्न साफ है, क्या गांव जाखेडा में लामियों का बेरा खोदने के लिये १०००० रु० (दस हजार रुपया) कलेक्टर साहब नागौर ने तथा कमेटी ने मन्जूर किया था।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैंने अपने उत्तर में कहा कि विकास कार्य की धन राशि में से एक हजार रुपया दिया गया, न कि दस हजार।

श्री किशनलाल शाह—प्रश्न तो पूछा जाता है मन्जूरी का और उत्तर दिया जाता है खर्च करने का ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—आप समझ नहीं पाये तो इसका क्या इलाज है।

श्री किशनलाल शाह—जब प्रश्न-कर्ता सदस्य यह पूछ रहे हैं कि मन्जूर ज्यादा हुए और खर्च कम किया गया, आपका उत्तर इस प्रश्न से मिलता नहीं है।

श्री भोपालसिंह—एक हजार रुपया गांव के कुए के लिये मन्जूर हुआ था और लामियों के बेरे के लिये दस हजार रुपये मन्जूर हुए थे जो दूसरी जगह लगा दिये गये, कमेटी के अन्दर मैं भी मौजूद था ?

श्री किशनलाल शाह—माननीय अध्यक्ष, आप ही बताइये कि यह प्रश्न मन्जूरी का है या खर्च करने का।

श्री अध्यक्ष—The reply is there but if the hon'ble member is not satisfied there are other measures open also.

Page No.10

प्रश्न संख्या ३०३

जुडिशियल न्यायालयों के सम्मुख प्रस्तुत मामलों में प्रशासन सम्बन्धी फाइलों के अंश देने की प्रक्रिया

कु० श्री जसवन्तसिंह—Will the law Minister be pleased to state;—

(a) What is the procedure for giving copies of extracts etc. from administrative files to private parties in regard to cases before the Judicial Courts.

(b) Whenever such copies are allowed to be given, whether both parties to the suit are entitled to receive copies ?

(c) Is it true that in file No. 277 of the Revenue Department relating to Deras of Chiefs and Nobles, Bikaner, in connection with a civil suit Lt, Colonel Rajkumar Ranjit Singh and others V/s, Seth Premchand Khajanchi and others; copies were given to one party while it was refused in the case of other party ?

(d) If so, what is the reason for this preferential treatment ?

(e) Whether the Rules are not applicable to all alike ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री)—(ए) नकल देने के नियम जी०ए० डी० के परिपत्र द्वारा १३ मार्च को प्रकाशित किये गये हैं।

(बी) जी हां, सिवाय कुछ विशेष परिस्थितियों के।

(सी) यह सही है क्योंकि जिस पार्टी को नकल दी गई सरकार के साथ मुकदमें में प्रतिवादी थे, दरअसल उनको सरकार की ओर से कोर्ट में पेश करने के लिये दी गई।

(डी) यह नियम समान रूप से लागू है, सिवाय विशेष परिस्थितियों के जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है।

कु० श्री जसवन्तसिंह—ऐसी क्या विशेष परिस्थिति आ गई थी जिसके कारण एक पार्टी को तो नकल दी गई और दूसरी को नहीं दी गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जिस पार्टी को नकल दी गई सरकार की तरफ से उस पार्टी के जरिये अदालत में पेश करवाना था।

Page No.11

कुं० श्री जसवन्त सिंह—क्या उस फाइल की कॉपी अदालत तलब नहीं कर सकती थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास—अदालत ने तलब की फाइल ।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—एक पार्टी को तो नकल दे दी गई और दूसरी पार्टी को नकल न देने का क्या कारण था ?

श्री दामोदरलाल व्यास—सरकार द्वारा फाइल की नकल पेश करवाना आवश्यक था इसलिये दी गई ।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—क्या यह सही है कि लॉ डिपार्टमेंट द्वारा दूसरी पार्टी को भी नकल देने की मन्जूरी दे दी गई थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास—नहीं ।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—क्या यह सही सही है कि इसकी एक्चुअल कॉपी करने को भी टाइपिस्ट को दे दी गई थी और उससे फीस भी भरा ली गई थी और उसको नकल देने का हुक्म भी हो गया था ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जी नहीं ।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—यह तो बिल्कुल गलत है ।

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय अध्यक्ष, मुझे इसमें सख्त ऐतराज है । यह 'गलत' कैसे कह रहे हैं ?

कुं० श्री जसवन्तसिंह—क्या आप यह जांच करने को तैयार हैं कि फीस का रुपया भरा लिया गया था ?

श्री दामोदरलाल व्यास—फीस का लेना दूसरी बात है और लॉ डिपार्टमेंट से राय लेने की बात दूसरी है । मेरे इन्कार करने का मतलब यह था कि कॉपी देने का ऑर्डर नहीं हुआ था ?

कुं० श्री जसवन्त सिंह—क्या यह सही नहीं है कि फीस भरवा ली गई थी और कॉपी देने का हुक्म देकर यह कहा गया था कि टाईपिस्ट के टाइप राइटर पर कॉपी लगी हुई है, दो घंटे में आकर ले जाना; तब तक तैयार हो जावेगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास—ऐसी बात मेरे ध्यान में नहीं आई ।

कुं० श्री जसवन्त सिंह—आपके ध्यान में तो बहुत सी बातें नहीं आती हैं। पर यह आपका काम है कि जब जो बात पूछी जावे तो सभी बातें आप ध्यान में लें। पर आप तो हुई बातों को भी इन्कार कर देते हैं तो इसका तो उपाय ही क्या है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इसमें सख्त ऐतराज है कि माननीय सदस्य ऐसा कहते हैं कि हुई बात को भी इन्कार करता हूँ। जो जवाब मैं दे रहा हूँ वह ठीक दे रहा हूँ। माननीय सदस्य को ही कहीं मुगालता हो गया है।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—मुगालता मुझे नहीं आपको हो गया है। आप चैलेंज एक्सेप्ट करिये और इन्क्वारी करिये तो यह सिद्ध करके बता दिया जावेगा कि आप जो फरमा रहे हैं वह कहां तक ठीक फरमा रहे हैं। क्या जांच करने के लिए कोई कमेटी अपोइन्ट करने को आप तैयार हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—किसके लिए ?

कुं० श्री जसवन्तसिंह—इसके लिए कि उससे फीस भरवा ली गई थी, उसकी नकल लेने की दरख्वास्त लॉ डिपार्टमेंट द्वारा मन्जूर हो गई थी, कॉपी देने के लिए फाइल टाइपिस्ट को दे दी गई थी, टाइपिस्ट कॉपी करने लग गया था और उनको यह कहा गया था, कि कॉपी टाइप राइटर पर हो रही है, काम उस पर चढ़ा हुआ है, दो घंटे में हो जावेगी, आप दो घंटे बाद आकर ले लेना। दो घंटे बाद लेने जब आये तो फाइल विथड्रा कर ली गई थी और कॉपी नहीं दी गई। क्या इन बातों की इन्क्वायरी कराने को आप तैयार हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—इस प्रकार की बातें मेरे ध्यान में नहीं आईं।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—जब स्पेसिफिकली आपसे क्वेश्चन पूछा गया था तब यह आपका काम था कि आप सारी बातें ध्यान में लेते।

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने जवाब बहुत साफ दिया है कि उसकी नकल जिस पार्टी को दी गई वह इसलिये दी गई कि सरकार उस पार्टी के जरिये अपनी तरफ से उसे कोर्ट में पेश करवाना चाहती थी और दूसरी पार्टी को इसलिये नहीं दी गई कि नियम के अनुसार नकल नहीं दी जा सकती थी।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—फिर वह फाइल उस पार्टी की मांग पर कोर्ट में क्यों सरकार ने भेजी ?

श्री दामोदरलाल व्यास—अदालत जब कोई चीज तलब करती है तो हमारा यह फर्ज हो जाता है कि वह कागज हम कोर्ट में पेश करें और इसलिये हमने उस पार्टी के जरिये वह कॉपी कोर्ट में पेश की।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री धर्मचन्द ।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—poor reply,

(हंसी)

प्रश्न संख्या ३०४

श्री अध्यक्ष—श्री धर्मचन्द ।

(प्रश्न कर्त्ता अनुपस्थित-कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री अध्यक्ष—श्री चांदमल मेहता ।

प्रश्न संख्या ३०५

महाराजा किशनगढ़ द्वारा फरासिया (तहसील किशनगढ़) के समीप कांजी हाउस की स्थापना

श्री चांदमल मेहता—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) क्या यह सही है कि महाराजा किशनगढ़ ने फरासिया तहसील किशनगढ़ ग्राम के आस-पास कांजीहाउस कायम कर रखा है ?

(ख) यदि हां, तो क्या महाराजा को ऐसे अधिकार प्राप्त हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्वमन्त्री)—(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं पैदा होता ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि किशनगढ़ की जनता ने कई ऐसे प्रार्थना-पत्र पेश किये हैं जिसमें शिकायत की गई है कि महाराजा किशनगढ़ ने फरासिया ग्राम के आस-पास कांजी हाउस कायम कर रखा है और लोगों से जुर्माना वसूल किया जा रहा है ।

श्री दामोदरलाल व्यास—यह मेरी जानकारी में नहीं है ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि राजस्थान के निर्माण के बाद तक महाराजा किशनगढ़ कांजी हाउस चला रहे थे और बाद में बन्द किया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास—मेरा मतलब तो यह है कि ऐसा कोई कांजी हाउस महाराजा किशनगढ़ द्वारा नहीं चलाया गया ।

श्री चांदमल मेहता—क्या इस बात की जांच कराने को माननीय मन्त्री महोदय तैयार हैं कि महाराजा किशनगढ़ ने राजस्थान बनने के बाद भी कांजी हाउस कायम रक्खा और रकम वसूली की गई या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—अगर कोई स्पेसिफिक बात सामने लाई जावेगी तो अवश्य जाच की जावेगी ।

प्रश्न संख्या ३०६

श्री अध्यक्ष—श्री हरिकृष्ण व्यास ।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित-कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

प्रश्न संख्या ३०७

हाथकर्घा उद्योग के प्रोत्साहन हेतु शासकीय योजना

श्री चांदमल मेहता—क्या उद्योग मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) हाथ कर्घा उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार द्वारा क्या क्या योजनाएं स्वीकृत की गई हैं ?

(२) उक्त योजना के परिणाम स्वरूप कितने व्यक्तियों को काम मिल पाया है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—(१) इस उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार ने जो जो योजनाएं स्वीकार की हैं उनकी सूची इस प्रकार है :

केन्द्रीय व्यवस्था	१८, ६२६)
सेल डिपो	२३,६६०)
कपड़ों की जांच और मोहर लगाना	३१,८००)
२०० थ्रो शटल लूम्स का बदलना आदि	१०,०००)
इनाम	५००)
हाथकर्घा के कपड़ों की बिक्री पर कमीशन	२५,०००)

Page No.15

[श्री भोगीलाल पंड्या]

प्रचार	२५००)
लोन एडवान्सेज़ कर्ज के लिये	३,१६,५००)

(२) इस योजना से ४६ कर्मचारियों को इस विभाग के भिन्न भिन्न भागों में कार्य मिला है। इसके अतिरिक्त ४,८५३ बुनकरों को आर्थिक सहायता देकर प्रोत्साहन दिया है।

श्री चांदमल मेहता—अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के भाग (१) का उत्तर नहीं मिला। मैंने इसमें यह पूछा है कि हाथ-कर्घा उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा क्या क्या योजनाएं स्वीकृत की गई हैं ? मैंने स्वीकृत योजनाओं के बारे में पूछा है।

श्री चांदमल मेहता—(जारी) कितना रुपया दिया गया है यह नहीं पूछा गया, हाथ कर्घा को प्रोत्साहन देने के लिए क्या क्या योजनाएं स्वीकृत की गईं इसका जवाब चाहता हूँ।

श्री भोगीलाल पंड्या—इसके लिए सबसे पहला काम तो यह किया गया कि बुनकरों की कोआँपरेटिव सोसायटी बनाने के लिये इन्सपेक्टरों की नियुक्ति करके उनको गांव गांव में सहयोग समितियां बनाने के लिए भेजा गया। ये गांव गांव में फिर फिर कर सहयोग समितियां बनाते हैं और उनको कर्जा देते हैं। इस प्रकार १५५ सहकारी समितियां बनी हैं जिनमें ४८५३ बुनकरों को और उनके परिवारों को लाभ मिला।

साथ ही साथ कपड़ा, दरी और निवार आदि बेचने के लिए ८ जगहों पर बिक्री केन्द्र खोले गये।

तीसरी बात यह की कि इन्सपेक्शन और स्टाम्पिंग की व्यवस्था की गई और जगह जगह जहां कहीं इस तरह का कपड़ा तैयार किया जाता वहां ७५ प्रतिशत सहायता इसी समय दी जाती है, बाकी २५ प्रतिशत कपड़ा बिकने पर दी जाती है।

इसी तरह से कच्चा माल उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था की गई ?

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जो योजनाएं बताई गई वे अपर्याप्त हैं और कोई नई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—हां, यह तो सरकार हमेशा बुनकरों के हित के लिये सोचा करती है। जितनी बातें ध्यान में आई वे की गईं और आगे भी अधिक से अधिक जितनी बातें ध्यान में आवेंगी, वे की जावेंगी, बुनकरों को अधिक दिये जाने की ओर सरकार का ध्यान है और आगे भी रहेगा ?

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जो ५०) रुपया प्रति बुनकर कर्जा देने की बात है वह रकम अपर्याप्त है और इस वजह से उनको राहत देने की दिशा में कोई विशेष प्रगति नहीं हो पाई है।

श्री भोगीलाल पंड्या—जी हां, आपका कहना ठीक है। पचास रुपया कम है और यह सरकार को भी मालूम है और महसूस भी होता है। इस पर सरकार ने भारत सरकार को सिफारिश भी की और मुझे आपको सूचित करते खुशी होती है कि वहां से पचास रुपये के बजाय सौ रुपया देना मन्जूर भी हो गया है। अब उनको सौ सौ रुपये दिये जा रहे हैं।

श्री कंवरलाल जेलिया—सरकार द्वारा संचालित योजना के आधार पर बुनकरों की स्थिति पर क्या असर हुआ ?

श्री भोगीलाल पंड्या—काफी अच्छा असर हुआ। उनको कर्जा मिला, रुपया मिला, साधन मिले, लाभ मिला, कपड़ा मिला और जो बेकार बैठे थे वे धन्धे पर लग गये।

श्री चांदमल मेहता—यह सौ रुपया देने की स्वीकृति कब हुई और क्या यह सही नहीं है कि अभी किसी को नहीं दिया गया है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाएं। मन्जूरी हो गई है तो आखिर देने में कुछ देर तो लगती ही है। मन्जूरी चली गई है। रुपया शीघ्र ही मिल जावेगा। जिस दिन मन्जूरी होती है उसी दिन देने में तो कठिनाई आया करती है।

श्री अध्यक्ष—श्री जवानसिंह।

कुं० श्री जसवन्त सिंह—आपको सरकार का रुपया देने में भी कठिनाई आ रही है। अपने पास से देने में तो और भी अधिक आती होगी। यह कठिनाई क्यों आवे, अपने पास से देना थोड़े ही पड़ रहा है। (हंसी)

श्री अध्यक्ष—श्री जवानसिंह।

प्रश्न संख्या ३०८

पुरानी रियासतों की राजधानियों में सड़कें व भवन हेतु ६ लाख रुपयों की राशि

श्री जवानसिंह- क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने अभी हाल में ६ लाख रुपया पुरानी रियासतों की राजधानियों में सड़कें व इमारत बनाने के लिये मन्जूर किया है ?

[श्री जवानसिंह]

(ख) अगर हां, तो सिरोही कस्बे के लिए कितनी रकम खर्च की जायगी ?

(ग) अन्य कहां कहां खर्चा किया जायगा ?

शाह श्री अलीमुद्दीन(उप मंत्री)—(क) नहीं।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता।

(ग) सवाल पैदा नहीं होता।

श्री जवानसिंह—माननीय अध्यक्षजी, यह कैसे ?

(हंसी)

शाह श्री अलीमुद्दीन—अभी तो इतना ही कहा है कम से कम। (हंसी)

श्री जवानसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय डिप्टी मिनिस्टर साहब से खुद मिल कर आया हूँ और आपने स्वयं ने कहा कि हमने रुपया रक्खा है और इस वक्त आप फरमा रहे हैं सवाल करने पर कि "नही"। तो यह दो तरह का जवाब कैसे ?

(हंसी)

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता—दोनों बातें सही हैं, आपके सवाल का उत्तर भी और आपका यह कहना भी। आपने सवाल जो किया है वह केन्द्रीय सरकार के लिए किया और आपको मिलने पर जो फरमाया गया था वह राजस्थान द्वारा मन्जूर की गई रकम के बारे में बताया गया था।

श्री जवानसिंह—अब राजस्थान सरकार का बता दीजिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—इसके लिए अलग से सवाल करेंगे तो इसका जवाब भी दे दिया जावेगा।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—डिप्टी साहब जवाब देने को तैयार हैं।

शाह श्री अलीमुद्दीन—हां, तैयार हूं। मेरे सवाल करने वाले महोदय ने अपनी गलती महसूस कर ली। (हंसी) इसलिये मैं जवाब देने को अब तैयार हूं।

("हियर हियर" की आवाज)

[श्री शाह अलीमुद्दीन]

इस साल राजस्थान गवर्नमेंट ने ६ लाख रुपया केपीटल सिटीज़ की रोड्स के लिये मुकर्रर किया और वह पी. डब्लू. डी के बजट में मुकर्रर किया गया है। इसमें ५० हजार रुपया रिज़र्व रक्खा गया है जो कि डी. एल. बी की सिफारिश के मुताबिक दिया जावेगा। बकाया साढे पांच लाख को इस तरह दिया गया है। आप चाहें तो जवाब दे दूं ?.

श्री जवानसिंह—बहुत महरबानी होगी अगर इसका भी जवाब दे दें तो।

शाह श्री अलीमुद्दीन—सिरोही भी इस पचास हजार की रकम में शामिल है जो रिज़र्व रक्खा गया है।

श्री जवानसिंह—अब केबिनेट आपस में तय कर लें। सिरोही पर कितना कीजियेगा खर्च ? प्रश्न यह है कि पचास हजार में से सिरोही टाउन के लिए कितना रुपया आपने तय किया है ?

शाह श्री अलीमुद्दीन—अभी डिस्ट्रिब्यूशन नहीं हुआ क्योंकि अभी रिकमन्डेशन्स नहीं आईं।

श्री जवानसिंह—क्या सिरोही में पब्लिक की तरफ से...

कुं० श्री जसवन्तसिंह—(शाह श्री अलीमुद्दीन के खड़े रहने पर) The honb'le Minister is taking this unnecessary trouble. Why is he standing !

श्री जवानसिंह—क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सिरोही म्युनिसिपेलिटी की ओर से किसी प्रकार का आवेदन-पत्र प्रस्तुत हुआ ?

शाह श्री अलीमुद्दीन—सदन में इतना शोर है कि सवाल सुनने में नहीं आता।

श्री अध्यक्ष—Order ! Order !!

श्री जवान सिंह—क्या सिरोही म्युनिसिपेलिटी की ओर से कोई काम के निस्बत या पुरानी सड़कों को सुधारने के बाबत आवेदन-पत्र सरकार के पास आया ?

शाह श्री अलीमुद्दीन—दिया जा रहा है।

(हंसी)

कुं० श्री जसवन्तसिंह—क्या दिया जा रहा है ? क्वेश्चन बिलकुल डिफरेन्ट है। आवेदन-पत्र कोई सड़कों के लिए रकम देने के बाबत सिरोही म्युनिसिपेलिटी की तरफ से आया है क्या ?

Page No.19

शाह श्री अलीमुर्दान—आई है, वह दरख्वास्त विचाराधीन है।

श्री कंवरलाल जेलिया—प्रश्न (ख) का उत्तर नहीं आया है कि कहां कितना खर्चा किया जायगा?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री)—केपिटल टाउन्स के लिये ६ लाख रुपया दिया है। पॉपुलेशन बेसिस पर साढ़े पांच लाख रुपया डिस्ट्रिब्यूट कर दिया गया है और कुछ बाकी रहा है ५०,०००) रु०, वह रिजर्व में रखा गया है।

श्री जवानसिंह—केपिटल टाउन्स में कौन २ हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—जो राजस्थान बनने से पहले केपिटल्स थीं। उनमें सिरोही भी शामिल है।

प्रश्न संख्या ३०९

श्री अध्यक्ष—श्री गुरुदयालसिंह संधु।

(प्रश्न कर्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३१०

श्री अध्यक्ष—राजा श्री मानसिंह।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३११

रॉयल्टी वसूल किये जाने वाले औद्योगिक कारखाने

श्री चांदमल मेहता—क्या उद्योग मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(१) राजस्थान में ऐसे कितने औद्योगिक कारखाने हैं जिनसे रायल्टी वसूल की जाती है?

(२) उक्त कारखाने किस किस डिवीज़न में कितने २ हैं?

(३) सन् ५४-५५ के वर्ष में किस किस कारखाने से रोयल्टी वसूली नहीं की गई?

[श्री चांदमल मेहता]

(४) उक्त कारखानों में ऐसे कौन २ कारखाने हैं जिन्होंने रोयल्टी की वसूली को रोकने के लिये अदालतों से रिट हासिल कर रखी है ?

(५) ऐसे कारखाने कौन कौन हैं जिनकी रोयल्टी की वसूली को सरकार ने स्थगित किया है ?

श्री भोगीलाल पंड्या (उद्योग मंत्री)—(१) राजस्थान में ६० कारखाने हैं जिनसे रोयल्टी वसूल की जाती है ।

(२) उदयपुर डिवीज़न में	....	७०
कोटा डिवीज़न	...	१०
जयपुर डिवीज़न	...	६
जोधपुर डिवीज़न	....	४

(३) कोटन प्रेसिंग एन्ड कम्पनी, किशनगढ़ (जयपुर डिवीज़न,) से रोयल्टी वसूल हुई है । बाकी ८६ कारखानों से वसूल नहीं हुई है ।

(४) निम्नलिखित कारखाने वालों ने अदालतों से रिट हासिल कर रखी है :

(१) कॉटन जीनिंग फेक्ट्री, काछोला, जिला भीलवाड़ा,

(२) कॉटन जिनिंग एन्ड प्रेसिंग फैक्ट्री, फतहनगर, जिला चितौड़,

(३) महाराजा उम्मेद मिल्स, पाली, जिला जोधपुर ।

(५) कुल जिनिंग फैक्ट्रीज़ व टेक्सटाइल मिल्स और युनाइटेड ट्रेडिंग कं० जोधपुर से रोयल्टी वसूल नहीं करने के विषय में राजस्थान सरकार ने स्टे ऑर्डर दिये हैं ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि बीकानेर डिवीजन रोयल्टी से मुक्त रखा गया है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैंने आपको अर्ज किया है कि सारा प्रश्न विचाराधीन है, आया कि रायल्टी ली जा सकती है या नहीं ली जा सकती है ।

Page No.21

श्री चांदमल मेहता—जो ६० कारखाने बताये गये हैं उनमें से सिर्फ एक से वसूल किये जाने का क्या कारण है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—कोई खास कारण नहीं है। जब स्टे ऑर्डर्स किये गये थे यह उससे पहले ही वसूल हो गये थे। बाकी के स्टे ऑर्डर होने के बाद में वसूल नहीं हुए।

श्री चांदमल मेहता—क्या सरकार औद्योगिक कारखानों को रायल्टी से मुक्त करने के बारे में विचार कर सकती है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—इस पर विचार किया जा रहा है। एक कमेटी इसके लिए बनाई है। उसकी रिपोर्ट पर यह निर्णय ले लिया जायगा ?

श्री चांदमल मेहता—जब तक कमेटी अपना निर्णय नहीं दे तब तक आगे के लिए कारखानों से वसूली स्थगित कर दी जायगी ?

श्री भोगीलाल पंड्या— मैंने कह दिया है कि पहले से ही स्टे ऑर्डर दिया जा चुका है।

श्री अध्यक्ष—श्री भैंरुसिंह।

प्रश्न संख्या ३१२

भूपालसागर तहसील में मेटल्ड रोड

श्री भैंरूसिंह (वि०सं० १३)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) भूपालसागर तहसील में कुल कितने माइल मेटल्ड रोड़ है ?

(ख) क्या यह सच है कि बरसात के दिनों में तहसील हैडक्वार्टर पर पहुंचना बहुत कठिन हो जाता है ?

शाह श्री अलीमुद्दीन (उप मंत्री)— (क) १ मील १ फर्लांग मेटल्ड रोढ है।

(ख) जी हां।

श्री भैंरूसिंह (१३)—तो क्या कोई योजना है बनाने की ?

शाह श्री अलीमुद्दीन (उप मंत्री)—जी हां।

श्री अध्यक्ष—श्री छुंगाराम।

श्री भैंरूसिंह—क्या सरकार को मालूम है कि सरदी के दिनों में भी नहर की वजह से आना-जाना मुश्किल हो जाता है।

शाह श्री अलीमुद्दीन—योजना है बनाये जाने की।

श्री रोशनलाल—यह एक मील की सड़क बनी वह कितने वर्ष पूर्व बनी थी ?

शाह श्री अलीमुद्दीन—यह आपने तफसील पहले नहीं मांगी, इसलिए नोटिस देकर पछियेगा।

श्री भैंरूसिंह (१३)—जो एक मील की सड़क स्टेशन से भोपालसागर तहसील हैड क्वार्टर तक बनी है वह तमाम रेल्वे स्टेशन से तहसील हैडक्वार्टर तक की सेन्टर की योजना है, उसके मुताबिक सब जगह बनी है ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—तफसील में नहीं बता सकता हूँ। आपने सवाल किया कि कितनी मेटल्ड रोड्स हैं वह मैंने बता दिया है। तफसील अगर आप फरमायेंगे तो बता देंगे।

श्री शम्भूसिंह—क्या योजना इसी साल में पूरी कर दी जायगी।

श्री शाह अलीमुद्दीन—यह नहीं कहा जा सकता है कि इसी साल में पूरी कर दी जायगी मगर काम चालू हो गया है।

प्रश्न संख्या ३१३

सब डिवीजन गंगापुर में भूमिहीन किसान

श्री छंगाराम—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—
सब डिवीजन गंगापुर में कितने भूमिहीन किसान हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—इसके सही आंकड़े उपलब्ध होना कठिन है और इसमें काफी समय की आवश्यकता है क्योंकि गांव गांव से जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी।

श्री भैंरूसिंह (१६)—क्या यह सही है कि सरकार ने ऐसी कोई योजना नहीं बनाई है जिसके आधार पर "राजस्थान में इतने भूमिहीन किसान हैं" यह जाना जा सके ?

Page No.23

श्री दामोदरलाल व्यास—योजना बनाई है उस पर कार्यवाही हो रही है।

श्री रामदयाल उपाध्याय—क्या यह सही है कि गंगापुर के कई भूमिहीन किसानों ने जमीन देने के लिए सरकार को प्रार्थना-पत्र दिये हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—यह अलग से प्रश्न पूछिये।

श्री भैरूसिंह (१६) —— भूमिहीन किसानों को जमीन देने में क्या हो रहा है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जहां जमीन है, वहां भूमिहीनों को जमीन मिलती है और किसी को नहीं मिलती है।

प्रश्न संख्या ३१४

५५ वर्ष की अवस्था में पहुंचने वाले राज्यकर्मचारियों को ३० वर्ष की सेवा न होने पर भी अवकाश

श्री अवनीकुमार मुकर्जी—Will the Chief Minister be pleased to state :—

(a) Whether the Government is prepared to get the cases of all Government servants who had not been given re-employment or extension even though they did not put in 30 years' qualifying service and are physically and meutally fit to discharge their duties after attaining the age of 55 years reviewed by the Public Service Commission particularly cases of those units in which superannuation age was 57--58 or 60 years belonging to Educational Institutions ?

(b) If not, why not ?

(c) If the reply to (a) is in affirmative, will the reference to the Public Service Commission be made at an aerly date ?

श्रीमोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री)—(a) It is not neccssary.

(b) The Service Rules of the Government prohibits extension and re-employment fo superannuated persons except in very special circumstances of exigencies of the service, such as shortage of trained and experienced personnel etc. In such cases where empolyment exceeds 2 years, concurrence of the P. S.C. is taken.

(c) The question does not arise.

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—क्या माननीय मुख्य मंत्रीजी यह बताने की कृपा करेंगे कि किस आधार पर यह रिएम्प्लायमेंट किया जाता है या एक्स्टेन्शन दिया जाता है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—मैंने निवेदन किया है कि टेक्निकल परसन्स...

(श्री अवनिकुमार मुकर्जी के खड़े रहने पर) दोनों ही खड़े रहेंगे क्या ? (हंसी)

कु० श्री जसवन्तसिंह—He stands a copy of your hon'ble colleague.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—एक्सटेन्शन और रिएम्प्लॉयमेंट आम तौर पर टेक्निकल परसन्स की कमी होती है या व्यक्ति विशेष की खास योग्यता और सरकार की आवश्यकता इन चीज़ों को देखते हुए होती है ।

श्री भैरोंसिंह (१६)—किसी व्यक्ति का रिएम्प्लायमेंट पी. एस. सी. से एप्रूव होता है या वैसे ही ।

श्री अध्यक्ष—That is a matter of rules.

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—जो सर्विस रूल्स हैं इसके संबंध में व्यवस्था है, रिएम्प्लायमेंट के बारे में...

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट श्री सज्जनसिंह ।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—एक प्रश्न और पूछना चाहता हूँ ।

श्री अध्यक्ष—पूछिये ।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी–ऐसी व्यवस्था है तो उन पर पूरी तरह अमल किया जाना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष—Rules are observed, It is presumed.

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—No, they are not observed.

प्रश्न संख्या ३१५

(प्रश्न कर्ता अनुपस्थित—कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री अध्यक्ष—श्री सज्जनसिंह ।

Page No.25

प्रश्न संख्या ३१६

किशनगढ़ में सार्वजनिक निर्माण विभाग के आधीन के भवनों के किराये की वसूली

श्री चांदमल मेहता—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :–

(क) किशनगढ़ में सार्वजनिक निर्माण विभाग के मातहत कितनी इमारतें हैं।

(ख) उक्त इमारतों में से कितनी इमारतों का किराया वसूल होता है ?

(ग) पिछले वर्ष में कुल कितनी किराये की आमदनी हुई ?

(घ) ऐसी कितनी इमारतें है जो खाली पड़ी हैं ?

(ङ) ऐसी कितनी इमारतें हैं जिनकी हालत खराब है और जिनके गिरने का अंदेशा है ?

(च) स्थानीय जनता ने कितनी इमारतों को उतराने व मरम्मत कराने की मांग की है ?

श्री शाह अलीमुद्दीन (उप मंत्री)—(क) १४० इमारतें हैं।

(ख) ५३ इमारतों का किराया वसूल होता है।

(ग) ३३४०) रु०।

(घ) ऐसी कई इमारतें हैं।

(ङ) ऐसी ६ इमारतें हैं जिनकी हालत खराब है। इनमें से एक के गिरने का अन्देशा है।

(च) जनता की ओर से किसी मकान की मरम्मत की मांग नहीं की गई है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि इन इमारतों का किराया वसूल नहीं होता है। उनकी मरम्मत नहीं कराने की वजह से किराया वसूल नहीं होता है?

शाह श्री अलीमुद्दीन—जी नहीं। उनके किरायेदार गायब हो गये हैं। (हंसी)

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि बहुत बड़ी तादाद में इमारतें खाली पड़ी हैं और वे मरम्मत तलब हैं ?

शाह श्री अलीअमुद्दीन—बहुत बड़ी तादाद में तो नहीं मगर कुछ इमारतें खाली पड़ी हैं क्योंकि कई आउट ऑफ प्लेसेज़ में हैं। कोई पहाड़ी पर है, कोई दरवाजें पर है तो कोई किसी जंगल में बारहदरी पड़ी हुई है, तो ऐसी इमारतों को किराये पर कौन लेगा ?

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि इन इमारतों को तत्काल ही ठीक नहीं कराया गया, उनकी मरम्मत नहीं कराई गई तो उनके नहीं कराये जाने से जन और धन की हानि का अन्देशा है।

शाह श्री अलीमुद्दीन—जो इमारतें मरम्मत तलब हैं उनकी मरम्मत जरूर कराई जाती है। मैंने जवाब देते हुए आपको कहा था कि एक इमारत बेशक ऐसी है जिसके गिरने का अन्देशा है।

श्री चांदमल मेहता—क्या जो किरायेदार गायब हो गये हैं उनकी तलाश कराने की कोई कोशिश की जा रही है ?

शाह श्री अलीमुद्दीन—नोटिस जारी किया जाता है और जाव्ते की कार्यवाही होती है।

प्रश्न संख्या ३१७

प्रश्न कर्ता श्री गुरदायलसिंह सन्धुकी अनुपस्थिति में यह प्रश्न नहीं पूछा गया

प्रश्न संख्या ३१८

श्री धर्मपाल पंवार—क्या पिछड़ी जाति कल्याण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) गत वर्ष राजस्थान में कितने हरिजन परिवारों को और कहां कहां उनके मकान, सामान आदि जल जाने के कारण सहायता दी गई थी ?

(ख) क्या रायसिंहनगर (गंगानगर) में भी किसी हरिजन को मकान जल जाने के कारण सहायता दी गई थी ?

(ग) यदि हां, तो उसका नाम क्या है और उसे कितनी सहायता किस रूप में दी गई थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भोगीलाल पंड्या—(क) गत वर्ष में राजस्थान में निम्न स्थानों पर हरिजन परिवारों को उनके मकान सामान आदि जलने पर सहायता दी गई जो इस प्रकार है :

३७ चमार परिवार नवगांव तहसील अलवर	१४६२ रु०
४६ चमार परिवार पापड़दा तहसील दौसा	६७८ रु०
४५ चमार परिवार बनेटी तहसील कोटपूतली	८६४ रु०
१ भंगी परिवार, जयपुर शहर	५६ रु०
१ भंगी परिवार जैसिंहपुरा तहसील आमेर	३८ रु०
७ भंगी परिवार बागड़ी जिला टोंक	१०६ रु०
८ बलाई परिवार अमरसर तहसील नीम का थाना	२२७ रु०
२ रेगर व २ चमार परिवार, जयपुर	२६३ रु०
२ बाडिया परिवार नांगल तहसील, डूंगरपुर	१५० रु०
२ मेहतर परिवार, जयपुर	७६ रु०

७० वरगी परिवार जैपुर का पानी से मकान गिरने से १८४२ रु० सहायता

(ख) रायसिंहनगर (गंगानगर) के किसी हरिजन को उसके मकान जल जाने पर सहायता नहीं दी हैं।

(ग) रायसिंहनगर के किसी हरिजन का कोई आवेदन-पत्र नहीं है।

श्री खेलसिंह—मकान आदि जलने पर इमदाद सिर्फ हरिजनों को ही दी जाती है या सवर्ण लोगों को भी दी जाती है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—पिछड़ी जाती कल्याण विभाग से सिर्फ हरिजनों को ही दी जाती है।

कु० श्री जसवन्तसिंह—रायसिंहनगर में क्या वाकई हरिजनों के मकान जल गये थे ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मुझे अभी यह सूचना मिली है। इसकी जांच कराई जा रही है, अगर वाकई नुक्सान हुआ है तो सहायता दी जायगी।

कु० श्री जसवन्तसिंह—प्रश्न आने के बाद जांच कराई जा रही है क्या ?

श्री भोगीलल पंड्या—जी हां, पहले किसी ने सूचना ही नहीं दी।

श्री धर्मपाल—७१ मकान वहां पर जल गये थे, उनके आवेदन-पत्र मैं खुद देकर आया था; क्या उनकी जांच नहीं कराई ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैंने अभी अर्ज किया था कि ऐसी सूचना नहीं है। आप फिर संभाल लीजिये कहीं वह दर्खवास्त रह गई होगी।

Page No.28

कु० श्री जसवन्तसिंह—माननीय सदस्य जब कह रहे है कि खुद के हाथ से दे गये थे तो क्या उनकी बात नहीं मानी जाय?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं भी विभागीय सूचना दे रहा हूँ, दोनों में से जो जंचे उसको मान लीजिये।

श्री प्रभुदयाल—क्या आप दुबारा जांच करायेंगे?

श्री भोगीलाल पंड्या—आपने सूचना दी है उसकी जांच करायेंगे।

श्री प्रभुदयाल—क्या दर्ख्वास्त आई या नहीं?

श्री अध्यक्ष—और दर्ख्वास्त दे दीजिये।

श्री भोगीलाल पंड्या—और दर्ख्वास्त दे दीजिये।

श्री धर्मपाल—उसको काफी अर्सा हो गया है लेकिन, अभी तक कुछ नहीं हुआ।

श्री भोगीलाल पंड्या—जब दर्ख्वास्त है ही नहीं तो मैं क्या कह सकता हूँ?

श्री कंवरलाल जेलिया—सरकार की ओर से रकम देने की व्यवस्था किस तरह से की गई है?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट क्वेश्चन।

प्रश्न संख्या ३१९

वर्तमान वित्तीय वर्ष में किशनगढ़ सब डिवीजन की सड़कों की मरम्मत इत्यादि

श्री चांदमल मेहता—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) चालू वित्तीय वर्ष में किशनगढ़ सब डिवीजन की किन किन सड़कों की मरम्मत कराई गई?

(ख) उक्त सडकों में से किस किस पर कितना कितना खर्चा हुआ?

(ग) किस किस सड़क की मजदूरी का कितना कितना पेमेन्ट मजदूरों को नहीं मिला है?

शाह श्री अलीमुद्दीन(उप मंत्री)—(क) किशनगढ़ सब डिविजन की सब सड़कों की सालाना साधारण मरम्मत कराई गई जिसकी एक सूची संलग्न है ।

(ख) जिस सड़क पर जितना खर्च हुआ उपरोक्त सूची में अंकित है ?

(ग) निम्नलिखित सड़कों की मजदूरी का मजदूरों को अनुपस्थिति के कारण पेमेन्ट नहीं हुआ ।

१. नेशनल हाई वे नं. ८	२३ रु०
२. रूपनगढ़ रोड	४० रु०
३. किशनगढ़ सिटी रोड	४० रु०

सूची अगर आप के पास नहीं पहुँची है तो मैं पढ़कर सुना देता है :

किशनगढ़ से मदनगंज तक की सड़क	६६३ रु० ६ आ०
किशनगढ़ से रूपनगढ़ की सड़क	२,०१८ रु० ११ आ०
अराई की सड़क	१३१० रु० ० आ० ६ पा०
सिलोरा उदयपुर रोड	७८७ रु० ११ आ०
नसीराबाद देवली रोड	१८३० रु० ३ आ० ६ पा०
	६८८७ रु० ५ आ० ७ पा०

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि अराई रोड का पेमेन्ट अभी तक नहीं हुआ है ?

शाह श्री अलीमुद्दीन—मेरे पास ऐसी इत्तला नहीं है ।

श्री चांदमल मेहता—क्या मंत्रीजी इसकी जांच करके कि पेमेन्ट नहीं हुआ है, तो पेमेन्ट कराने को तैयार हैं ?

शाह श्री अलीमुद्दीन—जी हां । किसी की मजदूरी रखना सरकार ठीक नहीं समझती ।

प्रश्न संख्या ३२०

राजस्व विभाग में सरप्लस कस्टम्स कर्मचारी न लेकर अस्थाई कर्मचारियों की नियुक्तियां

श्री हरिसिंह—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट में सरप्लस कस्टम्स् एम्प्लोईज न लेकर नये टेम्परेरी एम्प्लॉइज़ क्यों लिये जा रहे हैं ?

Page No.30

[श्री हरिसिंह]

(ख) आज तक ऐसे कितने टेम्परेरी व्यक्ति रखे गये हैं ?

(ग) क्या सरकार का ऐसे टेम्परेरी हेन्ड्स को परमानेन्ट करने का विचार है ?

(घ) अगर है तो क्यों, जब कि कस्टम्स में सरप्लस हैंड मिल रहे हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—(क) कस्टम्स के सरप्लस हैन्ड्स को जगह देने के लिये विशेष आदेश और रियायतें रखी गई हैं । जब तक कमिश्नर नोन अवेलेबिलिटी का सर्टिफिकेट नहीं देते तब तक दूसरे आदमी नहीं लिये जा सकते हैं । जहां तक सूचना प्राप्त हुई है वह यही है कि नये टेम्परेरी आदमी नहीं लिये गये हैं ।

(ख) क्योंकि ६ साल की पुरानी बात है इसलिये इसकी सही सही जानकारी प्राप्त करने के लिये काफी समय की आवश्यकता है ।

(ग) टेम्परेरी को परमानेन्ट करना कानून के अनुसार ही हो सकता है । यदि टेम्परेरी व्यक्ति योग्य होंगे और उनकी सेवा की सरकार को आवश्यकता होगी तो कायदे के अनुसार स्थाई कर दिये जावेंगे और यदि जरूरत नहीं रही तो अलग कर दिये जायेंगे ।

(घ) कस्टम के सब सरप्लस हैंन्ड जो किसी भी काम के लायक न हुये तो उनको नहीं लिया जावेगा ।

कुं० श्री जसवन्त सिंह—जो काम के लायक कस्टम्स के आदमी हैं उनको लिये जाने की क्या कोशिश की जा रही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—उनको एजोर्व किया जा रहा है जहां जहां खाली जगह हैं ।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—टेम्पोरेरी अपोइन्टमेन्ट्स के मुकाबले में सरप्स हैंड्स को प्रीफरेन्स क्यों नहीं दिया जा रहा है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—इन लोगों को पहले एब्जोर्ब करने के लिये सर्कुलर भेजे गये हैं ।

श्री हरिसिंह—क्या यह सही है कि टेम्पोरेरी एम्पलोईज को बिना इन्टव्यू के, बिना इम्तहान के लिया गया है लेकिन कस्टम्स के एम्पलोईज़ के लिये एग्ज़ामिनेशन आदि की कंडीशन्स रखी गई हैं ?

Page No.31

श्री दामोदरलाल व्यास—जहां तक उनका इम्तहान लेने का सवाल है वहां तक यह बात है कि जिनको पटवारीज़ आदि की ट्रेनिंग देना जरूरी होता है उनके लिये एग्ज़ामिनेशन्स जरूर रखे गये हैं।

श्री भैंरूसिंह—क्या यह सही है कि कस्टम्स के सरप्लस हैंड्स को लेने की घोषणा करने के बाद भी राजस्व विभाग में अस्थायी आदमियों की नियुक्तियां की गई हैं?

श्री दामोदरलाल व्यास—मुझे ऐसा ज्ञान नहीं है।

श्री भैंरूसिंह—क्या सरकार उसकी जांच कराने को तैयार है कि ऐसी नियुक्तियां हुई हैं?

श्री दामोदरलाल व्यास—पर्टिकुलर बात बतायेंगे तो अवश्य की जायगी।

श्री भैंरूसिंह—जिन अधिकारियों ने ऐसा किया है क्या उनके खिलाफ एक्शन लिया जायगा?

श्री दामोदरलाल व्यास—अवश्य।

प्रश्न संख्या ३२१

दस जिन्स तक की छोटी जीनिंग फैक्ट्रीज से रायल्टी लेने में भिन्नता

श्री तेजमल बाफना—Will the Minister for Industries and Commerce be pleased to reply the following question:----

(1) How many small Ginning Factories upto ten gins are in Rajasthan?

(2) What is the royalty on Kapas ginned in such Factories?

(3) Is it a fact that it varies with the different parties even with equal number of gins?

(4) Is it also a fact that the question of uniform policy of royalty is pending before the Government for the last three years but no decision has been taken?

(5) Why is it being delayed and how long will the Government take to decide it?

श्री भोगीलाल पण्ड्या (उद्योग मंत्री)—(१) ८८

(२) भिन्न भिन्न फेक्ट्रीज से नीचे माफक रॉयल्टी ली जाती है :

[श्री भोगीलाल पंड्या]

१ फेक्ट्री से	५ आना ६ पाई
२ फेक्ट्रियों से	४ आना ६ पाई
१ फेक्ट्री से	४ आना ३ पाई
३६ फेक्ट्रीज़ से	४ आना
१ फेक्ट्री से	३ आना
१ फेक्ट्री से	० आना ६ पाई

कुल जोड़-४५ फेक्ट्रीज़ से रॉयल्टी ली जाती है और कुल ४३ फेक्ट्रीज से रॉयल्टी नहीं ली जाती है ।

(३) हां

(४) हां।

(५) सरकार ने एक कमेटी नियुक्त की है जिसकी रिपोर्ट आने पर कोई निर्णय लिया जायगा ।

श्री तेजमल बापना—वह कौनसी फेक्ट्री है जिससे ६ पाई रॉयल्टी ली जाती है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—सूरजमल रामप्रसाद, गजसिंहपुर की फेक्ट्री है ।

श्री तेजमल बापना—अलग अलग तरह की रॉयल्टी लेने का क्या कारण है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—राजस्थान बनने के पूर्व भिन्न २ रियासतों में भिन्न भिन्न रेट से रॉयलटी ली जाती थी। उन्हीं एग्रीमेन्ट्स के हिसाब से अभी तक ली जा रही है। जब तक एक ही तरह के एग्रीमेन्ट नहीं हो जाते तब तक इसी तरह से रॉयल्टी ली जायगी।

श्री तेजमल बापना—क्या यह सही है कि राजस्थान बनने के बाद भी ऐसा ही किया गया ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जिनके साथ नया एग्रीमेन्ट हुआ उनके साथ हुआ होगा ।

श्री तेजमल बापना—क्या यह सही है कि इस में पक्षपात किया गया है । जो बड़े आदमी थे उनसे ६ पाई ली गई और सामान्य आदमियों से ४ आने के हिसाब से रॉयल्टी ली गई ।

Page No.33

श्री भोगीलाल पण्ड्या—मेरे ध्यान में तो ऐसी बात नहीं है, फिर जांच करके उत्तर दे सकता हूँ।

श्री तेजमल बापना—इसके लिये कमेटी कब कायम हुई है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—काफी समय हो गया।

श्री तेजमल बापना—कौनसी तारीख को मुकर्रर हुई ?

श्री भोगीलाल पंड्या—इसका पता अलग से लगाना पड़ेगा। तारीख इस समय मुझे मालूम नहीं है। उसको मुकर्रर हुए साल डेढ़ साल हो गया। उसकी रिपोर्ट अब तक पेश नहीं हुई है। उसको आदेश दिया गया था जिस में तारीख नहीं मुकर्रर की गई थी। बीच में उनको लिखा गया था कि २० दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत करें लेकिन सदस्यों के इक्कठे नहीं होने से बैठक नहीं हो सकी इसलिये २० दिन में रिपोर्ट नहीं दे सके; इसलिये नहीं दे सके। अब उनको और कहा गया हैं कि जल्दी ही रिपोर्ट दे दें।

श्री तेजमल बापना—क्या निर्णय रहा, क्या अब २० दिन में रिपोर्ट पेश कर देंगे ?

श्री भोगीलाल पंड्या—२० दिन में देने के लिये ही लिखा गया था लेकिन जब परिस्थिति और तरह की हो जाती है तो वे लिख कर मयाद बढ़ा लेते हैं।

श्री तेजमल बापना—क्या सरकार और ताकीद करेगी कि अब २० दिन में रिपोर्ट पेश कर दें ?

श्री भोगीलाल पंड्या—उनको और लिखा जायगा।

श्री भैंरू सिंह—एक सप्लीमेन्टी प्रश्न और करना चाहूँगा।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट क्वेश्चन ?

प्रश्न संख्या ३२२

श्री अध्यक्ष—श्री तेजपाल

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित—कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

प्रश्न संख्या ३२३

सवाई माधोपुर के अध्यापकों को ग्रेड देने सम्बन्धी

श्री छंगाराम—क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

[श्री छुंगाराम]

(क) सवाई माधोपुर जिले में कितने ऐसे अध्यापक है जिनको बी. ए. होते हुए भी मैट्रिक व मिडिल का ग्रेड दिया गया है ?

(ख) बी. ए. का ग्रेड नहीं दिये जाने के क्या कारण हैं ?

श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल (उप शिक्षा मंन्त्राणी)—क. ऐसे ७ अध्यापक हैं ।

ख. विभागीय निर्धारित सीनीयोरिटी में अवसर न आने एवं राजसेवा आयोग की सिफारिश न आने के कारण ।

प्रश्न संख्या ३२४

भील जातियों की समाजिक और आर्थिक जांच करवाना

श्री जवानसिंह—क्या दलित वर्ग उत्पादन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने भील जातियों की समाजिक और आर्थिक जांच करवाई है ?

(ख) अगर हां, तो क्या सरकार उसकी रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

(ग) उपरोक्त जांच के लिये सरकार ने किसे मुकर्रर किया था ?

श्री भोगीलाल पंडयाः—(क) जांच-कार्य जारी है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जांच सम्बन्धी आवश्यक विवरण पि. जा. क. वि. द्वारा निर्धारित फॉर्म में पटवारियों एवम् कानूनगो आदि द्वारा एकत्रित किया जा रहा है और विभागीय सहायक अन्वेषणाधिकारी द्वारा संकलित किया जा रहा है । जहां कहीं पटवारी आदि नहीं हैं वहां आवश्यक विवरण एकत्रित करने का कार्य स्कूल अध्यापकों को सोंपा गया है ।

श्री जवानसिंह—यह पूरे राजस्थान के लिये विवरण इक्ठा किया गया है कि नहीं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—नहीं ।

Page No.35

श्री जवानसिंह—क्या विशेष स्थानों पर जहां शिड्यूल्ड क्लास एरिया घोषित किया गया था वहीं का विवरण इक्कठा किया गया है ?

श्री भोगीलाल पण्ड्या—वैसे केन्द्र की ओर से शिड्यूल्ड एरिया के लिये ही मांगा गया था परन्तु राजस्थान सरकार ने शिड्यूल्ड एरिया के अलावा बाकी बचे हुए भील क्षेत्रों में कार्य शुरू कर दिया है।

श्री अध्यक्ष—श्री भैरोंसिंह।

प्रश्न संख्या ३२५

ठिकानों (जागीरों) के कर्मचारियों को राजकीय सेवा में लेने का समझौता

श्री **भैंरूसिंह** (दांता रामगढ़)—क्या मुख्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि सरकार एवं राजस्थान के (जुरिस्डिक्शनल) ठिकानों के मध्य ठिकानों के कर्मचारियों को राज्य सेवा में लिये जाने के विषय में कोई समझौता हुआ था ?

(ख) यदि हां, तो क्या उस समझौते की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करेंगे ?

(ग) यह समझौता किस किस ठिकाने के साथ हुआ था ?

(घ) इस समझौते का किस हद तक पालन किया गया और ऐसा समझौता करने की सरकार को क्यों आवश्यकता पड़ी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री)—(क) जी नहीं।

(ख) उन कर्मचारियों को राज्य सेवा में लेने के आधार पर राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, १९५२ में संशोधन कर दिया गया है। संशोधित एक्ट की धारा ४४ उसी का परिणाम है।

(ग) समझौता किसी ठिकाने के साथ नहीं हुआ। उससे ठिकाने को लाभ न होकर उनके कर्मचारियों का हित हुआ है।

(घ) जागीर के कर्मचारी भी जनता के ही अंग हैं, अतः उनमें से जितने सुयोग्य व्यक्ति मिल सकते थे उनको राज्य सेवा में लेना उचित ही था।

श्री भैंरूसिंह (दांता रामगढ़)—माननीय अध्यक्ष, जो मेरे पास लिखा हुआ उत्तर आया है उसमें लिखा हुआ है जी 'हां;' समझौता हुआ, तो कौन सा सही माना जाय।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं जो उत्तर दे रहा हूँ ?

श्री भैरू ंसिंह—क्या यह सही है कि जागीर कमिश्नर ने उसी समझौते के आधार पर जागीरों के जुडिशियल सर्विस के कर्मचारियों को राज्य सेवा में लेने के लिये अलग तरीका बनाया था ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जी नहीं ।

श्री भैरू ंसिंह—क्या उन आधारों पर ठिकानों के जुडिशियल कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं हुई है तो सरकार पुनः इस पर विचार करेगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं समझ नहीं पाया कि कौन व्यक्ति ?

श्री भैरू ंसिंह—क्या यह सही है कि सरकारी जुडिशियल सर्विस के कर्मचारियों में और ठिकानों ने जुडिशियल कर्मचारियों में फर्क रखा गया है, उनकी नियुक्ति उस आधार पर नहीं की गई है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिये; अगर कुछ फरक है तो जांच करके सुधार किया जायेगा ।

एक माननीय सदस्य—क्या जुडिशियल पॉवर के ठिकानों से सरकार का इस प्रकार का समझौता हुआ है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—मैंने अर्ज किया कि किसी प्रकार के ठिकानों से अलग समझौता नहीं हुआ ।

श्री भैरू ंसिंह—तो क्या यह मान लिया जाय कि जागीर कमिश्नर ने इस सम्बन्ध में जो कहा गया, वह गलत है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं जो उत्तर दे रहा हूँ, उससे जागीर कमिश्नर का उत्तर अलग नहीं है ।

श्री भैरू ंसिंह—जुडिशियल सर्विस के अधिकारियों की सर्विस किस आधार पर मानी गई हैं ?

श्री अध्यक्ष—That is subject to enquiry.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—मैं इन्फोर्मेशन के लिए जानना चाहूँगा कि दांता रामगढ़ से आये हुए माननीय सदस्य ने अभी कहा कि उनके पास जो लिखा हुआ उत्तर आया है वह अलग है । मैं यह जानना चाहूँगा कि सदन की फ्लोर पर उत्तर देने दे पहले उनके पास उत्तर कैसे पहुँच गया ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—उनके पास कैसे पहुँच गया मालूम नहीं, पर मैं जो उत्तर दे रहा हूँ ठीक दे रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष—Next, That is subject to enquiry- An enquiry will be set up.

प्रश्न संख्या ३२६

गंगापुर-लालसोट सड़क का निर्माण कार्य सम्पूर्ण करना

श्री छंगा—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) गंगापुर लालसोट रोड को पूरा कराये जाने का कर्य कब से चल रहा है।

(ख) इसके आज तक पूरी न हो पाने के क्या कारण हैं।

(ग) भविष्य में यह सड़क कब तक पूरी हो जायगी ?

शाह श्री अलीमुद्दीन (उप सचिव)--(क) ४४-४५ से चल रहा है।

(ख) नहीं।

(ग) अगले साल तक इसका काम पूरा हो जाने की आशा है।

श्री श्रीदास गोयल—क्या यह सही है कि राजस्थान में ओवरसियरों की कमी के कारण यह सड़क ठीक नहीं हो पाई है।

शाह श्री अलीमुद्दीन—कुछ हद तक बेशक सही है।

श्री श्रीदास गोयल—राजस्थान सरकार ओवरसयरों की कमी की पूर्ति के लिए क्या कर रही है ?

शाह श्री अलीमुद्दीन—सरकार उनकी तलाश में है, मिल नहीं रहे हैं।

कु० श्री जसवन्तसिंह—क्या यह सही है कि बहुत से ओवरसियरों को सस्पेन्ड कर दिया गया है और सारा काम रुका पड़ा है ?

शाह श्री अलीमुद्दीन—एक ओवरसीयर सस्पेन्ड है।

कु० श्री जसवन्तसिंह—क्या राजस्थान सरकार ने इन्क्वायरी की है कि कितने ही ओवरसीयर अनएम्प्लोयड हैं ?

Page No.38

शाह श्री अलीमुद्दीन—हम तो दरख्वास्तें मांगते हैं, कोई नहीं आता है; तो हम यह समझते हैं कि कोई अनएम्लोयड नहीं है ।

एक माननीय सदस्य—क्या यह सही है कि ये लोग इसलिये नहीं आते हैं सरकार उनको माकूल तनख्वाह नहीं देती ।

शाह श्री अलीमुद्दीन—आजकल तो माकूल से कम पर आने को तैयार हैं ।

एक माननीय सदस्य—क्या यह सही है कि कम तनख्वाह मिलने के कारण ओवरसीयर लोग ठेकेदार बन गये हैं ?

शाह श्री अलुमुद्दीन—नहीं ।

श्री संतोषसिंह कछवाहा—क्या उन लोगों से जो अनएम्प्लोयड हैं, दरख्वास्तें दिलवायें तो सरकार उनको लेने को तैयार हो जायगी ?

श्री अध्यक्ष—Order ? Next.

प्रश्न संख्या ३२७

नावां स्थिति एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट न्यायालय को स्थायित्व देना

श्री किशनलाल शाह—क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगेः

(क) क्या सरकार नांवा स्थित एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट की अदालत को स्थायित्व देने का विचार रखती है ?

(ख) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(ग) इस वर्ष अदालत में कितने मुकदमें विचाराधीन हैं ?

(घ) स्थायित्व देने के लिये कितने मुकदमों का होना आवश्यक है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—नावां में एकस्टरा मजिस्ट्रेट की अदालत के स्थायित्व के सम्बन्ध में यह प्रश्न पूछा गया है, इनके इम्प्लीमेंटेशन के लिये स्टेट्स रीओगनाईजेशन कमिशन की रिपोर्ट के इन्तजार कर रहे थे, जो अब आ गई है, इसलिये अभी तक निश्चित नहीं किया गया है ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ३२८

सांगानेर हवाई अड्डा बनाते समय एक्वायर की गई काश्तकारों की भूमि का मुआवजा

श्री श्रीनारायण चतुर्वेदी—क्या राजस्व मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) सांगानेर हवाई अड्डा बनाते समय किस किस काश्तकार की जमीनें एक्वायर की गई थीं ?

(ख) उन जमीनों का कितना मुआवजा तय हुआ ?

(ग) उनमें से किन किन को कितना कितना मुआवजा दे दिया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास—(राजस्व मन्त्री) : (क) सांगानेर हवाई अड्डा बनाते समय २६ काश्तकारों की जमीन एक्वायर की गई थी उनकी सूची संलग्न है । क्या सब सूची को पढ़ कर सुनाने की आवश्यकता है ?

कुछ माननीय सदस्य—नहीं

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—

(ख) उन जमीनों का ३६२६१ रुपये मुआवजे का तय हुआ है ।

(ग) कुल मुआवजे की ३११०३ रुपये १३ आने दिये जा चुके है । किन किन को कितना २ मुआवजा दे दिया गया जिसकी सूची संलग्न है ।

अगर कहें तो सूची पढ़ दूं ? ('नहीं' की आवाज)

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

कुं० श्री जसवन्तसिंह—ये जमीनें कब एक्वायर की गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास—यह तारीख मेरे पास नहीं है ।

कु० श्री जसवन्तसिंह—क्या यह जमीन राजस्थान सरकार द्वारा एक्वायर की गई थी या फोर्मर जयपुर स्टेट द्वारा ?

श्री दामोदरलाल व्यास—फोर्मर जयपुर स्टेट द्वारा।

श्री श्रीदास गोयल—फिर इतने साल तक मुआवजा क्यों नहीं दिया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास—करीब ३१ हजार रुपया मुआवजा दे दिया गया है, यह मैंने बताया। बाकी रहा है वह जमा करा दिया गया, शायद काश्तकार लेने के लिये नहीं आये होंगे या काश्तकार नहीं मिले होंगे।

श्री नारायण चतुर्वेदी—क्या बाकी के काश्तकारों की दरख्वास्तें नहीं आई थीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जी नहीं।

श्री नारायण चतुर्वेदी—क्या यह सही है कि कई काश्तकारों ने दरख्वास्तें दीं परन्तु उनको मुआवजा नहीं दिया गया ?

श्री दामोदर लाल व्यास—जिनकी दरख्वास्तें आईं, उनको मुआवजा दे दिया गया है, आप कोई खास नाम बतायेंगे तो जांच की जायगी।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—कुल रकबा कितना है ?

श्री अध्यक्ष—Order !

श्री श्रीदास गोयल—वे किसान कौन कौन हैं जिनको मुआवजा नहीं दिया गया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास-यह अलग प्रश्न है।

श्री श्रीदास गोयल—जिनको नहीं दिया गया उनका पता मालूम करने की कोशिश की गई या नहीं ?

श्री दामोदर लाल व्यास--कोशिश की जा रही है, ३,४ हजार रुपया बाकी रह गया है।

एक माननीय सदस्य—वे काश्तकार कौन कौन है जिनको मुआवजा नहीं दिया गया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—यह सूची मेरे पास नहीं है, जिनको दिया गया है उनकी सूची मेरे पास है।

अल्पकाल सूचना प्रश्नोत्तर

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल--Will the Chief Minister please state: Has the Central Government forwarded a copy of the Report of the States Reorganisation commission to the state Government. If so, when shall it be laid before the House ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मन्त्री)—माननीय अध्यक्ष, मैं यह निवेदन करूंगा कि अब शोर्ट नोटिस क्वेश्चन का महत्व कम हो गया है। स्टेट्स रीओर्गेनाइज़ेशन कमीशन की रिपोर्ट अब तो सबके सामने आ गई है।

श्री भैरोंसिंह (दांता रामगढ़)—इस पर सदन में चर्चा होगी या नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री)—उपयुक्त अवसर पर निश्चित रूप से होगी।

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष—सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व में सदस्यों को सूचित करता हूँ कि श्री केसरी सिंह, विभाजन संख्या ७६, ने विधान सभा की बैठकों से दिनांक ३-१०-५५ से २-११-५५ तक अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिये प्रार्थना की है।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

(विराम)

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता।

राजस्थान नगरपालिका विधेयक, १९५४ (प्रवर समिति के प्रतिवेदन की प्रस्तुति)

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मन्त्री)—माननीय अध्यक्ष, मैं राजस्थान म्युनिसिपेलिटीज़ विधेयक, १९५४ पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन उपस्थित करता हूँ।

राजस्थान भू-राजस्व विधेयक, १९५४ (अग्रेत्तर खण्डशः विचार-विमर्श)

श्री अध्यक्ष—We consider the Rajasthan Land Revenue Bill, 1954; clause 43. All the amendments have been moved.

श्री भैंरूसिंह (वि० सं० १६)-मेरा एक एमेन्डमेंट बाकी रह गया था।

श्री अध्यक्ष—The Hon'ble Member was not present when the amendment was called.

श्री भैंरूसिंह—मैं दवा लेने के लिये चला गया था।

श्री दामोदरलाल व्यास-कल सभी एमेन्डमेंट क्लॉज़ ४३ पर हो गये थे। जब इस क्लॉज पर एमेन्डमेंट लिये जा रहे थे तो माननीय सदस्य अनुपस्थित थे।

कु० श्री जसवन्तसिंह—आप डरते क्यों हैं ?

श्री भैंरूसिंह-यदि अमेन्डमेन्ट मूव हो जाता तो ज्यादा अच्छा रहता।

श्री अध्यक्ष-No.

श्री भैंरोंसिंह (वि० सं० १६)—माननीय अध्यक्ष, इस क्लॉज़ में सरकार ने यह व्यवस्था की है कि सरकार जो नियम बनावे उसके अनुसार कलेक्टर को यह अधिकार होगा कि एक गांव में या किसी गांव के समूह में एक पटेल और लम्बरदार की नियुक्ति हो और कलेक्टर को इस बात की आवश्यकता महसूस हो कि एक से अधिक लम्बरदार की आवश्यकता है तो उस प्रकार की नियुक्ति कलेक्टर कर सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में इस प्रकार की नियुक्तियों को कहीं लम्बरदार के नाम से, कहीं पटेलों के नाम से और कहीं चौधरी के नाम से संबोधित किया जाता है लेकिन सब का सभी स्थानों पर एक सा ही काम है। जहां तक इस बिल में उन लोगों की ड्यूटीज़ निर्धारित की हैं उसको देखने से पता चलता है कि इस प्रकार की नियुक्ति बिल्कुल गैर आवश्यक हैं। यदि हमने जिस प्रकार की ड्यूटीज़ निर्धारित की हैं उस पर दृष्टि डालेंगे तो मालूम होगा कि यह फिजूल खर्ची के सिवाय कुछ नहीं है और यह बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से हमारे सामने आ जावेगी। मैं एक बार माननीय राजस्व मंत्री को पूछने से पहले यह निवेदन करूंगा कि धारा २६ की ओर ध्यान दें और इस प्रकार राजस्थान पंचायत एक्ट, १९५३ में जो पंचायतों के अनिवार्य कर्तव्य होंगे उनमें इन सब का समावेश है; सिवाय एक बात के कि पंचायतों का अनिवार्य कर्तव्य यह नहीं है कि लगान वसूल करे उसको सरकार में जमा करावे। यदि सरकार लगान वसूली के लिये ही इस प्रकार के पटेलों को

[श्री भैरोंसिंह]

नियुक्त करना आवश्यक समझती है तो मैं निवेदन करूंगा कि पंचायतों की अनिवार्य ड्यूटी के साथ अगर माननीय राजस्व मंत्री इसका मुकाबला करेंगे और सोचेंगे तो अवश्य पावेंगे और उनको पता चलेगा कि अनिवार्य पंचायतों की ड्यूटी है, उसमें और इसमें कोई विशेष अन्तर नहीं है; अलावा इसके कि इसमें पटेल की यह ड्यूटी है कि गांव में जितनी पैदावार होगी उसकी रिपोर्ट करेगा। जितने विलेज सर्वेन्ट्स की नियुक्ति होगी और जब कोई विलेज सरवेन्ट मर जाता है, उसकी इत्तिला देनी होगी। इसके कारण किसी चारागाह या रास्तों पर कोई नाजायज तौर पर एनक्रोचमेन्ट होता है तो उसकी इत्तला भी वह देगा। मेरा यह कहना कि जिस प्रकार का नियम हमने बनाया है और उनकी ड्यूटीज़ कायम कर रहे हैं उसमें और पंचायतों में कोई फर्क नहीं। केवल लगान वसूली करना चाहते हैं आप लम्बरदारों से तो मैं यह कहूँगा कि यह सरकार का और पब्लिक का फालतू खर्च होगा।

अब देखना यह है कि पटेलों की व्यवस्था क्यों हुई? अपने देश में अंग्रेजों का राज्य था और अंग्रेज यह चाहते थे कि जितने काश्तकार हों उनमें से पंच व्यक्ति को पकड़ कर उसको कुछ लालच दे दिया जाता था और उसको अपने हाथ में ले लिया जाता था और हाथ में ले लेने के बाद किसी प्रकार का अमल अगर वे कराना चाहते थे तो पटेल के मारफत या किसी प्रकार का लगान लगाना चाहते थे तो थोड़ासा लगान में पटेल को छूट दे देते थे और लगान लगा देते थे और उस पटेल के मारफत गांव में अपनी मर्जी के अनुसार काम करा सकते थे। उस वक्त से यह प्रथा चालू है। इस प्रकार ऐसे आदमियों को थोड़ा सा प्रलोभन दे दिया जाता था। हम किसी को पटेल नियुक्त करते हैं, हम उसके काम के एवज में उसको पैसा रूपया दे पाते हैं या जो कुछ वह लगान वसूल करता है उसके पीछे पैसा रूपया या दो पैसा वह अपने पास रख लेता है। इस प्रकार एक पैसा या दो पैसा लालच के अन्दर वह सरकार के सही या गलत ऑर्डर जो भी होते हैं उनको लागू कराने के लिये वह लोगों को डराता है, धमकाता है। प्रश्न यह आता है कि पटेल के हाथ में ऐसी कौनसी चीज है जिससे लोगों को वह डरा सकता है? आज जितने भी पटेल हैं उन लोगों का काम क्या है? उन लोगों का काम अधिकारियों की सेवा--सुश्रुषा करना है। पुराने जमाने में जिस तरह से बड़े अधिकारी जाते थे उस समय बेगार ली जाती थी उसी प्रकार आज भी जब कोई तहसीलदार या कोई दूसरा अधिकारी चला जाता है तो उसका काम होता है, उसके ठहरने का प्रबन्ध करना, बिस्तर का इन्तजाम आदि करना। जिस प्रकार सामन्तशाही युग में लोगों से बेगार ली जाती थी उसी प्रकार इनसे भी बेगार के रूप में काम कराया जाता है। यह सारा काम पटेल का होता है। अगर इसी पर संतोष कर लिया जाता है तो हम इसको स्वीकार करने के लिये तैयार हैं कि सरकार आयन्दा इसका दुरूपयोग नहीं करेगी लेकिन हम इस प्रकार से डिवाइड एन्ड रूल की पोलिसी जो पुराने जमाने में चली आ रही थी उसको प्रोत्साहन देते हैं और इससे उसको प्रोत्साहन मिलता है। यदि किसी ने सरकार की इच्छा के अनुसार काम नहीं किया और अपनी नासमझी के कारण कलेक्टर या तससीलदार के अन-बन हो गई तो तहसीलदार या कलेक्टर उस पटेल पर यह चार्ज लगावेंगे कि इससे पब्लिक खुश नहीं है, यह लगान वसूल नहीं कर सकता, इसकी जगह दूसरे को पटेल नियुक्त किया जावे। इस प्रकार

[श्री भैरूसिंह]

एक पटेल के स्थान पर दूसरे पटेल को मुकर्रर करने के लिये दूसरे को कहा जाता है कि तुम दरख्वास्त दो । उसको दबाने के लिये यह सब किया जाता है । सरकार दूसरों से एप्लीकेशन् लेती है और शांत वातावरण को अशान्त बना देती है । एक पटेल के साथ अधिकांश लोग होते हैं और दूसरे के साथ भी कुछ होते हैं । जिसके साथ कम आदमी होते हैं उनके साथ पटेल और सरकार के अधिकारियों द्वारा जयादतियें की जाती हैं और उनके आदमीयों को तोड़ कर अपने साथ मिलाने कि कोशिश की जाती है । इस तरह की कार्यवाही से पटेल के चुनावों के सिलसिले में शेखावाटी झुंझुनु और उसके सारे आस पास के गांवों में वातावरण बिल्कुल शान्त नहीं रहा है; यहां तक वातावरण बिगड़ गया है जो पटेल अदालत में जाते हैं और उसके साथ गांव वाले गरीब काश्तकार आते हैं उनको भी परेशान करने की कोशीश की जाती है । किसी पटेल को दूसरे पटेल से दुश्मनी या गरज हो सकती है मगर अधिकारी लोग भी उस पटेल की मदद करते हैं और थानेदार, तहसीलदार आदि जितने भी उस पटेल के पीछे 'उसको नियुक्त करने में होते हैं उसके खिलाफ वाले को ही नहीं बल्की दूसरे गरीब किसानों को भी परेशान करते हैं । इसलिये मेरा निवेदन है कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है । यह तो गांवों में विभाजन करने का एक प्रकार का रास्ता बना रखा है । इसलिये पटेलों की कोई आवश्यकता नहीं । हमें शांत वातावरण गांवों में पैदा करना है और जितने अशान्ति के तत्व हैं उनको मिटाना है । यदि हमने पटेलों की नियुक्ति के साथ २ दूसरों के साथ अधिकारों का दुरुपयोग भी किया तो इससे जनता को कोई फायदा नहीं होगा । में इसके लिये अवश्य कहूँगा कि इससे गांवों में शांति होने वाली नहीं, वहां पर लाजमी तौर से अशान्ति होगी । मैं राजस्व मंत्री से कहूँगा कि इस कानून में पटेल की किसी तरह से आवश्यकता नहीं है । मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि पटेलों की नियुक्ति के कारण गांवों में आपस में झगड़े होंगे और शांत वातावरण अशान्त वातावरण बन जावेगा । हमें इस चीज को समाप्त करना है ।

अब दूसरा प्रश्न आता है । यदि पटेलों की नियुक्ति नहीं होती है तो सत्ताधारी को सस्ता प्रचार नहीं मिलता । पटेलों के जरिये वे सस्ता प्रचार करना चाहते हैं और इसीलिये उसकी नियुक्ति के लिये कोई क्वालीफिकेशन नहीं रखी बल्क सरकार अपनी मर्जी पर उनका अपोइन्टमेन्ट करना चाहती है । होता यह है कि आज चुनावों के अवसर पर किसी भी गांव में जाकर आप देखेंगे तो आपको मालुम होगा कि पटेल कांग्रेस के अलावा किसी भी दूसरी पार्टी का प्रचार नहीं करता । पटेल को तो जो सरकार कहे उसकी हां में हां मिलानी पड़ती है । अगर उसको नौकरी करनी है तो हां में हां मिलनी पड़ेगी । सरकार के जितने भी आदमी इलेक्शन में खड़े होते हैं पटेल उनका प्रचार करते हैं । आज राजस्थान में न मालूम कितने पटेल हैं । अच्छा तो यह हो कि सरकार ऐसी आज्ञा निकाल दे कि पटेल चुनवों के मामलों में किसी प्रकार का भाग न लेंगे और अगर ऐसा आॅर्डर न निकाले तो यह निकाल दे कि वे चाहे जिसका प्रचार करें उनको खुली छूट है, लेकिन हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उसके चाहने का सवाल नहीं होता, उसको तो ऊपर से हुक्म होता है । तहसीलदार,.

Page No.45

[श्री भैरोंसिंह]

नायब तहसीलदार आदि पटेल को हुक्म देते हैं कि इस तरह से फलां नेता या फलां मिनिस्टर यहां से खड़े होंगे; तुमको उनके लिये प्रचार करना होगा, अगर तुमको नौकरी करनी है तो।

मेरा निवेदन कि इस कारण से कि तहसीलदार उस जगह ठहरता है, थानेदार उस गांव में जाकर ठहरता है, क्लेक्टर साहब के लिए वह पटेल, नम्बरदार प्रबन्ध करता है तो इन चीजों से स्वाभावत; उस पटेल का, उस नम्बरदार का उस गांव के लोगों पर उसका असर होता है। इस प्रकार के आदमी से लालच हो सकता है, इस प्रकार के आदमियों को रखने से वोटों को प्राप्त करने का लालच हो सकता है और यदि इस प्रकार का लालच हो सकता है तो इस प्रकार के आदमियों को रखने की हिमाकत नहीं कर सकते। इस प्रकार के लोगों के हाथ में जनता के वोट हैं और उन वोटों को प्राप्त करने के लिए उनको लालच में फंसाया जाता हैं तो यह अन्याय होगा।

(घन्टी)

माननीय अध्यक्ष, दूसरा मेरा कारण है कि आज गांवों में रिश्वत देने की एजेन्सीज़ हैं, कर्मचारियों को भ्रष्ट बनाने की एजेसीज़ है, आज गांवों में पैसा लिया जाता है। अगर किसी का काम होता है उसमें पटेल की सिफारिश मानते हैं, पटेल उनके बीच में पड़ता है, १००)२००) वह तय करता है, मैं समझता हूँ कि इस राजस्थान में ही नहीं बड़े २ नेताओं से सुना है कि पटेल व्यवस्था सारी की सारी भ्रष्टाचार के अड्डे हैं, भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन देने वाली व्यवस्था है। और अगर आज हम इस प्रकार भ्रष्टाचार के अड्डों को प्रोत्साहन देने के लिए पटेल बनाते हैं, नम्बरदार नियुक्त करते हैं तो यह उचित नहीं होगा।

दूसरा मेरा, सुझाव है पटेलों को पंचायतों को अधिकार में देने के बारे में। अगर पटेल पंचायतों के अधिकार में नहीं होंगे तो उन पर नियन्त्रण नहीं हो सकता। पंचायतों को अधिकार दे दिये जांय कि पंचायत जैसा चाहे, जिस तरह से पटेल नियुक्त करे, नम्बरदार नियुक्त करे और लगान वसूली के सबन्ध में जो आदेश हों उनका वे पूरी तरह से पालन करें। इसके साथ ही साथ पंचायतों को ये भी अधिकार हो कि उनकी आवश्यकतानुसार उनकी नियुक्ति करे। यह नहीं हो कि कलेक्टर नियुक्ति करे उनकी और वे लोग पंचायतों के आदेशों का पालन करें, लगान की वसूली करें, यह ठीक नहीं, अगर हमने पंचायतों द्वारा लगान वसूली की संचालन विधि को स्वीकार कर लिया है तो हमें यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि ऐसे जो छोटे २ कर्मचारी हैं वे पंचायत विभाग के अधीन हो और पंचायत विभाग के अधीन होकर वे पंचायतों के आदेशों का पालन करें। यदि हम शांत वातावरण गांवों में बनाना चाहते हैं, यदि हम पंचायतों को प्रोत्साहन देना चाहते हैं और यदि हम पंचायतों के जरिये से रामराज्य की स्थापना करना चाहते हैं तो पंचायतों के नीचे जो और कर्मचारी हैं उनके आपस में संघर्ष न हों, पांचयतों के कामों का,

[श्री भैरोंसिंह]

उनके आदेशों का उलंघन न हो तो उस सूरत में हमें यह मानना पड़ेगा कि ऐसे छोटे २ कर्मचारियों को पंचायतों के अधीन कर देना चाहिए और वे उनके आदेशों का एक मात्र पालन करें। जिससे पंचायतों को प्रोत्साहन मिलेगा, सरकार का काम अच्छा चलेगा।

तीसरा सवाल आता है लगान वसूली का ? लगान कौन वसूल करेगा, सरकार आज मंजूर नहीं करती है लेकिन एक दिन आयगा कि इस बात को सरकार को मंजूर करना पड़ेगा कि लगान सारा का सारा पंचायतों के मार्फत ही वसूल होगा। उसके लिए पंचायत कौन सी एजेन्सी नियुक्त करे, कौन सी चीज़ को पनपाये, वह कौनसी चीज़ की आवश्यकता को महसूस करे और यदि पंचायत यह आवश्यकता महसूस करे कि पटेलों के जरिये से या किन्हीं और व्यक्तियों के जरिये ये वह लगान वसूली कराये, तो वह लगान वसूली करायेगी, लगान सरकार का वसूल हो जायगा। आज इन सारी बातों को देखते हुए इस आधार पर आज पटेलों की कोई आवश्यकता नहीं है, कांग्रेस के एजेन्टों की कोई आवश्यकता नहीं है। (घंटी) भ्रष्टाचार के अड्डों की कोई आवश्यकता नहीं है, नम्बरदारों की कोई आवश्यता नहीं है। अत: मैंने इसलिए संशोधन रखा है कि आप इसमें संशोधन करके इसको एडजस्ट कर दें। लेकिन नम्बरदारों से पार्टी विशेष को प्रोत्साहन देना चाहते हैं, भ्रष्टाचार के अड्डे बनाना चाहते हैं, यह आवश्यक नहीं है। अत: मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे इस क्लॉज़ का लोप कर दें और इससे स्थिति में शांति बना सकेंगे।

श्री मुक्तिलाल मोदी—माननीय अध्यक्ष,.... ...

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय अध्यक्षजी, मेरे ख्याल से माननीय सदस्य इस पर कल बोल चुके हैं।

श्री मुक्तिलाल मोदी—माननीय अध्यक्ष, मैं इस क्लॉज़ का विरोध करता हूँ। पटेलों की नियुक्ति के बारे में और नम्बरदारों नियुक्ति के बारे में जो कलॉज़ सरकार ने रखा है वह समझ में नहीं आता है कि सरकार एक तरफ तो प्रजातन्त्र के सिद्धांत सारी दुनिया के सामने रखना चाहती है और दूसरी तरफ सारी चीज़ अपने हाथ में रखना चाहती है। पंचायत एक्ट में पटेलों के बारे में और दूसरों को अधिकार देने के बारे में कुछ जिक्र किया था। आज ये पटेल और जो नम्बरदार हैं वे किस तरह से भ्रष्टाचार फैलाकर और जनता के अन्दर किस तरह से फूट डालते है माननीय मंत्रीजी खुद भी जानते हैं इस बात को और सारे हाउस में जो लोग बैठे हैं अगर व्हिप कांग्रेस की तरफ से इस्यू न हो तो मैं माननीय मंत्रीजी को बता दूं कि इस क्लॉज़ पर कितने लोग खिलाफ होंगे। परन्तु माननीय अध्यक्ष, यह बताऊं कि आज नम्बरदार लोग सिर्फ इसलिए लगान की वसूली के नाम पर बनाये जाते हैं कि वे लगान वसूली के लिए ही नहीं बल्कि सरकार के एक रहनुमा बने रहें और सरकार का कोई अफसर जाता है, सरकार का कोई आदमी जाता है तो उससे जनता के खिलाफ वह कार्यवाही करता है, गरीब जनता को परेशान कराता रहता है और उनका यह काम रहता है कि हर काम में

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

रोढा अटकता रहे। आज जितने भी केसेज़ चलते हैं वे पटेलों के द्वारा, उन केसेज़ में उनका काफी प्रोत्साहन रहता है, आपस में काफी लड़ाई झगड़ा रहता है और जो वकील लोग हैं उनको ज्यादा फायदा है वे पटेलाई चाहते हैं, हाउस में बैठे कुछ एम.एल. एज़ से बात हुई (घंटी) वे चाहते हैं कि किसी तरह से माननीय अध्यक्ष, मैं यह बताऊ कि सरकार पटेल नहीं रखे तो सरकार का कुछ बिगडने वाला नहीं है। सरकार पंचायतों को चाहे आज नहीं अधिकार दे, माननीय अध्यक्ष, मैं यह बता दूं और दावे के साथ कह सकता हूँ कि दो चार पांच वर्ष के अन्दर-अन्दर सरकार को यह करना पड़ेगा कि लगान पंचायतों के द्वारा वसूल हो और सरकार को पंचायतों के द्वारा लगान वसूल करना पड़ेगा। पटेलों के लिये लगान वसूल करना सीधा कहां से रहता है ? पटवारी रहता है। सारे इलाके में पर्चे बांट दिये गये हैं और जब पर्चे बांट, दिये गये हैं तो सरकार को या पटवारी को या दूसरे लोगों को लगान वसूल करने मे इतनी मुश्किलें नहीं आ सकती। पटेल इसलिए बनाये गये थे कि जागीर इलाके थे, वहां पर्चे नहीं बंटे थे, बहुत से इलाके में नहीं बंटे थे, इसलिये कूंता होता था, पटेल करते थे, तहसीलदार जाते थे, कूंतों के जरिये से लगान वसूल होता था और इसलिये पटेल की आवश्यकता थी लेकिन आज जब कि पर्चे बंट गये हैं सारे राजस्थान के अन्दर, कुछ जगहों में नहीं हुए होंगे, तो पटेल की आवश्यकता नही रहती है। अतः पटेलों का जो क्लॉज़ है उसको सरकार नहीं रखे और माननीय मिनिस्टर साहब भी इस बात को जानते हैं कि इस क्लॉज़ को रखने से कितनी दिक्कतें आती हैं। मैं समझता हूँ कि वे कुर्सी पर बैठे हैं, शायद यह क्लॉज़ किसी तरह से पास हो कुर्सी पर बैठने से।

(घंटी)

अतः मैं माननीय मंत्रीजी से प्रार्थना करता हूँ कि वे इस क्लॉज को हटा दें और पटेलों के क्लॉज़ के बारे में जनता कि जो अपील है, मेरी अपील है उस पर ध्यान दें।

श्री अध्यक्ष— Reply.

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय अध्यक्ष, जहां पटेलों की इन्स्टीटयूशन के रखने का सवाल है जब इस बिल पर जनरल डिस्कशन हुआ था, माननीय सदस्यों ने वे ही विचार रखे थे जो आज रखे हैं और खास तौर पर दांतारामगढ़ से आये हुए माननीय सदस्य के पहले वाले भाषण को और इस भाषण को मिलाया जाय तो वे ही बातें कहीं हैं जो पहले बातें कही थीं।

मैं यह अर्ज करूंगा कि गलत फहमी हुई है माननीय सदस्य को कि वे पंचायतों के फन्क्शन्स और पटेलों के फन्क्शन्स को एक समझे हैं। वास्तव में देखा जाय तो पंचायत के फन्क्शन्स में और पटेलों के फन्क्शन्स में फर्क है। पंचायतों को जो ड्यूटीज़ दी गई है उनको और पटेलों की जो ड्यूटीज़ है बहुत सी उनका संबंध पंचयतों से नहीं है। पटेलों की इन्स्टीट्यूशन इस लिये नहीं रखी जाय और

[श्री दामोदरलाल व्यास]

जैसा कि माननीय सदस्य का कहना है किसानों को दबाने के लिये, लगान का बोझ डालने के लिए या व्यक्तिगत काम कराने के लिये यह है, लेकिन मैं यह अर्ज करूंगा कि इसके लिये वे अपना अनुभव बताते हैं क्योंकि वे ऐसी क्लास से, ऐसी जगह से आये हुए हैं कि जहां पटेल उनके मुकर्रर किये हुए होते थे और बहुत मुमकिन है कि वे उनसे इस प्रकार का काम लेते हैं।

मगर जहां तक पटेलों के रखे जाने का सवाल है पटेलों को खास तौर से इसलिये रखा जाता है कि सरकारी काम के अन्दर वे सरकार की मदद करें और पब्लिक के काम के अन्दर पब्लिक की मदद करें। इस प्रकार के काम पटेलों को सौंप दिये गये हैं जो बहुत जरूरी हैं, इसलिये इस प्रकार की इन्स्टीट्यूशन का गांव के अन्दर रहना सरकार और पब्लिक दोनों के लिए फायदेमन्द है। सरकार को समय समय पर सूचना देते रहें कि गांव वालों को क्या असुविधा है, गांव के फायदे के लिहाज से इस प्रकार की संस्था का रहना जरूरी है।

इनकी ड्यूटीज़ के बारे में मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि जहां तक लगान वसूली का प्रश्न है गांव के अन्दर एक मुखिया ऐसा व्यक्ति हो जो सरकार को समय पर लगान वसूल करके दे दे और जिम्मेदारी के साथ सरकार के खजाने में जमा करा दे। यह जरूर है कि पंचायत एक्ट में इस प्रकार का प्रोवीजन दिया गया है, जब सरकार मुनासिब समझेगी तब इस प्रकार के अधिकार पंचायतों को दे देगी लेन्ड रेवेन्यू के वसूली के सिलसिले के। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए यह अर्ज कर दूं कि सरकार अभी तक इस प्रकार के अधिकार देना नहीं चाहती। क्योंकि इस वक्त हमारी पंचायतों की शुरूआत ही हो रही है, मौजूदा हालत के अन्दर इरादा सरकार का नहीं है: ऐसी स्थिति के अन्दर लगान वसूली के लिये किसी व्यक्ति का होना जरूरी है इसलिये लम्बरदार की पहली ड्यूटी यह रखी गई है कि वह लगान वसूल करे।

सेक्शन ४६ के भाग दो--तीन, चार--पांच, छ, सात, आठ और दस को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका सम्बन्ध पंचायतों से नहीं है। कोई व्यक्ति किसी एबसेन्टी के लेन्ड पर कब्जा कर लेता है तो लम्बरदार की यह ड्यूटी हो जाती है कि वह सरकार को सूचना दे। पंचायत एक्ट में चरागाह की जमीन पर यदि कोई खेती कर देता है तो उसको पंचायत के अधिकार में दिया गया है। चरागाह की जमीन पर यदि कोई काश्त कर लेता है तो सरकार का कर्तव्य है कि उस व्यक्ति को काश्त से रोके और चरागाह जमीन की रक्षा करे।

गांव में सर्वे के मार्क्स होते हैं। उनको कोई शख्स तोड़ नहीं, सकता हटा नहीं सकता। यदि कोई हटाता है या तोड़ता है तो उसकी सूचना देने का काम लम्बरदार का है, यह उसका फरायज़ है अगर कोई कास्तकार अपनी जमीन को छोड़कर चला जाता है। और सूचना नहीं देता है और काश्तकार लगान अदा नहीं करता, तो लम्बरदार का यह फर्ज है कि जिसका कब्जा उस लेन्ड पर है उससे मुआवजा ले और सरकार को सूचना दे। माननीय अध्यक्ष कई मुकदमें इस प्रकार के आते हैं कि जिसमें बहुत से लोग पेन्शन लेने वाले होते हैं वे कहीं जाते हैं या मर जाते हैं किन्तु उनकी जगह दूसरे ही लोग पेन्शन ले लिया करते हैं अगर इस प्रकार कोई करता है

[श्री दामोदरलाल व्यास]

तो लम्बरदार का यह फर्ज हो जाता है कि वह उसकी सूचना सरकार को दे। लम्बरदार का यह भी फर्ज है कि वह गांव में फैलने वाली एपेडेमिक बीमारी की सूचना भी सरकार को दे ताकि समय रहते उस सम्बन्ध में कार्यवाही हो सके। किसी क्षेत्र में अकाल पड़ गया, फसल को नुकसान हो गया हो तो ऐसी खबरें सरकार तक पहुँचाने के लिये इन आदमियों की आवश्यकता है इसलिये लम्बरदारों का रखा जाना बहुत जरूरी है। यह कोई नया इन्स्टीट्यूशन नहीं जो कांग्रेस के प्रचार के लिये हो। यह अरेन्जमेन्ट जो वर्षों से चला आ रहा है उसी प्रकार हम रखना चाहते हैं। इससे जनता और सरकार दोनों को फायदा होगा, इस लिहाज से यह प्रोवीजन रखा गया है। इस एक्ट में इस प्रकार का प्रोवीजन रखने का यह मतलब कदापि नहीं कि नये पटेलों की नियुक्ति होगी और पुरानों को बर्खास्त कर दिया जायगा। यदि माननीय सदस्य को इस प्रकार की गलत फहमी है तो उसे दूर कर देना चाहिये। लम्बरदार जो कायम हैं वही रहेंगे, अगर उन्होंने अपने फर्ज और फरायज का अन्जाम इमानदारी से दिया तो। मैं समझता हूँ माननीय सदस्य को इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं। उनके द्वारा नियुक्त पटेल भी रह सकते हैं, नये नम्बरदार कायम नहीं हो रहे हैं। जो मुकर्रर शुदा लम्बरदार हैं वही रहेंगे। लम्बरदारों की इन्स्टीट्यूशन बहुत उपयोगी संस्था है इसलिये इसका कायम रहना जरूरी है मौजूदा हालत में।

जहां तक पंचायतों का सम्बन्ध है हम चाहते हैं कि पंचायतों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिये जांय जो पंचायत एक्ट में हैं। पंचायतों के फंक्शन और लम्बरदारों के फंक्शन कहीं टकराते नहीं।

अब जो अमेन्डमेन्ट्स माननीय सदस्यों ने पेश किये उनके बारे में अर्ज करना चाहता हूँ। मैं उनमें से कुछ अमेन्डमेन्ट्स को स्वीकार कर लूंगा।

(हियर, हियर)

श्री हिम्मतसिंह—क्या आप लम्बरदारों के बजाय पटेल नाम रखेंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास—(जारी) क्या आपका इस तरह का अमेन्डमेंट है, मैं अस्वीकार नहीं करूंगा।

श्री चांदमल मेहता ने क्लॉज़ ४३ के सब क्लॉज़ (१) में जो अमेन्डमेंट दिया है, "Substitute 'Sub-Divisional Officer' for 'Collector'.

माननीय अध्यक्ष, मैं इस अमेन्डमेंट को स्वीकार करता हूँ। यह मैं ठीक समझता हूँ पटेलों की नियुक्ति और उनकी बरखास्तगी के अधिकार कलेक्टर से हटाकर एस० डी० ओ० को दे दिये जांय। वैसे ही कलेक्टरों के पास बहुत ज्यादा काम रहता है, इस कार्य को एस० डी० ओ० ठीक प्रकार से कर सकेंगे इसलिये मैं इस संशोधन को स्वीकार करता हूँ।

[श्री दामोदरलाल व्यास]

दूसरा इसी प्रकार का अमेन्डमेन्ट श्री श्यामलालजी गोयल का है, सेक्शन ४३ के (बी) का जो अमेन्डमेन्ट है लाइन थ्री सब्स्टीट्यूट "substitute the wors"a lambardar or one or more lambardars· मैं इसको भी स्वीकार करता हूं ।

श्री चान्दमल मेहता के संशोधन नं० २. और ३ के मन्जूर करने की आवश्यकता नह रहती चूंकि श्री श्यामलाल जी गोयल के अमेन्डमेन्ट स्वीकार कर लिये गये हैं। नंबर थ्री में "group of villages', को डिलीट करने की आवश्यकता नहीं। इन सब सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पटेलों और नम्बरदारों को मुकर्रर करने की आवश्यकता होती है।

इसी प्रकार का एक अमेन्डमेन्ट श्री श्यामलाल जी का भी है जिसमें उन्होंने कहा है कि 'एनी' शब्द।को निकाल दिया जाय। मैं इसको आवश्यक नहीं मानता। "Subject to any rules" का मतलब यह है कि जो रूल्स सरकार बनायेगी उसी तहत उनकी नियुक्ति होगी। मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वासन देता हूं कि पटेलों की नियुक्ति के बाबत रूल्स बनेंगे। आज भी बगैर रूल्स के पटेलों की नियुक्ति नहीं होती और न आयन्दा भी होगी। इसके लिये रूल्स बनाये जायेंगे।

जहां तक प्रश्न यह है कि नाम नम्बरदार रक्खा जावे या पटेल रक्खा जावे, इसके बारे में मैं अर्ज करूंगा कि किसी जगह नम्बरदार को ही नम्बरदार कहते हैं, किसी जगह पटेल कहते हैं और किसी जगह चौधरी कहते हैं.पर नम्बरदार यह शब्द ऐसा है जो देश में जगह २ ज्यादा इस्तैमाल में आता है इसलिए यह नम्बरदार नाम ही रखना ठीक है। इसमें तो ऐसा है कि पटेल ही फिर क्यों रक्खा जावे, कोई और भी यह कहेगा कि चौधरी रक्खा जावे, कुछ कहेंगे नम्बरदार रक्खा जावे, कुछ कहेंगे पटेल रक्खा जावे इसलिए एक ही शब्द अधिकतर या पूरा का पूरा इस्तेमाल हो, इसलिए यहां हमने नम्बरदार नाम रख दिया है, इसलिये जो सुझाव मेरे माननीय मित्र श्री हिम्मतसिंहजी ने पेश किया है उसको स्वीकार करने में मैं असमर्थ हूं।

इसके अलावा•••

श्री भैरोंसिंह (१६)—जो नम्बरी होता है उसको ही नम्बरदार कहा जाता है, इसलिये भी यह नाम आवश्यक है।

(हंसी)

श्री दामोदरलाल व्यास--इस क्लॉज़ के अन्दर श्री मेहता साहब का और भी अमेन्डमेन्ट है सब क्लॉज (२) के बारे में, वे उसको सब्स्टीट्यूट करके दूसरा क्लॉज एड करवाना चाहते हैं। इसमें अर्ज यह करूंगा कि वें जो बात लाना चाहते हैं कि अगर नम्बरदार माइनर है, इन्सेन है, अनफिट है, फीमेल है तो उसके लिए एस. डी. ओ को कुछ अधिकार दिये जावें, तो इसके लिए अर्ज करूंगा कि ये सब बातें रूल्स से सम्बन्धित हैं और इसके लिए रूल्स जब बनाये जावेंगे अपोइन्टमेन्ट, क्वालिफिकेशन्स वगैरह २ के बारे में तो ये बातें भी नम्बरदार के लिए रूल्स में शामिल की जावेंगी और ये जो बातें हैं रूल्स में आने लायक हैं, इनको यहां इस एक्ट में लाना जरूरी नहीं। इसलिए यह अमेन्डमेन्ट गैर जरूरी होंगे। जो पहले से क्लॉज़ है वही रहना चाहिए।

इसी तरह से एक अमेन्डमेन्ट श्री श्यामलालजी का है जिसमें उन्होंने यह प्रोवीजन रखने की कोशीश की है कि अगर क्लेक्टर चाहे तो इनकी तादाद कम कर सकता है। तो जहां एडिशनल करने का प्रश्न है वहां जब क्लक्टर को अधिकार दिया गया है तो उसको कम करने का अधिकार देना में वाजिब समझता हूं। तो ऐसी सूरत में मैं इस अमेन्डमेन्ट को ठीक समझता हूं और इसे स्वीकार करता हूं। अगर कम करने की आवश्यकता पड़े तो क्लेक्टर कम भी कर सकता है।

मेरे खयाल से मैंने सब अमेन्डमेन्ट्स डील कर दिये हैं। जिनको स्वीकार किया है वह माननीय सदस्यों के व्यक्त किये गये विचारों को और उनकी बहस को ठीक समझ कर किया है; बाकी जो रह गये हैं उनके लिए में उम्मीद करता हूं कि माननीय सदस्य अपने २ अमेन्डमेन्ट्स को विदड्रा कर लेंगे।

श्री श्यामलाल गोयल—एस. डी. ओ. रह जावेगा ...

श्री अध्यक्ष—Order.

श्री दामोदरलाल व्यास—क्लेक्टर की जगह एस. डी. ओ. हो जावेगा। सब क्लॉज़ (२) में भी क्लेक्टर की जगह एस. डी. ओ. रह जावेगा।

श्री श्यामलाल गोयल—एक अमेन्डमेन्ट जो मन्जूर किया है उसमें लिखा है :

"The word 'Collectior' shall be replaced by 'Sub-Dlvisional Officer'"

श्री अध्यक्ष—दो किये हैं आपके।

श्री श्यामलाल गोयल—मेरा एक अमेन्डमेन्ट नम्बर ११६ है। इसमें मैंने ओरीजिनल में क्लेक्टर किया है पर अब चूंकि माननीय मन्त्री महोदय ने मेरा क्लेक्टर की जगह एस. डी. ओ.

[श्री श्यामलाल गोयल]

का संशोधन स्वीकार कर लिया है इसलिए इसमें भी क्लेक्टर की जगह एस. डी. ओ. कर दिया जावे।

श्री अध्यक्ष—That is implied. The language will de recasted.

वह तो हो जावेगा !

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—I would not press may amendment.

श्री अध्यक्ष—So I take the amendments one by one.

श्री हिम्मतसिंह—does not press his amendment.

Shri Chandmal Mehta.

श्री चांदमल मेहता—इस क्लाज पर मेरे पांच अमेन्डमेन्ट्स थे। पहला मन्जूर किया गया और दूसरा जो था उसी ढंग का श्री श्यामलालजी का मन्जूर कर लिया गया है; तो इसलिये मैं उसे वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

इसी तरह तीसरा जो है उसको भी वापिस लेने की सदन की अनुमति चाहता हूं।

पर सबक्लाज (२) पर मेरा जो चौथा अमेन्डमेन्ट है, माननीय मन्त्री महोदय ने उसे ध्यान से देखा नहीं है या जो कुछ मैं उस सम्बन्ध में निवेदन कर रहा था उसे सुना नहीं है। नहीं तो वे इसे भी निश्चित तौर पर मन्जूर कर लेते।

जहां हम यह व्यवस्था करने जा रहे हैं कि नम्बरदार की नियुक्ति कौन करेगा तो साथ में यह भी आवश्यक है कि अगर कोई नम्बरदार का स्थान रिक्त हो जावे तो उसकी क्या व्यवस्था होगी। तो इस व्यवस्था के लिए मैंने अपने संशोधन नम्बर ४ में यह निवेदन किया है कि अगर नम्बरदार का स्थान रिक्त हो जावे तो एस. डी. ओ. उसकी नियुक्ति कर सकेगा। तो इसलिए मैं राजस्वमन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस पर फिर विचार करें और संशोधन नम्बर पांच जो है उसके आधार पर रूल्स में प्रोवीज़न रख देंगे। इस आशय का जो आश्वाशन दिया गया है उसके आधार पर मैं इसे वापिस लेने की सदन से अनुमति चाहता हूं।

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय सदस्य ने अपने संशोधन नम्बर चार के बारे में जो कहा उसके बारे में मैंने पहले बताया कि जब रूल्स बनेंगे तो इसके लिए भी डेफीनिट प्रोवीजन उसमें होगा। अगर कोई स्थान रिक्त होगा तो उसकी नियुक्ति का भी प्रोवीजन उसमें होगा, अगर कोई माइनर है; इनसेन है; अनफिट है; या फीमेल आदि है तो इन सब का भी प्रोवीजन इन रूल्स में

[श्री दामोदरलाल व्यास]

होगा। इन चीजों को क्लॉज़ में रखना जरूरी नहीं और भी जिन जिन स्टेटों में नम्बरदारी सिस्टम है वहां भी इसके लिए रूल्स ही बने हुये हैं और अगर उनके रूल्स को आप देखेंगे तो उनमें प्रोवीजन है, उनमें जिस प्रकार आप ऐसे एक्ट में रखना चाहते हैं। इसलिए मैं यही निवेदन करूंगा कि ये बातें एक्ट में रखनी आवश्यक नहीं हैं, रूल्स में रख दी जावेंगी।

श्री चांदमल मेहता—राजस्व मंत्री महोदय ने फिर दूसरे प्रोविन्सेज़ की आड़ लेकर यह जवाब दिया है कि वहां भी रूल्स में यह सब प्रोवीजन हैं। तो मैं यह साफ कर देना चाहता हूँ कि, मेरे पास कुछ प्रोविन्सेज़ के एक्ट मौजूद हैं जिनमें इस तरह की व्यवस्था एक्ट में है। अगर वे देखना चाहें तो मैं उन्हें बता सकता हूँ। वे रूल्स में होने की और एक्ट में नहीं होने की दूसरे प्रोविन्सेज़ के लिये बात न करें। पर फिर भी चूंकि उन्होंने यह कहा है कि इस सम्बन्ध में रूल्स में समावेश कर देंगे तो इसलिये मैं अपना चौथा संशोधन भी वापिस लेने की सदन से अनुमति चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष—क्या यह सदन की अनुमति है कि इन्हें अपने संशोधन वापिस लेने की आज्ञा दी जावे, अलावा उनके कि जो स्वीकार हो चुके हैं ?

(स्वीकृत)

अनुमति दी गई।

श्री चांदमल मेहता—मैं अपने संशोधन वापिस लेता हूँ।

श्री अध्यक्ष—श्री श्यामलाल गोयल के सब हो गये।

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री चांदमल मेहता ने रक्खे हैं, लिस्ट नम्बर २ के सीरियल नम्बर ३५ में, उसको स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री श्यामलाल गोयल ने लिस्ट नम्बर ४, सीरियल नम्बर ११५ का बी भाग और लिस्ट नम्बर ४ सीरियल नम्बर ११६ जो रक्खे हैं वे स्वीकार किये जावें।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किये गए।

श्री श्यामलाल गोयल—मैं मेरा संशोधन नम्बर ११५ ए को वापिस लेने की सदन से अनुमति चाहता हूँ ।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है ?

(स्वीकृत)

अनुमति दी गई ।

श्री श्यामलाल गोयल—मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूँ ।

श्री अध्यक्ष—Shri Himmat Singhji does not want to press. It will be deemed as withdrawn.

श्री हिम्मतसिंह—आवश्यकता क्या है, कुछ समझ में ही नहीं आती है उनके हमारी बातें तो फिर...

(हंसी)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४३, संशोधित रूप, में विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ४३, संशोधित रूप में, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

क्लॉज़ ४४, श्री हिम्मतसिंह (अटरू) ।

श्री हिम्मतसिंह—अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ४४ के बाबत मेरा अमेन्डमेंट है १४७ ।

"(1) Replace the word 'Lambardar' in line 2 by the word 'Patels'."

इसको तो मैं प्रेस करना ही नहीं चाहता क्योंकि नम्बरदार ज्यादा प्रिय है माननीय मन्त्री महोदय को, पटेल ज्यादा प्रिय नहीं है, इसलिये इसको तो छोड़ दिया जावे । बाकी को मैं प्रेस करना चाहता हूँ ।

"Delete the existing parts of the Clause and substitute in their place the following;

[श्री हिम्मतसिंह]

(a) Majority of opinion of the khatedars of the village or villages as the case may be.

(b) Hereditary claims.

(c) khatedari value of the candidate;

(d) Education.

(e) Residence in the village ares.

(f) Character and reputation, and

(g) Age.

(राजाधिराज श्री अमरसिंह, सभापति, १०. १० बजे पदासीन)

(करतल ध्वनि एवं "हियर हियर)

चेयरमेन महोदय, मैं मिनिस्टर महोदय इन चार्ज ऑफ दी बिल से यह जाहिर करना चाहता हूं कि भूतपूर्व कोटा रियासत में पटेलों की नियुक्ति के लिये सबसे पहली क्लॉज़ जो मैंने इसके अन्दर मेजोरिटी ऑफ ओपीनियन आफ खातेदार्स की रखी है, वह लागू हो, और उस पर ही अमल हो। पटेलों का गांव के मत से चुनाव होता है; ऐसा नहीं है कि जिसको चाहा पटेल बना दिया। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि हेरिडिटेरी का क्लेम भी देखा जाता है, लेकिन केवल हेरिडिटेरी क्लेम के ऊपर ही पटेल बनाने का आधार नहीं माना जाता है। वहां पर जितने खातेदार उसके क्षेत्र में हैं उन खातेदारों के मत के ऊपर ही उसका चुनाव होता है। लेकिन जो बिल है उसके अन्तर ऐसी बात नहीं रखी गई है। इस जमाने को देखते हुये कि यह चीज़ वाजिब कि खातेदारों का मत उसके ऊपर लेना बहुत ही जरूरी है। खातेदारों के मत के ऊपर ही अधिकतर आपके लम्बरदार बनने चाहिये कि आपकी इच्छा के मुताबिक किसी को बना दिया जाय। दूसरे, हेरिडिटेरी क्लेम भी इसके अन्दर रखा है बिल में, और मैंने भी उसी को रखा है।

'एन्ट्रीज़ इन विलेज रेकॉर्ड' इसको कोई स्पष्ट नहीं किया गया है। 'एन्ट्रीज़ इन विलेज़ रेकॉर्ड' को ज्यादा स्पष्ट करने के लिये यह जरूरी है कि यह देखा जाय कि एक खातेदार के कब्जे में कितनी वेल्यू की जमीन है। वह दो बिस्वे का खातेदार है या हजार पांच सौ बीघे का खातेदार है। जितना बडा खातेदार होगा उतना ही उसका प्रभाव गांव के ऊपर ज्यादा रहता है और बिना खातेवाला आदमी जो है उसका गांव वालों पर प्रभाव नहीं हो सकता है। जब कि हम चाहते

[श्री हिम्मतसिंह]

हैं कि वह सरकार को मदद दे ऐसी हालत में ऐसा आदमी मदद नहीं दे सकता है। हमें चाहिए कि प्रभावशाली व्यक्ति को ही जहां तक हो गांव का लम्बरदार या पटेल बनाया जाय।

आपके बिल में ऐजुकेशन के बाबत में कोई इसके लिए नहीं रखा है। कोटा स्टेट में एजुकेशन को मुख्य प्रधानता दी है। जहां तक हो पटेल एजूकेटेड होना चाहिये। आज कल तो गांवों में जगह जगह स्कूल खुल गये हैं और एजूकेटेड पटेल मिल सकते हैं। कई लड़के निकल रहे हैं और पटेलों के लड़के भी पढ़े लिखे हो सकते हैं। एजूकेशन के ऊपर जोर देना बहुत जरूरी है। जितने ही एजूकेटेड पटेल या लम्बरदार मिलेंगे उससे सरकार का काम ज्यादा आसानी से चलेगा बनिस्बत इसके कि निरक्षर भट्टाचार्य को पटेल बना दें।

"रेजीडेन्स इन दी विलेज ऐरिया"; इसमें सिर्फ यह लिखा है कि रेज़ीडेन्स इन दी विलेज तो मैंने इसमें तरमीम क्यों किया है ? 'रेजीडेन्स इन दी विलेज एरिया' रहने से तो गांव के अन्दर कोई ढाणी भी होती हैं तो कोई ढाणी में रहता है उसको विलेज नहीं मानते हैं। पटेलाई का एरिया दो-तीन गावों को मिलाकर होता है। उन पर एक पटेल मुकर्रर किया जाता है। तो उस एरिया के अन्दर रेजीडेन्स हो तो उसे पटेल बनने का हक दिया जा सकता है।

दूसरी बात यह निवेदन करूंगा कि रेप्युटेशन बहुत जरूरी बात है। जिसको हम लम्बरदार या पटेल बनाते हैं उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए। चरित्रहीन पुरूषों को पटेल बनाने से कोई लाभ सरकार को हो नहीं सकता और न गांव वालों को मदद मिल सकती है।

तीसरी बात उम्र की है। उम्र का लिहाज जरूर होना चाहिए। हम नहीं चाहते कि माइनर को पटेल बनायें। स्त्री या पुरूष को पटेल बनाने में कोई आपत्ति नहीं है। जहां तक हो उम्र का लिहाज इसमें होना चाहिये।

इसलिए क्लॉज़ ४४ पर जो मैंने अपने एमेंडमेंट रखे हैं, मैं समझता हूं कि जहां तक यह अमेंडमेंट हैं वह हमारे कोटा के पटेलाई एक्ट के मुताबिक ही हैं और वास्तव में वाजिब भी हैं। मिनिस्टर महोदय, मैं ख्याल करता हूं, इसके ऊपर जरूर गौर करेंगे और इसको स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

श्री भैरू सिंह (१६)—Mr. Chairman, Sir, I beg to move the following amedment to Clause 44—

"Add the following proviso to this clause .

Provided that no person shall be appointed if he is mentally or physically unfit or has been dismissed from any Government service in a case involving moral turpitude within a period of three years.

[श्री भैरोंसिंह]

Provided further that no preson shall be appointed if he at the time of appointment is unable to read and write Hindi and fails to produce a security of Rs 1,000/-- and a certificate of good character from the panchayat in which he resides.''

माननीय चेयरमेन, मैंने जो संशोधन प्रस्तुत किया है वह इस क्लॉज को देखते हुए बड़ा ही आवश्यक प्रतीत होता है। क्लॉज़ ४४ के मातहत सरकार ने यह व्यवस्था की हैं कि जो पटेल नियुक्त किये जायेंगे उनकी नियुक्ति में किन २ विशेष बातों का ध्यान रखा जायगा। उन्होंने इस कानून के जरिये पहले यह तरीका अपनाया है कि लोकल कस्टम्स जितने भी होवेंगे उनका उसकी नियुक्ति के अन्दर विचार कर लिया जायगा। दूसरा, पटेलों के हेरीडिटेरी क्लेमस् जो हैं तो उनको भी महत्व दिया जायगा। तीसरा, रखा है कि विलेज़ रेकॉर्ड्स जो हैं उन रेकॉर्ड्स में उनके नाम पर कितनी एन्ट्रीज़ हैं या उस गांव में कितनी एन्ट्रीज़ हैं, इस बात को भी ध्यान में रखा जायगा। चौथा रखा है कि गांव बाशिन्दा हो। रेजीडेन्स के जितने तथ्य हैं उन तथ्यों का विचार रखा जायगा। पांचवां रखा है कि अंदर मेटर्स एज़ मे बी प्रेस्क्राइब्ड और भी ऐसे कई हो सकते हैं जिनको सरकार निर्धारित करेगी। लेकिन मैंने अपना जो संशोधन रखा है उसके द्वारा इन पांच बातों के साथ मेरे संशोधन में दो चीज़े है वे बिल्कुल आवश्यक हैं।

माननीय चेयरमेन, पटेलों के नीचे विलेज सर्वेन्ट्स नाम की एक संस्था बनाने वाले हैं। विलेज सर्वेंट्स की नियुक्ति होगी और वह पटेलों को सहायता देंगे। विलेज सर्वेन्ट्स की आवश्यक क्वालिफिकेशन निर्धारित करेंगे तो मैं समझता हूं कि पटेलों की क्वालिफिकेशन उनसे कम नहीं होनी चाहिए। क्लॉज ४४ के साथ साथ हम धारा ५५ को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है डिस्क्वालिफिकेशन्स फोर एप्वाइन्टमेंट ऑफ विलेज़ सर्वेन्ट और उसमें जिक्र किया है।

"Disqualifications for appointment. No person shall be eligible for appointment as a village servent, who--

(a) has not attained the age of majority ; or

(b) is not physically or mantally capable of discharging the duties of his office, or

(c) does not reside in the area for wich he is appointed, or

(d) has been convicated by a Criminal Court of an offence involving moral turpitude. "

अब इस जगह यह देखना पड़ेगा कि पटेलों की क्वालिफिकेशन्स इन चीजों में नहीं लेते है जिन चीज़ों के आधार पर उस पद के अयोग्य घोषित किया जाता है और नीचे की संख्या, विलेज़

[श्री भैरोंसिंह]

सर्वेन्टस की जो संस्था है, उसके लिए हम यदि किन्ही डिस्क्वालिफिकेशन्स के कारण उसकी नियुक्ति नहीं करते है, इन चीजों को निर्धारित करते हैं तो कम्पेरेटिव दृष्टिकोण से सोचना पड़ेगा कि नीचे वालों के लिए आवश्यक समझते है, इस प्रकार के आधार की आवश्यकता समझते हैं, तो उसके ऊपर के पद जब कि दोनों बिल्कुल एक दूसरे के कोऑपरेटिव स्तर पर काम करने वाले हैं उस आधार पर आवश्यक नहीं समझते हैं तो मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल अदूरदर्शिता का कदम होगा।

जिस तरह अभी माननीय राजस्व मंत्री ने परबतसर से आये हुए माननीय सदस्य के एक संशोधन के उत्तर में बताया कि इन चीजों को हम कानून के अन्तर्गत जो नियम बनेंगे उन नियमों में समावेश करेंगे। यदि नियम में समावेश करने की आवश्यकता महसूस करते हैं तो उस आवश्यकता के कारण जिस तरह कि विलेज सर्वेन्ट्स के लिए इसी कानून में आधार बनाने की आवश्यकता समझते हैं उसी दृष्टिकोण को लेकर पटेल को क्वालिफिकेशन्स का समावेश मैं समझता हूं कि बहुत ही जरुरी चीज होगी।

मेरा दूसरा संशोधन ऐसा है जिसमें पटेलों की विशेष क्वालिफिकेशन्स होनी चाहिए। वह है कि जो पटेलों की ड्यूटीज़ हमने निर्धारित की हैं उन ड्यूटीज़ को ध्यानपूर्वक देखें तो जितने कार्य निश्चित किये हैं वे सारे कार्य ऐसे हैं कि उन कार्यों को सुचारू रुप से चलाने के लिए आवश्यक है कि वह पटेल पढ़े-लिखे हों या नहीं। हमने उसको कई प्रकार की सूचना के देने लिए जिम्मेदार बनाया है कि गांव में कितनी पैदायश हुई है, कितने मरे हैं उसका रैकार्ड तैयार करके सूचना देने को जिम्मेदारी उसकी है, गोचर भूमि और विलेज की भूमि पर एन्क्रोचमेंट होता है उसकी सूचना देने के लिए उसकी डयूटी बनाई है।

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, पदासीन)

विलेज सर्वेन्ट्स से किस प्रकार काम लेंगे। वह काम लेने का जो तरीका है वह हमने निर्धारित करके पटेल को अधिकार दिया है कि वह उनसे काम ले। इस प्रकार हमने कई प्रकार के कार्यों के लिए उसे जिम्मेदार बनाया है। तो जब हम किसी व्यक्ति को जिम्मेदारी देते हैं तो हमें यह सोचना पड़ता है कि इतनी जिम्मेदारियां उठाने वाला आदमी पढ़ा लिखा है या नहीं, जो ड्यूटीज हमने उसे दी हैं उनको संपादित कर सकेगा या नहीं। इन सब भावनाओं का समावेश इस धारा में करने के दृष्टिकोण से मैंने अपना संशोधन रक्खा है। मैं समझता हूँ, राजस्थान में आज इस प्रकार की दिक्कतें हैं इसलिए मैंने यह आवश्यक समझा है कि जो पटेल इतनी ड्यूटीज को अंजाम देने वाला होगा उसके लिये यह आवश्यक होगा कि वह पढ़ा लिखा हो। मैंने अपने संशोधन में यह नहीं लिखा है कि वह मिडिल पास हो, मेट्रिक पास हो या ग्रेजुएट हो या उसको कोई टेक्निकल ज्ञान हो। लेकिन मैंने यह लिखा है कि उसको मामूली हिन्दी पढ़ने लिखने का ज्ञान जरूर हो। मामली हिन्दी

[श्री भैरोंसिंह]

पढ़ा लिखा हो जिससे उसको ज्ञान हो कि फलां के खाते में इस प्रकार की गलती है, फलां चौधरी के खेत में इतनी पैदायश हुई है आदि बातें उसको मालूम होनी चाहिये ताकि उसकी ड्यूटीज़ के अनुसार जिन बातों की सूचना किसी ऊंचे अफसर को देनी आवश्यक है उसे देने के लिए वह किसी दूसरे का आश्रित न हो। यदि पटवारी को सूचना देनी आवश्यक है या यदि सूचना पंचायत को देने का कानून में लिखा है तो उनको सूचना आसानी से दे सके या तहसील में सूचना देनी है तो वहां पर भी लिखकर भेज सकता है। यदि पटेल और पटवारी में आपस में संघर्ष है और गांव में पटवारी का प्रभाव है तो उसको पढ़ा लिखा नहीं होने की हालत में दूसरों से चिठ्ठी लिखानी होगी और इसके लिए उसको अपने आपको एक्सपोज़ करना होगा। पटवारी या पंचायत की शिकायत करनी है तो दूसरे लोगों के पास जायगा और जिन सीक्रेट बातों को वह किसी और को नहीं कहना चाहता है लेकिन मजबूर होकर पत्र लिखने वाले को ये बातें बतलानी पड़ेंगी और वह आदमी यदि पटवारी या पंचायत से मिला हुआ होता है तो उस पर उसका असर पड़ता है क्योंकि यदि ऊपर पटवारी या दूसरा कोई अफसर है उसकी शिकायत करने के लिए तहसीलदार या डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर में वह तब तक नहीं पहुंच सकता जब तक कि उसके पास खर्चा न हो। तो उसके पास सिवाय इसके दूसरा कोई उपाय नहीं है कि पत्र लिखकर सूचना दे। लेकिन पत्र लिखेगा कौन ? इसके लिये उसको दूसरों के पास जाना पड़ेगा और उसके पास जो सीक्रेसी है जिसे वह केवल इन्क्वायरी ऑफिसर को बताना चाहता है वह सीक्रेसी उस पत्र लिखने वाले को बतानी पड़ेगी और सारे तथ्य उस व्यक्ति के सामने पेश करने पड़ेंगे। उसका नतीजा यह होगा कि यदि उस व्यक्ति और पटेल के बीच में ५-१० दिन बाद कोई संघर्ष हो गया या जिसकी शिकायत की गई है उससे उसका विशेष संबंध है तो जो सूचना भेजी गई है वह उसको बता देगा। इसलिये मेरा मतलब यह है कि पटेल स्वयं सूचना दे सके, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये। पढ़ा लिखा होने के सिवाय यह बात हो नहीं सकती। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि पटेल पढ़ा लिखा होना चाहिये।

मेरा दूसरा संशोधन यह है कि पटेल फ़िज़ीकली और मेन्टली अनफिट नहीं होना चाहिये। राजस्व मन्त्रीजी अपने जवाब में मंजूर करेंगे कि ऐसे आदमी को पटेल नहीं बनाया जायगा। वे शायद इस बात को भी मंजूर करेंगे कि ऐसे आदमी को भी पटेल नहीं बनाया जायगा जिसके चरित्र के बारे में कोई शिकायत हो या जनता में उसका अविश्वास है तो ऐसे आदमी को भी पटेल नहीं बनाया जायगा। जब विभाग की तरफ से यह शिकायत है कि उसका चरित्र ठीक नहीं है तो यह उसकी डिस्क्वालिफिकेशन होनी चाहिये। हमको इस तरह की डिस्क्वालिफिकेशन बनानी पड़ेगी और बनानी चाहिये क्योंकि इसका बनाना न्याय संगत होगा।

मेरा तीसरा संशोधन यह है कि पटेलों से १००० रु. की जमानत ली जाय। हमने पटेल के काम को निर्धारित किया है। वह काश्तकारों से लगान वसूल करेगा। वही लगान की पटवारी या तहसीलदार के यहां ट्रेजरी में जमा करायेगा। यदि हम अकाउन्ट्स रूल्स को देखते है तो पता चलेगा

[श्री भैरोंसिंह]

कि जिस आदमी को हम अकाउन्टेट बनाते हैं और जिसके हाथ में हम १०० रु०का अकाउन्ट भी देते हैं तो उसको अकाउन्टस् के रूल्स के अंतर्गत और प्रशासनिक मामलोंके अन्तर्गत जमानत पेश करनी होगी। अनेक लोग राजस्थान में जमानत के अभाव में सरकार के रुपये लेकर भाग गये हैं, उन्होंने सरकारी रकम का गबन किया और उनसे रिकवरी नहीं हो सकी। इसलिये जिनके पास अकाउन्ट है, उनकी सरकार के पास जमानत नहीं है तो यह अच्छा नहीं है। इसलिये जिन को रुपये इक्टठा करने, रूपये जमा कराने या सरकारी रूपयों को एक रात या एक दिन के लिये भी अपने पास रखने का काम सोंपा गया है ऐसे व्यक्तियों की जमानत लेना आवश्यक है; नहीं तोजमानत के अभाव में किसी पटेल को रूपये जमा कराने हैं तो वह ४ व ५ दिन रूपये अपने काम में लेने के बाद जमा करायगा; तो भी उसको कोई भय नही होगा या वह रूपये लेकर फरार हो जाता है तो जमानत के नहीं होंने से वसूल नहीं कर सकते। कोटा से आनेवाले एक माननीय सदस्य ने एक संशोधन प्रस्तुत किया था कि उसकी जमीन की हैसियत आंकनी पड़ेगी कि वह सरकार को कितना लगान देता है। मैं मानता हूं कि वह उचित संशोधन था। उसके पीछे एक जबर्दस्त भावना है और वह यह कि पटेल ऐसा आदमी बनाया जायगा जिसके पास काफी जमीन है। यदि वह जमीन छोड कर चला जाय तो उसकी जमीन से रकम वसूल की जा सकती है। वे कह सकते हैं कि इसके पास १०० बीघा जमीन है। लेकिन जमीन के भावों में और अनाज के भावों में स्लम्प आता रहता है। यदि उस तरफ नजर डालते हैं तो पता चलता है कि आज तो लोगों को जमीन की आवश्यकता है और उसकी बहुत कदर की जाती है लेकिन एक समय ऐसा आ सकता हैं जब किसान सोचे कि इस भूमि से किसी तरह से पिंड छूटे। दूसरी पंच-वर्षीय योजना में हमारे देश में इन्डस्ट्रियल डेवलप्मेन्ट होने वाला है। लोगों की रूचि उस तरफ अधिक हो सकती है। लोग सोचें कि अब काश्त में फायदा नहीं है इसलिये इन्डस्ट्रीज़ में जावें। ऐसी भावना के कारण भूमि की जिस वख्त मांग कम होगी, यह हम अभी नहीं कह सकते कि जमीन की आवश्यकता कम होगी ही, लेकिन यदि ऐसा हो गया तो रकम लेकर भागनेवाले से जमीन की मार्फत पूरी रकम शायद ही वसूल कर सकेंगें। मैं राजस्व मंत्री को बताऊंगा कि अकाउन्ट्स रुल्स में ऐसे नियम हैं कि जिनका संबंध पेसों से है, उनकी जमानत ली जाय। जमानत नहीं लेने से आर्थिक संकट आता है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि उनकी जमानत लेनी ही चाहिये। मेरे चार संशोधन जो हैं उनमें से पहला तो यह है कि पटेल पढ़ा लिखा होना चाहिये, दूसरा संशोधन यह है कि मेंन्टली और फिजिकली अनफिट नहीं हो, तीसरा संशोधन यह है कि रिश्वत के मामले में या चरित्र के मामले में ५ साल का बर्खास्तशुदा न हो और मेरा चौथा संशोधन है कि पटेलों की जमानत लेनी चाहिये। इसके अलावा एक और बहुत महत्व का संशोधन मैंने यह रखा है कि पटेल को अपने चरित्र के संबंध में संबंधित पंचायत का सर्टिफिकेट पेश करना पड़ेगा। इसके लिए या तो सरकार अलग से नियम बनावे या मेरा संशोधन स्वीकार करें। यदि संशोधन स्वीकार नहीं करें तो नियमों में इनकॉरपोरेट करना पड़ेगा। यह एक भावना है कि हम किसी व्यक्ति को अपॉइन्ट करें उससे पहले उससे हमें सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। उसके बारे में जानकारी कौन दे सकता है कि उसका चिरित्र किस प्रकार का है, वह क्या काम करता रहा है, उस--

[श्री भैरोंसिंह]

का संबंध जमीन से किस प्रकार है, कभी काश्त करता है या नहीं, कहीं से कभी बर्खास्त तो नहीं हुआ हैं, पढ़ा लिखा है या नहीं; ये सारी बातें हमारे लिये जाननी आवश्यक हैं। मान लीजिये वह पढ़ा लिखा है, उसके पास जमीन है, खेती भी करता है, बर्खास्त भी नहीं हुआ है लेकिन इतना होते हुए भी उसका चरित्र अच्छा नहीं हैं, लोगों से झगडा करता है, लोगों का उस में विश्वास नहीं है। ये ऐसी चीजें है जिनके बारे में जांच करना आवश्यक होगा और यह जांच यदि कोई गिरदावर, पटवारी या और किसी से करावें तो वे व्यक्ति बाहर के हैं इसलिए उसके बारे में अच्छी तरह से जान नहीं सकते। उसको प्रलोभन देकर, लालच दिखाकर कुछ कहला सकता है कि उसका चरित्र अच्छा है, गांव के लोगों के प्रति सद्भावना रखता है, सेवा कर सकता है। लेकिन हमको उन पर विश्वास नहीं करना चाहिये। उन पर विश्वास न करके हम ग्राम पंचायतों को अधिकार दें कि वे इस बात का सर्टिफिकेट दें कि उस आदमी का चरित्र अच्छा है। इस कारण से उसकी नियुक्ति यदि की जाय तो किसी को एतराज नहीं। इसलिये मैंने यह संशोधन रखा है कि वह व्यक्ति पंचायत से सर्टिफिकेट हासिल करे कि उसका चरित्र अच्छा है, गांव के लोगों को उसमें विश्वास है, वह गांववालों को सेवा कर सकता है। इन सारी बातो की उस समय आवश्यकता होती हैं जिस समय पटेल की नियुक्ति की जाती है। आज जो पटेल की संस्था हैं वह राजस्व मंत्रीजी ने आवश्यक बताई है। यदि वे सच्चो बात जानना चाहते है तो मैं उनको इन के संबंध में एक ऐसी लिस्ट दे सकता हूं जिनके संबध में भिन्न भिन्न कोर्ट्स में मामले चलते हैं।

सरकार के पास इस प्रकार के आवेदन-पत्र आये हैं कि इन पटेलों ने गांव के लोगों के साथ किस किस तरह के अन्याय किये हैं और गांवों की शान्ति को भंग किया है। ऐसी स्थिति में यह सोचना आवश्यक है कि उस व्यक्ति का चरित्र कैसा हो, उसको सरकार का रिप्रेजेन्टेटिव मानते हैं। आज-कल पटेलों के पास अधिक रियायत होने के कारण सरकारी अधिकारी उनके पास आते हैं और जैसा कि पहले कहा भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए हैं। तो उनका वास्तविक ज्ञान गांव की पंचायत को होगा कि उसका चरित्र कैसा है, कैसा प्रभाव है, कैसी रेपुटेशन है, उसका राजनैतिक दृष्टिकोण पंचायत को मालूम होगा, उसका सामाजिक दृष्टिकोण, व्यवहारिक दृष्टिकोण पंचायत को मालूम होगा, सारे इन्स एन्ड आउट्स चरित्र के बारे में पंचायत को मालूम होंगे। तो पंचायत उन्हें सर्टिफिकेट देती है सच्चरित्र का या दुष्चरित्र का तो उसके आधार पर नियुक्ति करें। कौन से नियम के आधार पर उसके चरित्र की जांच की जायगी, यह रखा नहीं। जिस प्रकार आज कल पटेलों की संस्था काम कर रही है, उसको सामने रख कर, पटेलों की संस्था को सामने रखते हुए पटेलों की संस्था की ओर देखते हैं तो यह आवश्यक है कि पटेल सच्चरित्र हों, उसकी रेपुटेशन अच्छी हो, किसी राजनैतिक पार्टी को साथ तो नहीं दे रहा है, इन सारी चीजों को सामने रख कर आवश्यक है कि वह पंचायत से सच्चरित्रता का सर्टिफिकेट हासिल करें।

माननीय राजस्व मंत्री इसे यह कह कर न टाल दें कि इन सब चीजों को नियमों में इन्कोर्पोरेट करना है तो यह उचित नहीं होगा क्योंकि इसी प्रकार की चीज विलेज़ सर्वेन्ट के

Page No.62

[श्री भैंरू सिंह]

लिए इसी कानून में लागू की है। तो उनको जो इमिजियेट ऑफीसर हैं उनके लिए भी ऐसी चीज बनायें। मैं समझता हूं कि माननीय राजस्व मंत्रीजी की टालने की आदत है, वह अपनी पहले की आदत को छोड़ कर वे मेरे संशोधन को स्वीकार करेंगे।

श्री श्रीदास गोयलः—माननीय अध्यक्ष, दो माननीय सदस्यों ने अमेंडमेंट रखे क्लाज ४४ के वास्ते जहां तक पहला अमेंडमेंट माननीय सदस्य .....

श्री भैंरूसिंहः—आप विरोध कर रहे हैं या समर्थन ?

श्री श्रीदास गोयलः—आप सुन लीजिये, अभी सब पता चल जायगा, आप धैर्य रखिये। जहां मतों पर पटेल के अपोइन्टमेंट का सवाल है, उसका मैं घोर विरोध करता हूं क्योंकि जैसा अभी माननीय राजस्व मंत्री ने पटेलों की पोजिशन्स का जिक्र किया और ४६ क्लॉज़ को पढ़ कर सुनाया तो इसकी ड्यूटी इस प्रकार की है कि जो पटवारी और सरकार के काम से सम्बन्धित है, तो ऐसी सूरत में सरकार से सम्बन्धित व्यक्ति है तो ऐसा व्यक्ति सरकार द्वारा ही मुकर्रर होना चाहिए। राजस्थान बना तब इस प्रकार की चर्चा चली कि पटेलों को नियुक्त किया जाय या जनता चुने। पर यह तय हुआ कि सरकार का काम करने वाले व्यक्ति का सरकार द्वारा अपोइन्टमेंट करना ही ठीक रहेगा। क्लॉज ४४ इन्कम्प्लीट है। इसको या तो हटा कर ४४ के अन्तर्गत इसमें मिलायें ....

इन्डिपेन्डेन्ट चीज़ रहती है। तो वहां "एनी" शब्द ऐसा है कि ६ महीने बाद एपोइन्टमेंट करें, हालां कि जागीरें रिज्यूम हो रही हैं। तो पुराने पटेलों को बदस्तूर रखने का है। क्या होगा, क्या नहीं होगा यह इन्डिपेन्डेन्ट चीज़ है। ऐसी हालत में जबकि पुराने सब लॉज़ एण्ड रूल्स रिपील किये जा रहे हैं जो इस सम्बन्ध में हैं तो पटेलों के सम्बन्ध में क्या होगा, यह माननीय राजस्व मन्त्रीजी खुलासा करें।

भूतपूर्व रियासतें थीं उनके नियमों को देखें तो साफ है कि जहां मि० एलेग्ज़ेन्डर रेवेन्यु मिनिस्टर थे, उनके समय में नियम बने कि पटेलों की नियुक्ति में उसकी फाइनेन्शियल पोजिशन का खयाल रखना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में उसकी फाइनेन्शियल स्टेटस का जरूर ध्यान रखना चाहिए।

दांता रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने सिक्योरिटी का रखा है, वह ठीक नहीं। वह वहां का बोनाफाइड रेजिडेन्ट है, वहां के लोगों का जाना पहिचाना है; इस पर उसकी फाइनेन्शियल स्टेटस को ध्यान में रखते हुए सिक्योरिटी का रखना अनावश्यक है, ठीक नहीं है। हजारों-लाखों पटेल हैं उनमें से किसी एक-आध के खिलाफ एम्बेज़लमेंट की शिकायत आ गई तो यह कोई खास बात नहीं, यों तो कई ऑफीसर्स के खिलाफ ऐसी शिकायतें आई हैं, एक तहसीलदार ५०००० रुपये लेकर पाकिस्तान भाग गया, उसकी सिक्योरिटी भी थी। इसलिये पटेलों तकर्रूरी के लिये उनका फाइनेन्शियल

[श्री श्रीदास गोयल]

स्टेटस देखना ही जरूरी है। ४४ में दे दिया जाता कि एज्यूकेशन. पटेल मुकर्रर करने के लिये जरूरी है, पटेल पढ़ा लिखा होना चाहिये, इसका कारण है। इस सदन में कई दफा सुनने को मिला कि नायब तहसीलदार, तहसीलदार, एस. डी. ओ. ने सर्कूलर्स जारी किये, जो स्लिपें दी जाने वाली थीं, जिनके पाने के गांव वाले वाकई हकदार थे वे उनको नहीं दी गईं और उन्हें अपनी उस जमीन से जो उनकी थी उससे महरूम रहना पड़ता था, अब स्लिपें देनी शुरू की हैं। पटेल जो गांव का सबसे ज्यादा जिम्मेदार व्यक्ति है, सरकारी काम अंजाम के लिये वह गांव की रीढ़ की हड्डी है, वह रीढ़ की हड्डी ही अगर कमजोर है, अयोग्य है, अनपढ़ है तो हमारी कमर के लिये कतई ठीक साबित नहीं होगा। पटेलों की तकर्रूरी के वक्त में मैंने अक्सर देखा है कि कलेक्टर उन्हें अपने ऑफिस में बुलाकर पूछते हैं कि पढ़े लिखे हो कि नहीं, यह पढ़ो वह पढ़ो, यह लिखो। तो पटेल पढ़ा लिखा होना चाहिये। मेरे माननीय मित्र ने कहना शुरू किया कि बहुत से एम.एल.एज. भी अनपढ़ हैं। मेरी अर्ज यह है कि कोई कमी है तो उसके लिये यह दलील देना कि वह कमी बनी ही रहे, यह कतई ठीक नहीं है। जब संसार प्रगति कर रहा है, दुनियां प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रही है तो पटेलों की यह खामी हटा दी जानी चाहिये। उनके नहीं पढ़ा लिखा होने से गांव के लोगों को कई नुकसान उठाने पड़ते हैं। दांता रामगढ़ से आये हुए माननीय सदस्य ने दलील दी कि तहसीलदार को रिपोर्ट देना उसके जिम्मे है तो गवर्नमेंट के काम में एफिशियेंसी लाने के लिये यह जरूरी है कि वह पढ़ा लिखा होना चाहिये। ४३ में गुंजायश है। इसमें भी यह कवर हो जाता है कि पटेल के लिये रूल्स बनेंगे। माननीय दांता रामगढ़ से आये हुए सदस्य ने कहा, ये चीजें रूल्स से सम्बन्धित हैं, वही इनके लिये एप्रोप्रियेट स्थान है। गवर्नमेंट मानती है कि वह गवर्नमेंट और गांव वालों के बीच में एक बहुत ही इम्पोर्टेन्ट एजेन्सी है, एक जिम्मेदार एजेंसी है; तो वह जरूर योग्य, सच्चरित्र, पढ़ा लिखा होना चाहिये ताकि वह गांवों में उस विचारधारा को पैदा कर सके जो गांवों की राष्ट्रीय उन्नति की दिशा में ले जाने वाली है, गांवों की उन्नति करने वाली है और गांवों को आगे बढ़ाने वाली है। तो मैं यह निवेदन करते हुए कि जो सही सुझाव हैं उन्हें रूल्स में रखने का मा० राजस्व मंत्री आश्वासन दें और जो यहां लिये जाने लायक हैं उन्हें स्वीकार कर लें।

श्री **मोतीलाल चौधरी**-माननीय उपाध्यक्ष, क्लॉज़ ४४ के सम्बन्ध में दो एमेंडमेंट हैं। एक अमेंडमेंट श्री हिम्मतसिंहजी और दूसरा श्री दांता रामगढ़ से आने वाले सदस्य का है। मैं दोनों अमेंडमेंटों का विरोध करता हूं। सबसे पहले मैं श्री हिम्मतसिंहजी के एमेंडमेंट के विषय में कहता हूं जिसमें क्रमशः लम्बरदार और पटेल का प्रश्न है। अगर धारा ४३ में लम्बरदार शब्द रहेगा तो यहां पर भी शब्द लम्बरदार रहेगा और इसका रहना जरूरी है। इसके बाद यह कहा गया है कि ये लोग पोलिटिक्स में भाग लेते है। यह कहना कतई ठीक नहीं होगा। ये लोग सरकार की मदद करने वाले होते हैं। मुझे याद है कि कुछ दिन पहले यह कहा गया था कि आज-कल हर गांव में राजनीति फैल रही है और इस तरह से वहां का वातावरण बनाया गया है कि गांव के दो-दो हिस्से हो गये हैं, गांव के दो-दो हिस्से कैसे किये गये हैं, यह मेरी समझ में नहीं आता। यह कहना की लोगों

[श्री मोतीलाल चौधरी]

को लम्बरदार के स्थान पर मेजोरिटी से चुना जावे, जो लम्बरदार चुना जावेगा वह खिलाफ पार्टी के जो लोग होंगे उनको तंग करेगा और उनको नुकसान पहूंचावेगा; इस प्रकार कहा जाता है। मगर मैं यह कहूंगा कि ऐसी भावना हम जान बूझ कर पैदा कर रहे है, यह कहना अनुचित होगा। गांव में जो इनकी ड्यूटीज़ हैं रेवेन्यू संबन्धी या दूसरे कामों में सम्बन्धी वे सब क्लॉज़ ४६ में साफ दी गई हैं। ऐसी कोई आवश्यकता नही कि उनको मेजोरिटी से चुना जावे। यह कहा जाता है कि जो पार्टी मेजोरिटी में रहेगी वह माइनोरिटी पार्टी वाले लोगों को तंग करने के लिये कोशिश करेगी और तहसीलदार, पटवारी, लम्बरदार हर तरह से तंग करेंगे ताकि वह लम्बरदार के खिलाफ में रहेगा और उसका चुनाव कतई इलेक्शन से नहीं होना चाहिये; यह मेरी भावना है। उसका चुनाव लोकल कस्टम से ही होना चाहिये जेसा इस क्लॉज़ में रखा गया है।

इसके बाद में हेरीडेट्री क्लेम की बात है। यह रखनी चाहिये। लम्बरदार ५ या ७ पीढ़ियों से काम करते आये हैं। उनको इस काम का अनुभव रहता है। मान लें कि एक आदमी का पिता काम करता रहता है। उसका लड़का घर में उस काम को देखता है कि घर में किस तरह से काम चलता है; उसका भी अनुभव हो जाता है और उसके अनुभव से फायदा लिया जा सकता है।

इसके बाद में एक एमेंडमेंट है कि खास कर लम्बरदार शिक्षित होने चाहिए। इस संबन्ध में काफी जोर दिया गया है और मेरे पास बैठे माननीय सदस्य ने भी यह कहा है कि लंबरदार शिक्षित होने चाहिये। माननीय उपाध्यक्ष, इस संबन्ध में मैं यह निवेदन करूंगा कि हर गांव में पढ़े लिखे कितने आदमी मिलेंगे। उनकी यह भावना है कि कानून की चर्चा करने वाले, कानून की जानकारी रखने वाले एम. एल. एज. के बारे में मैंने पहले कहा था और चर्चा भी की थी कि जब यहां पर कानून बनते हैं वहां कानून बनाने वालों को कानून की जानकारी नहीं और पढ़े लिखे भी नहीं तो ऐसी क्या स्थिति है कि लंबरदार पढ़े हुए ही होने चाहिये। गांवों में मेरा तो अनुभव है, जहां तक मैने अभी दो-तीन डिस्ट्रिक्टों में पंचायतों के चुनाव के संबन्ध में दौरा किया है, कह सकता हूं कि पढ़े लिखे आदमी मिलते नहीं और अगर मिलते हैं तो बेइमान मिलते है। अच्छे और इमानदार आदमी मिलते नहीं। गांव में भले आदमी नहीं मिलते। जो पढ़े-लिखे नहीं हैं वे भले और इमानदार होते हैं।

(हंसी)

इसलिए ग्रामीण जनता, जिसका संबन्ध किसानों से होगा, रेवेन्यू से होगा इसलिये यह लगाना कम्पल्सरी नहीं होगा। गांव में आपको बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो मैट्रिक पढ़े लिखे लोगों से ज्यादा समझदार हैं और जिनकी राय उन क्वालीफाइड लोगों से ज्यादा अच्छी और इमानदारी की होती है। वे लोग इमानदार हैं, एक्सपीरियेन्स्ड हैं लेकिन वे पढ़े लिखे नहीं है।

[श्री मोतीलाल चौधरी]

मगर जो उनकी ड्यूटीज़ हैं उनको देखते हुए उनके पढ़े लिखे होने की कोई जरूरत नहीं। उनकी जो भी ड्यूटीज़ होंगी किसी बात को तहसीलदार या पटवारी को कहने की, वह कह देंगे इसमें यह कोई बाधक नहीं होता कि वह पढ़ा-लिखा नहीं है।

("हियर हियर" की आवाज)

एक माननीय सदस्य—मूर्खों की जमात है।

श्री मोतीलाल चौधरी—समझदारों की...(अश्रव्य) माननीय उपाध्यक्ष, दूसरा एमेंडमेंट जो श्री भैंरूसिंहजी ने रखा है कि एक हजार की जमानत होनी चाहिये, इसके लिये प्रोविज़न होना चाहिये। इस सम्बन्ध में मैं इतना ही कहूँगा कि आज तक किसी भी पटेल या चौधरी के रुपये ले जाने का केस नहीं हुआ है और न आपको कोई केस मिलेगा। बल्कि आपको ऐसे केसेज़ मिलेंगे जिनमें सिक्योरिटी के रुपये रखने वाले आदमी भाग गये। तहसीलदार तक भाग गये। आज तक कोई पटेल या चौधरी गवर्नमेंट का रुपया लेकर भाग कर चला गया हो, ऐसा केस नहीं है। उस चौधरी या पटेल की उस गांव में सम्पत्ति है, मकान है, पक्का मकान होगा। उसकी वह सीक्योरिटी होगी। आप उसके बैलों से, उसकी गायों से या मकान से रुपया वसूल कर सकते हैं। वह एक गांव का अच्छा आदमी होगा। अगर वह गांव के ५ हजार या ३ हजार की रेवेन्यू लेकर भाग जावे, यह कहना ठीक नहीं। मैं यह कहूँगा कि यह जमानत की बात इसलिये कही गई है कि सिक्योरिटी किसान लोग नहीं दे सकेंगे और महाजन लोग जमानत दे सकेंगे। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूँ और जिस प्रकार से यह क्लॉज़ है उसको पास कर दिया जावे, इसके लिये सदन से निवेदन करता हूँ।

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय उपाध्यक्ष, जो एमेन्डमेंट पेश किये गये हैं इस सम्बन्ध में मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि जहां तक श्री हिम्मतसिंहजी के एमेन्डमेंट का सम्बन्ध है, बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनको मैं स्वीकार करने में असमर्थ हूँ। पहली बात उन्होंने रखी है कि सब क्लॉज़ ४४ (१) में शब्द लम्बरदार के स्थान पर पटेल कर दिया जावे और (ए) में रखा है कि : "Majority of opinion of the Khatedars of the village, or villages as the case may be." इससे साफ मतलब यह निकलता है कि पटेलों का चुनाव होना चाहिये और वह भी मैजोरिटी के आधार पर होना चाहिये। मैं समझता हूँ कि यह प्रथा बिल्कुल उचित नहीं होगी। अगर इस प्रकार की प्रथा पटेलों के एपोइन्टमेंट में जारी कर दी गई तो गांव-गांव में पार्टीज़ हो जावेंगी और जो व्यक्ति सरकार के काम के लिये उपयोगी हो सकेगा नहीं आ सकेगा। इसलिये जहां तक चुनाव की प्रथा है उसको मैं स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हूँ।

दूसरी बात जो आपने रखी है क्वालिफाइड, डिस्क्वालिफाइड के लिए तो ये ऑलरेडी हैं। जो सुझाव दिये हैं, करेक्टर के, रेपुटेशन के, या एजुकेशन वगैरा के लिए तो मैं यह अर्ज करू

Page No.66

[श्री दामोदरलाल व्यास]

कि सेक्शन ४३ जहां से शुरू होता है आप पढ़ेंगे कि ' Subject to any rules made under this Act......" तो मालूम होगा कि ऐसी पावर्स दी गई हैं। They will be subject to the rules made by the Government.

मैं यह अर्ज करूं कि अपोइन्टमेन्ट के लिए, क्वालिफिकेशन, या डिस्क्वालिफिकेशन, या रेपुटेशन, या सब स्टेन्शियल कल्टीवेटर होने का है, कन्डक्ट की, ये सारे बातें जो हैं वे रूल्स में प्रोवाइड होंगी और जो नम्बरदार इस तरह का होगा वह बनाया जावेगा। अभी अभी माननीय सदस्य ने बताया कि फोर्मर जयपुर स्टेट के रूल्स में था। मैं आपको बताऊं कि अन्य जगहों में जहां रूल्स बने हुए थे वहां भी ऐसा प्रोविजन था, क्या डिस्क्वालिफिकेशन्स है, क्या क्वालिफिकेशन्स हों, उसमें दर्ज है और इसीलिए सेक्शन ४३ में खास तौर पर प्रोविजन रखा है कि "Subject to any rules made by the State Government in this behalf......"

मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि एजुकेशन का जहां तक प्रश्न है मैं इस भावना को महसूस करता हूँ कि जहां तक पटेल पढ़े लिखे हों तो ज्यादा अच्छा है। मगर माननीय सदस्य भूल गए कि राजस्थान के अन्दर पटेलों की जो इन्स्टीट्यूशन है वह बहुत पुरानी है, हेरीडीटरी है, बाप से बेटे तक चले आ रहे हैं और जो मौजूदा पटेल है, अनपढ़ पटेल है गांवों में, उनको अलग करके पटेल नये नियुक्त करना नहीं है लेकिन वे ही बदस्तूर काम करते रहेंगे। अपने गांवों में एजुकेशन कितनी है, कितनी परसेन्ट है यह सब आप जानते हैं और उनके लिए एजुकेशन रख देना, पढे लिखे ही पटेल रखे जांय तो यह ठीक नहीं होगा। हम सब यह कोशिश करते हैं कि शिक्षा गांवों के अन्दर हो, पटेल हैं उनको पढाया जाय, पटेल ऐसे लोग बनाये जांय जो कि पढ़े लिखे हों लेकिन इसके लिए इस प्रकार हार्ड एण्ड फास्ट रूल्स इसमें रख दें कि पढे लिखों को ही पटेल बनाया जाय तो मौजूदा सूरत को देखते हुए ठीक नहीं होगा। मैं यह विश्वास दिलाने की कोशिश करूंगा कि पटेल पढ़े लिखे रखे जावेंगे और जो मौजूदा पढ़े लिखे नहीं हैं उनको शिक्षित बनाया जायगा, लेकिन इस क्लॉज में इसको कि वे क्वालिफाइड हो हीं स्ट्रिक्टली दर्ज करने के लिए तैयार नहीं हूँ मौजूदा हालत में।

जहां तक खातेदारी हक होने का सवाल है रूल्स में प्रोवाइड किया जायगा और किया गया भी है कि "substantial cultivator in a village shall only be appointed as a Lumberdar of the village."

और भी जहां जहां नम्बरदार हैं वे डेफिनेटली इसी प्रिन्सिपल पर बनाए गए हैं।

"That he is a substantial cultivator in the village."

Page No.67

[श्री दामोदरलाल व्यास]

ऐसा नहीं है कि न जमीन है, न घर है उसके पास; ऐसे आदमी को बना दिया बल्कि नम्बरदार उसको बनाया गया जो सबस्टेन्शियली खातेदार था। नियम में प्रोविजन है कि कोई सब स्टेन्शियल खातेदार है, अगर वह दिवालिया हो गया है, उस पर कर्जा ज्यादा हो गया है, उसने जायदाद मुन्तकिल कर दी है तो उसको उसकी प्रिविलेज से निवृत कर दिया जाय। हर जगह यह प्रोवाइड करना ठीक नहीं होगा। सेक्शन ४३ में इसके लिए प्रोविजन कर दिया गया है कि रूल्स बनेंगे और जब रूल्स बनेंगे तो उसमें होगा, देट इम्पलाइज़। क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन की जो बात माननीय सदस्य ने रखी है वे रूल्स में एम्बोडीड हो जावेंगी और उनको यहां सेपरेटली प्रोवाइड करना आवश्यक नहीं प्रतीत होता।

दूसरी बात जो दांतारामगढ़ से आए हुए माननीय सदस्य ने रक्खी है उसके लिए यह अर्ज करना है कि जहां तक पहला प्रोविजो वे एड करना चाहते हैं उसके लिए मैंने पहले ही सेक्शन ४३ के डिस्कशन के वक्त अर्ज किया था कि इस प्रकार की डिस्क्वालिफिकेशन होगी तो वह रूल्स में प्रेस्क्राइब होगी और इसमें दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है। उनको मुगालता हो रहा है कि सेक्शन ४३ में पटेल के लिए जो प्रोविजन रखा है उसमें क्वालिफिकेशन्स या डिस्क्वालिफिकेशन्स हैं और सेक्शन ४८ में विलेज सर्वेन्ट्स हैं उनके लिए नहीं रखा गया है। सेक्शन ४३ में आप देखेंगे कि सब से पहले यह बात रखी है कि "Subject to any rules made by the Government in this behalf."

क्लॉज़ ४८ में वह क्वेश्चन नहीं है, उसमें है "Village servants will be appointed by the Collector according to the orders of the State Government and there is no provision in rules." तो कोई रूल्स जिस तरह का सेक्शन ४३ में है सेक्शन ४८ में नहीं रखे गए हैं। इसकी वजह यह है कि पटेल की इन्स्टीट्यूशन और विलेज सर्वेन्ट्स दोनों में फर्क है। उनके लिए रखा गया है और इनके लिए क्या नहीं रखा गया है इसका कारण यह है कि जहां रूल्स के तहत उनका अपोइन्टमेन्ट है वहां······

श्री भैंरूं सिंह:—इस एक्ट में यदि इस संशोधन को रखते तो क्या दिक्कत आती?

श्री दामोदरलाल व्यास:—मैंने आपको कहा कि यह इन्स्टीट्यूशन पटेलों की है और इतनी पुरानी है कि यह प्रथा हेरिडेटरी चली आ रही है, इसके लिए कोई हार्ड एन्ड फास्ट रूल्स रख देंगे तो बहुत से पटेलों को निकालना पडेगा, और उनकी जगह नयों को अपॉइन्ट करना पडेगा और इसीलिए इस प्रकार इसको इस एक्ट में रखने की जरूरत नहीं है। प्रेक्टिकल क्या उनकी क्वालिफिकेशन्स होनी चाहिए, क्या डिस्क्वालिफिकेशन्स होनी चाहिए ये रूल्स में प्रोवाइड होना चाहिये और सरकार रूल्स में प्रोवाइड करने का ध्यान में रखेगी। । कोई आदमी पागल हो तो वह नहीं रखा जायगा। देट इज़ एफैक्ट कि कोई इडीयट है, पागल है, काम नहीं कर सकता है तो उसके लिए

[श्री दामोदरलाल व्यास]

प्रोविजन है कि उसके लिए गार्जियन मुकर्रर होगा। जब यह हेरिडेटरी है पटेलों की पोस्ट तो यह माना जाता है कि कोई डिस्क्वालिफिकेशन न हो और अगर हो तो वह नहीं रखा जाय। तो माननीय अध्यक्ष, उसके लिए प्रोविजन रखना पड़ेगा "He will remain a Patel under the guardianship or somebody who is competent to perform the duties of a Patel."

इस प्रकार का तो अमेन्डमेन्ट किसी प्रकार स्वीकार नहीं किया जा सकता जब कि हम इस सिद्धान्त को मानते है कि पटेलों की अवधि हेरिडेटरी रहेगी और यह नहीं माना जायगा कि यहां रखा ही नहीं जाय।

श्री भैंरू सिंह (१६)-यह हेरीडेटरी क्या माना गया है, इस पर बतायें।

(विराम)

यह पद हेरिडेटरी क्यों माना जाय ?

(घन्टी)

श्री दामोदर लाल व्यास—प्रोविजन रखा है हमने, क्योंकि यह जरूरी है। जरूरी समझ कर ही रखा है।

तो मैं यह अर्ज करता हूँ कि दो अमेन्डमेन्ट्स माननीय सदस्यों ने पेश किये हैं उनको स्वीकार करने में समर्थ नहीं हूँ। जो भावनायें इन अमेन्डमेंट्स के पीछे हैं अलावा उस चुनाव की भावना के, जो बातें हैं उनसे में सहमत हूँ। रूल्स में होगा जहां तक उनको एम्बोडीड किया जायगा।

राज श्री हिम्मतसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मिनिस्टर महोदय ने अमेन्डमेंट्स के बारे में जवाब दिया, उसके बारे में कुछ कहने की आवश्यकता हुई। यह मैं समझा आपके जवाब से कि आप "पटेल-पटेल" शब्द बार-बार कह रहे हैं, पटेल ज्यादा प्रिय है और बिल में नम्बरदार रखना चाहते हैं, समझ में नहीं आता है कि इतना अन्तर क्यों ?

श्री दामोदरलाल व्यास– मैंने पहले भी अर्ज किया माननीय उपाध्यक्ष, कि 'पटेल' शब्द रखने में हर्ज नहीं है, लेकिन राजस्थान के डिफरेन्ट पार्ट्स में कहीं पटेल हैं, कहीं चौधरी हैं, कहीं मुखिया हैं, कहीं क्या; तो युनिफोर्मिटी रखने के लिए नम्बरदार शब्द एडॉप्ट किया है।

श्री भैंरूसिंह—राजस्थान में "पटेल" शब्द से पुकारा जाता है।

राज श्री हिम्मतसिंह—मैंने तो इसलिये कहा था कि आपकी जुबान पर पटेल शब्द ज्यादा जंचा हुआ है और राजस्थान में पटेलों से डील भी करना पड़ता है, चौधरी-वोधरी कम आता है।

श्री दामोदरलाल व्यास—आगे "नम्बरदार" शब्द यूज़ करूंगा।

श्री लक्षमण हीरात—नम्बरदार या मुखिया नाम रखिये। 'पटेल' शब्द ठीक नहीं है। हमारी जाति में पटेल बहुत होते हैं। इसलिए नम्बरदार या मुखिया दो ही शब्द रखें।

राज श्री हिम्मतसिंह-मुझे आपत्ति उठाने की आवश्यकता यों पड़ गई कि अपोइन्टमेंट्स लम्बरदारों के किस प्रकार होंगे? जहां पर पटेल हैं क्या उनकी जगह लम्बरदारों की नयी नियुक्तियां की जायगी या उन्हें पटेल से लम्बरदार बना दिया जायगा। इसके लिये बिल में किसी प्रकार का प्रोवीजन नहीं है कि जो पटेल बदस्तूर हैं क्या वे उसी प्रकार रहेंगे या उनकी जगह लम्बरदार होंगे?

श्री दामोदरलाल व्यास—जो पटेल हैं वे ही लम्बरदार हो जायेंगे।

राज श्री हिम्मतसिंह—(अपना भाषण जारी रखते हुए) इससे क्या होगा, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होंगे वे यह करेंगे कि इस एक्ट में तो लम्बरदार रखा गया है पटेल का तो नाम ही नहीं है। अतः पटेल को हटाकर नये लम्बरदार नियुक्त करेंगे। इस सम्बन्ध में कोई धारा नहीं कि जो पटेल हैं उन्हीं को लम्बरदार बना दिया जायगा; इसलिये मुझको आपत्ति उठाने की आवश्यकता पड़ गई...

श्री दामोदरलाल व्यास—अगर माननीय सदस्य इसको देखते तो इसमें रिपील का प्रोवीजन दिया हुआ है और जनरल क्लॉजेज़ एक्ट में भी प्रोवीजन है। इस प्रकार की प्रणाली ऑलरेडी वर्क कर रही है कि जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं उनको लम्बरदार मान लिया जायगा।

राज श्री हिम्मतसिंह—(अपना भाषण जारी रखते हुए) दूसरी आपत्ति उठाने की जरूरत इसलिये पड़ी कि इस जगह को हेरीडिटरी जगह माना जाता है। एक तरफ तो आप यह कहते हैं कि वह सरकार का मुलाजिम होगा और दूसरी तरफ आप हेरीडीटरी के अनुसार पटेल मुकर्रर करेंगे। सरकारी मुलाजिम होने पर ही ठीक काम कर सकता है। अगर गांव का चुना हुआ व्यक्ति यदि पटेल गिना जायगा तो वह सरकारी हुक्म की तामील नहीं करेगा। ये दोनों बातें आखिर किस तरह से बैठेंगी? एक तरफ तो आप हेरीडिटरी बनाते हो और दूसरी तरफ कहते हैं कि वह सरकारी मुलाजिम होगा।

आप यदि यह चाहते हैं कि वह गांव के प्रभाव में काम करे और गांव वालों का कहना न माने तो यह कैसे हो सकता है? जब आप पटेलों को हेरीडिटरी बेसिस पर मुकर्रर करने जा रहे हैं तो आप यह भी क्यों नहीं करते; पटवारी, कानूनगो और तहसीलदार भी हेरीडिटरी बेसिस पर ही मुकर्रर किया जाय। यह इस जनतन्त्री जमाने में ज्यादा उपयुक्त है.........

श्री दामोदरलाल व्यास—हैरिडिटरी ही केवल बेसिस नहीं है वरन्;

"Provided he fulfils other qualifications prescribed for the appointment of Patels." Not only one condition but other conditions also.

श्री हिम्मतसिंह-(जारी रखते हुए) तीसरी बात यह कि एज्युकेशन क्वालिफिकेशन का होना भी जरूरी है। जमाना रोशनी का है। इसमें एज्युकेशन को भी मद्दे नगर रखना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि रूल्स जब बनेंगे उसमें ये सब बातें कवर हो जायंगीं। दूसरा, इस बात का भी प्रोवीजन कर दिया जायगा जैसा कि दांता रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा था कि पटेलों की जमानत भी होनी चाहिये, यह भी रूल्स में कवर हो जाना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह —माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मंत्री ने जो उत्तर दिया उस उत्तर को अगर स्वयं राजस्व मंत्री शुरू से आखिर तक पढ़ जायं तो पता चलेगा कि उनका सारा यह बयान सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है।

मैंने अपने संशोधन में यह रखा था कि जितने भी पटेलों की नियुक्ति की जाय, वे फिज़ीकली और मेन्टेली फिट हों। इसके साथ साथ यह भी हो कि चरित्र सम्बन्धी मामलों में सरकारी सेवाओं से अलहदा न किया हुआ हो। इसके उत्तर में माननीय राजस्व मन्त्री ने यह बताया कि हमने एक क्लॉज़ रखा है जिसमें हेरीडिटरी बेसिस पर पटेलों की नियुक्ति करने वाले हैं। अगर हमने क़ानून में इस प्रकार का समावेश कर दिया है तो हम मेन्डेटरी नियुक्ति करने जा रहे हैं; तो वह न्यायोचित नहीं कही जा सकती। एक तरफ तो आप यह कहते हैं कि यह बड़ा आवश्यक है कि इसके लिये नियम बनावें, कानून के मुताबिक ही अपोइन्ट किये जावें। दूसरी तरफ आप हेरीडिटरी अपोइन्ट करने का कहते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास — इस प्रकार की डिसएबिलिटी जिनकी होगी उनके लिये गार्जियन अपोइन्ट किये जायेंगे। इस प्रकार का प्रोवीजन रूल्स में बनाना पड़ेगा। When thay will be disabled, they cannot perform any duty.

श्री भैंरूसिंह—(जारी) यह तो आपको अपना भाषण पढ़ने से ही पता चल सकेगा कि आपने क्या कहा था, लेकिन यह तो मैंने भी सुना है।

एक माननीय सदस्य—यह आपको गलत फहमी है।

श्री भैंरूसिंह—(जारी रखते हुए) मेरा कहने तात्पर्य यह है कि जब आप हेरीडिटरी बेसिस पर पटेलों की नियुक्तियां करते हैंतो उस नियुक्ति का आधार अगर फिजिकली, मेन्टली या चरित्र सम्बन्धी किसी शिकायत के कारण बरखास्त हुआ हो तो उसको पटेल की जगह नियुक्त न किया जाय। अगर इस प्रकार की चीज का समावेश नहीं होता है तो कानून में यह एक प्रकार की कमी रहती है। अपोइन्टिंग ऑथोरिटी को तो नियमानुसार नियुक्ति करने का अधिकार होगा। अगर हेरीडिटरी बेसिस पर नियुक्ति की जायेगी तो हो सकता है कि चाहे कोई अन्धा हो, लूला हो, लंगडा या पागल हो अगर उसका बाप पटेल था तो उसको भी पटेल बनाया जायगा क्योंकि यह हेरीडिटरी चीज़ चली आ रही है; चाहे उसका लड़का लूला हो, लंगडा हो, बहरा हो, वह पटेल हो जायगा।

[श्री भैंरूसिंह]

इसके लिये आपके द्वारा यह कहा गया कि ऐसे व्यक्तियों के लिये गार्जियन अपोइन्ट किये जायेंगे। गार्जियन शब्द का जिस जगह प्रयोग किया गया है वहां इस बात की मन्शा है जो फिजिकली या मेन्टली अनफिट हो गये हों या शरीर से अपंग हो गये हों या किसी प्रकार की डिसक्वालिफिकेशन हो गई हो जिसकी वजह से वह पटेलाई नहीं कर सकता लेकिन चूंकि हेरीडिटरी ऐसा ढंग चलता आया है वह पटेल बना दिया जायगा इस कानून को तहत और पटेलाई का काम करने के लिये गार्जियन मुकर्रर किया जायगा। यह हो सकता है कि लूले लंगड़े से काम करवाने के लिए गार्जियन अपोइन्ट किया जा सकता है किन्तु मान लीजिये कोई बहरा है या पागल है तो उसके लिए किस प्रकार का गार्जियन आप अपोइन्ट करेंगे ? किसी पागल व्यक्ति का पागलपन बढ़ता जाता है तो क्या उसके लिए आपके पास कोई टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं जो उसके पागलपन को दूर कर देंगे। हेरीडिटरी बेसिस पर पटेलों की नियुक्ति करने का चाहे कुछ भी आधार रहा हो किन्तु आज के जमाने में यह नहीं हो सकता। मैं पूछता हूँ कि ऐसे पागल और बहरे व्यक्तियों के लिए गार्जियन का अपोइन्टमेन्ट करने के लिए किस प्रकार नियमों का समावेश होगा...

श्री नाथूराम मिर्धा—आपकी समझ में नहीं आता तो हम क्या करें ?

श्री भैंरोंसिंह— पहले आप मन्त्री महोदय को समझाइये, मेरी समझ में तो आ जायगा।

दूसरा प्रश्न आता है विलेज सर्वेन्ट्स की नियुक्ति का। इसके बारे में कोई दलील नहीं दी गई कानून में। इसको क्यों रखा, इस बारे में माननीय मंत्री ने कोई दलील नहीं दी। पटेलों के लिये तो हार्ड एन्ड फास्ट रूल्स होंगे उनको उन रूल्स को कम्पलाई करना पडेगा। जो नियम बनेंगे वे ऐसे चिकने होंगे कि जिधर से फिसलना चाहें फिसल सकते हैं जिसके अनुसार डिसक्वालिफाइड होने पर भी पटेलों को नियुक्त कर सकते हैं। जब आप दस-दस, बीस-बीस रुपये पाने वाले कर्मचारी के लिये नियम बनाते हैं तो फिर विलेज सर्वेन्ट्स के लिए यह नियम क्यों नहीं लागू करते ? मैं समझता हूँ कि मेरे स्पष्टीकरण के बाद माननीय राजस्व मंत्री मेरी भावना की कद्र करते हुए मेरे संशोधनों को फिर से मंजूर करेंगे।

दूसरा अभी बताया कि पढ़े-लिखों की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने यह अर्ज किया है कि यह इन्फर्मिटी टेम्परेरी होती है इसलिये टेम्परेरी इन्फर्मिटी से किसी को अलग कर दिया जावे, यह तरीका ठीक नहीं होगा। इसलिये यह टेम्परेरी डिसएबिलिटी है। इसी तरह से कई जगह के रूल्स हैं। यह कोई नई बात हम करने जा रहे हैं, यह मैं नहीं कह रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह (१९)—माननीय राजस्व मन्त्री एक बात बार-बार कहकर भ्रम में डाल रहे हैं कि यह सारा का सारा टेम्परेरी अपोइन्टमेंट है। यह इटैलिक्स में जरूर लिखा हुआ है 'and village watchmen to be pubilc servants' और यदि यह कहेंगे कि इसको सिलेक्ट कमेटी ने हटा दिया है तो इसकी रिपोर्ट को देखें तो क्लॉज़ ५८ के बारे में कोई जिक्र उसमें नहीं है। तो यह मानकर चलना पड़ेगा कि वे परमानेन्ट गवर्नमेंट सर्विस में आ रहे हैं। जिनका टेम्परेरी अपोइन्टमेंट होता है उनके लिए ..

श्री दामोदरलाल व्यास—टेम्परेरी अपोइन्टमेंट नहीं है। टेम्परेरी डिसएबिलिटीज़ हैं उनको आप अपोइन्टमेन्ट समझ रहे हैं।

श्री भैरूंसिंह (१९)—अगर कोई आदमी पागल होता है तो पागल के लिए तो हम यह कह सकते हैं कि यह उसकी टेम्परेरी डिसएबिलिटी है, उसको तो बाद में ल्युनेटिक एसाइलम में भेज सकते हैं और वह बाद में दुरुस्त हो जावेगा लेकिन अगर कोई अन्धा हो गया, आंख से नहीं दिखाई देता तो उसके लिए आंख बनाने का कौनसा कारखाना सरकार ने बना रक्खा है। यह तो टेम्परेरी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं कहीं जा सकती। किसी के हाथ नहीं, किसी के पैर नहीं, लूला है, लंगडा है तो (घन्टी) कैसे कहें कि उनकी डिसएबिलिटी टेम्परेरी है और टेम्परेरी आधार पर ऐसी डिसएबिलिटी दूर हो जावेगी। अगर टेम्परेरी हो तो मैं समझता हूं कि उस डिसएबिलिटी को ठीक ढंग से निर्धारित करने के लिए नियम बना दें। पर जो डिसएबिलिटी ऐसी है जिसके लिए टेम्परेरी कहना कतई उपयुक्त नहीं होगा उसके लिए, माननीय अध्यक्ष, मैं निवेदन करता हूं कि कानून में इन चीजों का समावेश करना ही आवश्यक है।

दूसरा है पढ़े लिखे होने के बारे में। मैंने उनके मुंह से यह नहीं सुना कि पढ़े लिखे होना आवश्यक नहीं है, पर वहां भी यह अडचन आई है। हेरेडिटरी पटेल अगर पढ़ा-लिखा नहीं है तो दिक्कत हो सकती है। अगर हैरेडिटरी आधार पर बने हुए हैं तो हम उनके बारे में प्रोवीजन रख सकते हैं। कानून में एक्सेप्शन के जरिये ऐसा कर सकते हैं कि आज जो मौजूदा है वह अगर अनपढ़ भी हैं तो उसे बनाये रखेंगे, पर बाद में नियुक्त जिनको करने वाले हों उनके लिए यह आवश्यक होना चाहिये कि वे पढ़े लिखे हों और वह आवश्यक तभी हो सकता है जब कि इस कानून में इस दृष्टिकोण का समावेश हो। तभी वहां हार्ड एन्ड फास्ट रूल बनेंगे।

इसलिए मैं दुबारा माननीय मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि उनकी भावना के अनुसार वे मेरे संशोधन को स्वीकार कर लें, नियम के भरोसे नहीं रहें वे। पंचायत एक्ट में हम यह सब देख चुके हैं कि किस तरह से उन्होंने विश्वासघात करके पंचायत एक्ट में रूल्स बनाये हैं। अब हम कैसे विश्वास कर लें कि वे आज कोई उससे अच्छे रूल्स बनाने वाले हो गये हैं। कम से कम आज तो ऐसा प्रतीत नहीं होता कि वे भावना की कद्र करते हुए उससे कोई अच्छे रूल्स बनाऐंगे। इसलिए मेरा यही निवेदन है कि आप इसका कानून में समावेश कर लें।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—आप ।(श्री भैरूंसिंह) पंचायतों के बड़े खिलाफ मालूम पड़ते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ ४४ पर श्री हिम्मतसिंह ने प्रस्तुत किया है वह स्वीकार किया जावे ।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४४ पर जो संशोधन श्री भैंरूंसिंह ने प्रस्तुत किया है वह स्वीकार किया जावे ।

(मत-दान के पश्चात्)

ना पक्ष जीता ।

श्री भैंरूंसिंह—नहीं साहब, 'हां' पक्ष जीता ।

श्री खेतसिंह—यों ही...

श्री भैंरूंसिंह—'हां' पक्ष जीता ।

श्री लक्ष्मण हीरात—अरे भाई गिर गया ।

श्री उपाध्यक्ष—'ना' पक्ष जीता । संशोधन अस्वीकार किया गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४४ विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ४४ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

क्लॉज़ ४५

Page No.74

[श्री उपाध्यक्ष]

(अनुपस्थित)

श्री श्यामलाल गोयल

(अल्प विराम के अनन्तर)

श्री हिम्मतसिंह—श्यामलालजी नहीं बोल रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—उनका आगे है। (श्री हिम्मतसिंह से) आप संशोधन रखिये।

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—माननीय उपाध्यक्ष, यह नम्बरदार के रेम्युनरेशन का जो क्लॉज़ है और जो यह बिल है उसके अन्दर यह नहीं बताया गया है कि कितनी रकम उनको मिल जावेगी। इसमें जिक्र नहीं होने से एक अनिश्चित सी बात रह जाती है।

इसलिये मेरे अमेन्डमेंट मूव करने का तात्पर्य यह है कि कोई निश्चित बात इस बारे में होनी चाहिये कि इतना रेम्युनेरेशन तो उसको मिल ही जावेगा। इससे उसको काम करने में स्फूर्ति मिलेगी वह यह समझ कर काम करेगा कि इतना तो मुझे मिलेगा ही। मैंने इसमें यह सुझाव रक्खा है कि पांच परसेन्ट " A Patel shall be paid annually five percent of the amount of the land revenue collected and deposited by him in the Treasury before the end of the agricultural year. "

और मैं यह समझता हूँ कि फाइनेन्स की, गवर्नमेन्ट की आज की हालत को देखते हुए भी यह जरूरी है कि कुछ निश्चित रकम इस बिल में आ जानी चाहिये ताकि पटेल को भी पता पड़े कि उनको क्या मिलेगा और दुनिया को भी मालूम पड़ जावे कि हमारी गवर्नमेन्ट कितनी उदार है और वह पटेल भी फिर बड़ी मेहनत और दिलचस्पी के साथ काम करने को तैयार हो। इसके अभाव में उसको यह अनिश्चितता रहेगी कि गवर्नमेन्ट कब कम या अधिक कर दे यदि रूल में यह चीज़ होगी तो। इसलिये मेरा सुझाव यह है कि इसके लिए रूल में नहीं, बल्कि इस बिल में ही एक निश्चित रकम मुकर्रर होनी चाहिये।

श्री दामोदरलाल व्यास—हमने इस बिल में और भी बहुत से अफसरों की नियुक्तियों का प्रोवीजन रखा है। पर किसी के भी रेम्युनेरेशन का जिक्र नहीं किया है। इसलिए इसको ही स्पेसिफिकली मेन्शन किया जाय यह उचित नहीं प्रतीत होता। जब और सबका प्रोवीजन रूल्स में होगा तो इनका भी होगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को बिल में शामिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री श्रीदास गोयल—(श्री हिम्मतसिंह से) विद्ड्रा कर लें साहब आप।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री हिम्मतसिंह ने प्रस्तुत किया है वह स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४५ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ४५ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ ४६, श्री श्यामलाल गोयल।

श्री श्यामलाल गोयल--माननीय उपाध्यक्ष, क्लॉज़ ४६ में मेरे छोटे छोटे दो संशोधन हैं जिन्हें इस सदन के समक्ष मैं प्रस्तुत करता हूँ। क्लॉज ४६ का सब क्लाँज पहला यह है: " to collect and pay into the State Treasury all sums of money payable by the land holders of the area for which he is appointed on account of revenue or any other State due under any law for the time being in force."

मौजूदा क्लॉज़ जिस हालत में है उससे स्पष्ट है कि जो नम्बरदार होगा उसकी डयूटी में लैण्ड रेवेन्यू का क्लेक्शन और उसको स्टेट ट्रेजरी में पेमेन्ट कर देना उसका फन्क्शन होता है।

आज जो स्थिति हैं उसमें यह है कि यह पटेल का जो फन्क्शन हैं, यह नम्बरदार का जो फन्क्शन है वह सिर्फ लैण्ड होल्डर तक ही महदूद नहीं है पर टीनेन्ट तक भी है। टीनेन्ट का जो रेन्ट होता है वह भी नम्बरदार वसूल करता है और ट्रेज़री में अदायगी करता है। अगर हम इस सब क्लॉज़ (१) में सिर्फ लैंण्ड होल्डर ही शब्द रख देते हैं और टीनेन्सी शब्द को हटा देते हैं तो इसका मतलब यह होगा कि सिर्फ लैण्ड होल्डर से ही रेवेन्यू वसूल की जावेगी। उसका पेमेन्ट ट्रेज़री में किया जावेगा लेकिन अगर टीनेन्ट से रेन्ट वसूल होगा तो उसको स्टेट ट्रेज़री में पेमेन्ट करने के लिए कोई भी जिम्मेदारी इन पटेलों या नम्बर दारों की नहीं होगी।

मैं समझता हूं कि सरकार की यह कतई मन्शा नहीं है। जो आज तक रेन्ट वसूल होता आया है उसको लेकर पटेल स्टेट ट्रेज़री में जमा कराता आया है। तो उसका नाम जो इसमें हटाया गया है वह ठीक नहीं हैं। इसलिये मेरा इस सब क्लाज (ए) में अमेन्डमेन्ट है कि:

[श्री श्यामलाल गोयल]

"(a) In part (i) line two after the word 'landholders' insert the words 'and tenants' and

(b) In line three after the word 'revenue' insert the words 'or rent."

तो 'एन्ड टीनेन्ट व 'ओर रेन्ट' लब्जों को बढ़ाने से जो आज तक के टीनेन्ट्स का रुपया पटेल लोग वसूल करके ट्रेज़री में जमा करते रहे हैं, वह जो अमल है, वह पूरा हो जायगा, वर्ना एक इम्पार्टेन्ट ड्यूटी जो कि लम्बरदारकी हमेशा से रही है, आज तक कर रहा है वह ड्यूटी वह नहीं करेगा और उसके लिए इस एक्ट में प्रोवीज़न जरूरी है।

दूसरा मेरा संशोधन है सब क्लॉज़ (६) में "Delete the words 'collect or' at the beginning of part (ix) of the clause."

पार्ट (६) इसका इस प्रकार है—

"to collect or aid in the collection of all rents; revenue and other demands due from the area for which he is appointed."

यह 'कलेक्ट' शब्द तो पहले ही पार्ट (१) में आ जाता है। उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं हैं, और जो मेरा पहला एमेन्डमेंट है उसका समावेश इसमें भी नहीं आता है। उसका कलेक्शन हो। लेकिन उसको कलेक्ट करके इसमें पेमेन्ट इनटू दी स्टेट टेजरी नहीं है। इसलिए मैं दोनों एमेंडमेंट प्रस्तुत करके माननीय राजस्व मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि ये एमेंडमेन्टस् फौरन मन्जूर कर लिये जाने चाहिए, और इसमें जो एक कमी रह गई है उसको पूरा करें।

श्री उपाध्यक्ष—श्री हिम्मतसिंह।

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ४६ के ऊपर मेरे चार संशोधन हैं। पहला तो 'पटेल' और 'लम्बरदार' का है। उसके ऊपर मैं अमेन्डमेंट मूव नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि यह तो तय है ही कि हमें लम्बरदार ही रखना है।

इसके सब क्लॉज़ (६) पर मेरा एमेन्डमेंट है "In part (i) Delete the words, "or any other State due under any law for the time being in force occurring in third any fourth lines."

इसको मूव करने का मेरा तात्पर्य यह है कि लम्बरदार को बहुधा राज्य की मालगुजारी जमा करने के लिए मुकर्रर किया जाता है। एनी अदर स्टेट ड्यूज़ की रिकवरी का उसके ऊपर भार डालना, यह उसकी जिम्मेवरी के ऊपर ज्यादा बोझ है क्योंकि ज्यादा करके काश्तकारी

Page No.77

[श्री हिम्मतसिंह]

के काम से ही उसका ज्यादा सम्बन्ध रहता है, और उसी तक उसका जो क्षेत्र है वह सीमित है। उससे आगे उसके ऊपर भार डालना उसके ऊपर ज्यादा भार डालना है। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि he should collect and pay into the State Treasury any other State due-- इस बात की जिम्मेवरी डालना जरूरत से ज्यादा उसके ऊपर बोझ डालना होगा। इसलिए यह उसमें से डिलीट कर दिया जाय।

क्लॉज़ ४६ का सब क्लॉज़ (४) है—" to report, and if possible to prevent, encroachments on the public path and roadways in the area for which he is appointed. "

यह एक अधिकतर पंचायत क्षेत्र के अधिकार में आ जाता है और पटेल को ऐसे कामों के अन्दर दखल देने की आवश्यकता नहीं आयेगी। इसलिए पटेल के ऊपर यह जिम्मेवारी डाल देना " to report, and if possible to prevent, encroachments on the public path and roadways in the area for which he is appointed. " यह एक फालतू सा क्लॉज़ इसके अन्दर मुझे नजर आता है। जब पंचायतें ही पॉवर एक्सरसाइज़ कर रही हैं तो पटेल के ऊपर यह क्यों जिम्मेवरी रखी जाय।

क्लॉज़ ४६ के सब क्लॉज़ (५) में यह हैं–Delete the following words and commas:—

' and if possible to prevent, '

यह सब क्लॉज इस प्रकार है :

" (v) to report, and if possible to prevent, encroachments on unoccupied land and village boundaries and the unauthorized cutting of wood from any waste land. "

तो मेरा इसके अन्दर संशोधन यह है कि—" Delete the words. and if possible to prevent, "

यह प्रिवेन्ट करने का फर्ज जो उसके ऊपर रखा गया है तो उसके पास कौन सी सेना है जिससे वह इन बातों को जाकर रोकेगा? तो क्या वह जाकर लड़ाई मोल लेगा किसी से? रिपोर्ट करने का फर्ज़ यह समझ में आने की बात है। लेकिन उसके ऊपर भार डाल दिया जाय तो प्रिवेन्ट करने में बड़े झगड़े पैदा हो जायेंगे, आपस में राग-द्वेष गांव में हो जायगा। उसकी पोजीशन में बड़ा फर्क होने की

Page No.78

[श्री हिम्मतसिंह]

सम्भावना है। इसलिए मैं चाहता हूं कि यह वर्ड 'प्रिवेन्ट' इसके अन्दर से डिलीट कर दिया जाय।

और " रिपोर्ट " के साथ मैं यह चाहता हूँ कि यह एड कर दिया जाय कि रिपोर्ट कहां करेगा, 'at such places and times as may be prescribed by rules made under the Act."

इसके बाबत जब हम इसके रूल्स बनायेंगे तो उन्हीं रूल्स के तहत यह करना है कि उसको इन बातों की रिपोर्ट करना है। यह होना जरूरी है।............

(श्री माधोसिंह भैंसवाड़ा, सभापति, १६.२६ बजे पदासीन)

एक माननीय सदस्य—रावले पधार गये हैं।

(हियर, हियर एवं करतल ध्वनि)

श्री सभापति (श्री माधोसिंह)-Yes. Carry on.

श्री हिम्मतसिंह-(अपना भाषण जारी करते हुए) क्लॉज़ ४६ की सब क्लॉज़ (६) में—

"The words 'to preserve' occurring in the first line be substituted by the following words:-

'to report damage and destruction of.'

यह जो बहुत सारे मार्क्स और स्टेशन के प्रिज़र्व करने की जिम्मेवरी उसके ऊपर रखी गई है, यह मैं नहीं समझता कि लम्बरदार उनको प्रिज़र्व किस तरह से करेगा? क्या हमेशा वहां बैठा रहेगा? उसकी जिम्मेदारी में अगर निगरानी रखेंगे तो ठीक नहीं रहेगा। इसलिए मेरा इसमें सुझाव है, यह सजेस्ट किया है कि " to report damage and destruction of......... "

चेयरमेन महोदय, क्लॉज़ ४६ की सब क्लाज़ (६) के अन्दर मैंने इसी कारण से यह एमेंडमेंट पेश किया है कि वह प्रिज़र्व करने में तो असमर्थ रहेगा लम्बरदार, लेकिन डेमेजेज़ एन्ड डेस्ट्रक्शन के बाबत रिपोर्ट तो वह कर सकता है। सब क्लॉज़ (८) जो है उसको डिलीट करने के लिये मैंने अमेंडमेंट दिया है—

"to report at such places and times as the Collector may fix in this behalf all briths and deaths taking place in the area for which he is appointed."

[श्री हिम्मतसिंह]

यह ड्यूटी तो पंचायत के ऊपर रखी गई है कि पंचायत ऐसी बातों की रिपोर्ट करे, बर्थ्स एण्ड डेथ्स के बारे में या तो इसको डिलीट कर दिया जाय और यदि इसको रखना है तो यह हो सकता है—

"The lambradar shall report to the Panchayat all deaths and births..."

वैसे तो अपना तरीका यह है कि इस तरह की रिपोर्ट चौकीदार दिया करते हैं और पंचायत एक्ट में यह रखा है कि पंचायत इन बातों के लिये रजिस्टर मेन्टेन करेगी। बर्थ्स एन्ड डेथ्स का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। इसकी रिपोर्ट पंचायत के पास पेश होगी या लंबरदार रिपोर्ट करे या चौकीदार करे। जब तक ऐसा नहीं है तब तक पंचायत वर्क नहीं कर सकती और पटेल के लिये दुगुना वर्क हो जाता है। पटेल सभी डेथ्स एंड बर्थ्स की रिपोर्ट करे, यह कहां तक वाजिब है। पंचायत के पास रिपोर्ट करना हो तो और बात है लेकिन तहसीलदार या कलेक्टर के पास जाकर रिपोर्ट कैसे करे?

इसी तरह सब क्लॉज़ (१२) में यह है कि :

"To report the continued absence, sudden disappearance or death of any estate-holder or other person drawing a pension and residing in the area for which he is appointed."

वैसे आपने पटेल या लम्बरदार को, हेरिडेटरी लम्बरदार रखा है। उसकी एज्युकेशन के बाबत खास तवजह नहीं है। जब एजुकेटेड नहीं है, तो पेन्शनरों की फहरिस्त कैसे रखेगा? आपने यह कह तो दिया कि ये पेन्शनर्स तुम्हारे यहां रहते हैं इसलिये तुम्हारा यह फर्ज होगा कि पेन्शनरों की रिपोर्ट करो। यह एक विचित्र बात मालूम होती है।

रहा सवाल एस्टेट होल्डर्स का। इसके बारे में मैं अर्ज करूंगा कि भूतपूर्व कोटा रियासत में एस्टेट होल्डर्स के लिये एक और तरीका था।

(कुछ माननीय सदस्यों में परस्पर वार्ता होने पर)

श्री **सभापति**—(श्री माधोसिंह) I would request the Members not to talk among themselves.

(हियर-हियर-हियर-हियर)

Page No.80

श्री हिम्मतसिंह—(जारी) एस्टेट होल्डर्स की डेथ्स और एबसेन्स की रिपोर्ट करने का सवाल है। मैं नहीं समझता कि एबसेन्स की रिपोर्ट करने की क्या आवश्यकता आ गई ? यदि डेथ्स की रिपोर्ट की जावे तो वाजिब है। लेकिन यदि टेम्पोरेरी तौर पर एब्सेन्ट है तो उसकी रिपोर्ट किया जाना फालतू सा बोझा है लंबरदार पर। डेथ्सके बाबत फिर भी विचार किया जा सकता है। डेथ्स की रिपोर्ट की जावे, उसके लिये तरीका और है। डेथ्स का रजिस्टर मेन्टेन किया जाता है। तहसीलों में और पटवारी के ऊपर इसका बोझ रहता है। जब पटवारी गिरदावर करता है उस समय रेकार्ड करता है कि जो एस्टेट होल्डर्स थे वे जिन्दा हैं या किसी की मृत्यु हो गई, न कि लंबरदार पर यह भार होता है। इसलिये मैंने सुझाव दिया है कि इसका सब क्लॉज (१२) जो है वह फालतू सा ही है।

श्री कपिलदेव--ऑन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, लफ्ज फालतू जो इस्तेमाल किया गया है वह पार्लियामेन्टरी है क्या ?

श्री सभापति (श्री माधोसिंह) : yes.

श्री भैरूं सिंह—क्या यह शब्द कभी कभी अनपार्लियामेन्ट्री भी हो जाता है ?

श्री सभापति—Beg your pardon.

श्री भैरूं सिंह—क्या यह शब्द कभी कभी अनपार्लियामेंटरी भी हो जाता है ?

श्री सभापति—जी नहीं।

(हियर, हियर)

श्री हिम्मतसिंह-(जारी) इसी तरह सब क्लॉज (१५) के बाबत मेरा अमेंडमेंट है कि इसको भी डिलीट किया जावे। कोग्नीजेबल ओफेन्स के बारे में समझता नहीं है पटेल और लंबरदार कि कोग्निजेबल ओफेन्स है क्या। आप उस पर टिकाना चाहते हैं कि वह रिपोर्ट करे तो यह भी जिम्मेदारी उसकी नहीं होनी चाहिये। जब चौकीदार रहता है तो उसकी ड्यूटी है कि इसकी सूचना दे। इसी तरह का भार पंचायतों पर भी रखा गया है कि कोग्नीजेबल ओफेन्स की रिपोर्ट करे। तो मेरे ख्याल से यह सब क्लॉज़ (१५) भी फालतू ही है। फालतू शब्द कहने के लिये आपने अभी इजाजत दी है कि यह अनपार्लियामेन्टरी नहीं है।.........

श्री सभापति—(श्री कपिलदेव को हंसता देख कर) No, Mr. Kapil Deo. सब क्लॉज.................

श्री हिम्मत सिंह—(जारी) :"Insert here : 'to perform such function as may be entrusted to him under this Act.'"

In line 2 insert the word 'him'... × × ×

× × × × ×

×××× श्री अध्यक्ष की आज्ञा से कार्य विवरण में से हटाया गया।

श्री हिम्मतसिंह—(भाषण जारी करते हुए) यह ....

(श्री माधोसिंह, सभापति, का अध्यक्षीय पद छोड कर चले जाना एवं कुछ क्षणों पश्चात्

श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री जवान सिंह--On a point of information, Sir, आधे मिनट का समय ऐसा था कि चेयर पर कोई नहीं था; क्या उस समय सदन को स्थगित समझा जाय ?

श्री हिम्मत सिंह—इस बारे में मेरा यही सुझाव है; मैं उम्मेद करता हूँ कि माननीय राजस्व मन्त्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

श्री भैंरू सिंह—माननीय राजस्व मन्त्रीजी का ध्यान किधर है ?

श्री वेदपाल त्यागी—आपकी किधर दृष्टि थी उस वक्त ?

श्री दामोदर लाल व्यास (राजस्व मंत्री)-दृष्टि किधर ही हो लेकिन दिमाग इधर ही था !

श्री हिम्मत सिंह—मैं अपना अमेन्डमेन्ट मूव कर चुका।

श्री उपाध्यक्ष—श्री एच. के व्यास अपना संशोधन पेश करें।

(अनुपस्थित)

श्री श्याम लाल गोयल

श्री जसवन्त सिंह—He has moved his amendment, Sir

श्री भैंरू सिंह--माननीय उपाध्यक्ष जी, क्लॉज ४६ में मैं निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करता हूँ। क्लॉज़ ४६, पार्ट (२) में मेरा पहला संशोधन है:

"Part (ii) : (1) Delete the words 'death or' occurring in the second and third line,"

मेरा दूसरा संशोधन है:

"Delete the words' to recover and pay.....to perform his duties' at the end.

[श्री भैरूसिंह]

(3) Insert the word 'and' between the comma and the words 'to maintain' in the third line."

माननीय उपाध्यक्ष जी, क्लॉज ४६ के पार्ट (२) को पढ़ने से पता लगता है कि लंबरदार की क्या ड्यूटीज होंगी और भाग (२) के अनुसार उसकी क्या क्या ड्यूटीज हैं। भाग(२) में लिखा है:

"to control and superintend every village servant appointed under the provisions of this Act, to report his death or absence from duty, to maintain him in the possession of land, if any, appertaining to his office, to recover and pay to him any remuneration to which he may be entitled, and to take such steps as may be necessary to compel him to perform his duties."

माननीय उपाध्यक्ष, इस पार्ट का मतलब हुआ कि जितने भी विलेज सर्वेन्ट्स इस कानून के अन्तर्गत बनाये जाने वाले हैं उन विलेज सर्वेन्ट्स की कन्ट्रोलिंग ऑथेरिटी लम्बरदार होगा। उस लम्बरदार को विलेज सर्वेन्ट्स को अपने नियन्त्रण में रखने का अधिकार होगा। वह किन किन बातों का ध्यान रखेगा, विलेज सरवेंन्ट मर गया तो उसके मरने की इत्तला देगा, यह पहला काम है उस लम्बरदार का। यदि मरता है कोई भी आदमी किसी गांव में तो हमने इस धारा ४६ के एक भाग में इस बात को रखा है कि उस लम्बरदार के क्षेत्र में कोई मौत या पैदायश होती है तो उस लम्बरदार का कर्त्तव्य होगा कि जिस स्थान के लिए कलेक्टर आदेश दे, उस स्थान पर मौत या पैदायश की इत्तला देगा। यहां पर हमने पहले विलेज सर्वेन्ट की मौत का जिक्र किया है वह सुपरफ्लुअस चीज होगी।

यदि लम्बरदार की यह ड्यूटी है कि विलेज सर्वेन्ट मरे उसकी सूचना दे। तो मौत और पैदायश की इत्तला देने का दूसरा क्लॉज इसमें रखा है। तो दुबारा इसमें रखना मैं अनावश्यक समझता हूं और केवल मौत की सूचना देने का रखते हैं तो यह बुरा लगता है। इसलिए मेरा संशोधन है कि ·····

"to report his death" or "death or"

यह बीच का सेटेन्स हटा दिया जाय। फिर होगा :

"to repert his absence from duty."

एब्सेंस मौत के जरिये, फरारी के जरिये या और किसी कारण से गैर हाजिर होने के कारण हो सकती है, डेथ के बाद गैर हाजिर होता है वह एब्सेंस में आ जाता है। डेथ के बाद···

[श्री भैंरूसिंह]

"fo report his absence from duty".

इसमें सारी की सारी चीजों का समावेश हो जाता है। इसलिए मेरा पहला संशोधन है कि "death" शब्दों को हटा दिया जाय।

अब मेरा दूसरा संशोधन आता है कि इस क्लॉज़ के इस भाग द्वारा हमने यह व्यवस्था की है कि विलेज सरवेंन्ट को तनख्वाह किस तरह से दी जायगी। विलेज सरवेंन्ट की नियुक्ति के बाद जैसा कि इस कानून में बाद में आने वाला है तनखा देने का तरीका बनाया है, उसके लिए सरकार नियम बनाने का अधिकार प्राप्त करने वाली है। फिर विलेज सर्वेन्ट के लिए तनख्वाह वसूल करके देने का जिम्मा लम्बरदार को दिया है। तो हमें यह सोचना पड़ेगा कि जिस तरह लम्बरदार को तनख्वाह मिलती है उसी तरह विलेज सर्वेन्ट को तनख्वाह मिले तो क्या हर्ज है। लम्बरदार के हाथ में यह अधिकार देते हैं तो इसके कोई बुरे परिणाम होंगे, गडबडियें होंगी। अगर विलेज सर्वेन्ट से लम्बरदार का झगड़ा हो गया तो या तो वह उसकी तनख्वाह वसूल करने में जान-बूझकर डिले करता रहेगा, या एक महीने बाद वसूल करे और एक महीने बाद पेमेंट करेगा। तो हम ऐसे व्यक्ति के हाथ में तनख्वाह देने का अधिकार देंगे तो इस अधिकार का दुरुपयोग होगा। जो व्यवस्था हमने लम्बरदार के लिए की है, या कानून में व्यवस्था कर रहे हैं, उसी प्रकार की व्यवस्था विलेज सर्वेन्ट के लिए करनी चाहिए। पटेल को तनख्वाह देंगे, पटेल रकम देता है उसमें से एक आना या दो आना लेगा, यही तरीका विलेज सर्वेन्ट के लिए रहना चाहिये, यह नहीं कि लम्बरदार वसूल करके उसको तनख्वाह देगा। जब लम्बरदार लगान वसूल करता है और उसमें से अपनी तनख्वाह रख लेगा तो इसी तरह विलेज सर्वेन्ट के लिए रखा जाना चाहिए कि छदाम, एक पैसा या दो पैसे उसको उस वसूली के समय मिल जायं। नम्बरदार को बीच में रखना उचित नहीं। यह नम्बरदार के हाथ में न रखा जाय। आगे लिखा है : "fo take such steps as may be necessary to compel him to perform his duties."

माननीय उपाध्यक्ष, विलेज सर्वेन्ट कौनसा होगा, इसका जिक्र आगे किया है और उसमें हमने लिखा है कि "village watchman or Chowkidar" या होगा विलेज बलाई, या होगा....

"such other village servant as the State Government may from time to time notify in the Rajasthan Gazette."

मेरी समझ में नहीं आता कि राजस्थान सरकार इस प्रथा को दुबारा क्यों बना रही है? राजस्थान के एक मन्त्री द्वारा नहीं, कई मन्त्रियों द्वारा इस बात का प्रचार करते हुए हमने सुना है कि राजस्थान में चौकीदारी प्रथा राजस्थान की परिस्थितियों के प्रतिकूल है। किसी जाति पर बन्धन नहीं होना चाहिये कि गांव की चौकीदारी के काम का जिम्मा लें। इसी नीति के आधार पर जयपुर में जो क्रिमिनल टाइब्स एक्ट था उसको रद्द किया गया। हेबिच्युअल ऑफेन्डर्स बिल जिस समय सदन

[श्री भैरोंसिंह]

में लाया गया तो उस पर चर्चा करते हुए कहा गया कि चौकीदारी प्रथा से जुर्मों की रोक थाम नहीं होती बल्कि चौकीदारों में कम्पीटीशन की भावना पैदा होती है और उनमें कम्पीटिशन होता है। वे लोग देखते हैं कि पुलिस में रिपोर्ट करने के बाद या कानून की शरण लेने के बाद चोरी का पता नहीं चलता है और इसी कारण एक स्थान पर चोरी हो गई है तो उसका बदला लेने के लिये वे दूसरी जगह चोरी करेंगे। हमारे गांव में चोरी हुई और वहां के चौकीदार को कहा गया कि हमारी चोरी का माल ला कर देना पड़ेगा तो आज जो सिलसिला है वह यह है कि चोरी की रिपोर्ट पुलिस में कर देने के बाद चोरी का पता नहीं चलता तो चौकीदार चोरी की रिपोर्ट नहीं करता और दूसरी जगह चोरी करके ले आता है। बीच में बचाव करने वाले कहते हैं कि तुम इस चोरी का माल दे दो और तुम इस चोरी का माल दे दो। तो चौकीदारों का कन्ट्रोल पटेल के हाथ में देते हैं। जिस चौकीदारी को खत्म करने के लिए वर्षों से आवाज उठती आ रही है, उसी चौकीदारी प्रथा को दुबारा बनाने का सरकार कानून बना रही है, यह कहां तक ठीक है। चौकीदारी में जो कानूनी बाधाएं उपस्थित होने वाली हैं वे नहीं रहनी जाहिये।

मैं मानता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री जी इसे रखेंगे। पटेल तो भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए हैं। जिस पटेल का चौकीदार पर हाथ होगा वह भी धीरे धीरे चक्कर में आकर ऐसा हो जायगा कि एक जगह चोरी की और पटेल के पास लाकर रख दी। पटेलों के पास चोरी के माल बरामद होने की हजारों घटनाएं हैं।

यह चौकीदार रखना और उनका पटेल के साथ सम्बन्ध रखना, इस सम्बन्ध का मैं विरोध करता हूं। यदि गांवों में सुरक्षा के लिये, चोरियों को रोकने के लिए प्रबन्ध करना है तो यह राजस्व के अधिकार में नहीं, पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट के अधिकार में होना चाहिए, वही चौकीदारों का प्रबन्ध करेगा।

चौकीदारों और पटेलों का सम्बन्ध रख कर दोनों को एक रखने की जो कोशिश की जा रही है, वह वातावरण के बिल्कुल खिलाफ होगी। इसलिये मैंने दिवेदन किया है कि उनसे जबरदस्ती से काम लेने की स्प्रिट जिसका इस कानून में समावेश है, उसकी जरूरत नहीं। आगे लिखा है :

"and to take such steps as may be necessary to compel him to perform his duties."

अब उसकी ड्यूटि क्या होगी? वह होगी पटेल जो कहे सो करे और पटेल को मदद करे। पटेल उससे किस बात की मदद ले सकता है? पटेल जब तहसीलदार आए तो उनके लिये बिस्तर लाने के लिये कहे या तहसीलदार के लिये खाना लाने के लिये ....

एक माननीय सदस्य—पटवारी।

श्री भैंरूसिंह—ऐसी सूरत में उसको कम्पेल किसी काम को करने के लिये, या जबरदस्ती के अधिकार देते हैं वह क्या माननीय होंगे। सरकार ने लोगों से बेगार समाप्त कर दी मगर फिर भी इस प्रकार कानून बना कर लोगों से बेगार वापिस लेने की पद्धति लाई जा रही है। गांव में बेगारी होगा ही, पटेल होंगे, जब माननीय मंत्री महोदय या कोई नेता जावेंगे तो वे वहां के बृक्षों की टहनियें काट कर उनके स्वागत के लिये बानरवाल बनावेंगे, मीटिंगों के लिये जाजमें और तम्बू लावेंगे। अगर सरकार को उन्हें बेगारी की तरह से ही काम लेना है और बेगार को लेना है तो उन्होंने पहले जो शब्द कहे कि बेगार हटाई जावे और जिनको उन्होंने अब तक जनता के सामने रखा है उनको वापिस ले लें। यह विलेज सर्वेन्ट का काम एक प्रकार से बेगार लेने का ही है और इसमें गांव की सेवा होने की कोई बात नहीं है। यह माननीय मंत्री महोदय के स्वागत, अधिकारियों के स्वागत और भाषण आदि के प्रबन्ध के लिये है। वरना हमने गांव के शासन-व्यवस्था का काम पंचायतों को दिया है। इसलिये इस वक्त इसकी आवश्यकता क्या है? यह आवश्यकता सिर्फ बेगारी के काम को पूरा करने की है। लेकिन सरकार यह कहेगी की जब सेटलमेंट होता है उस समय अमीन जाता है उसके लिये इसकी जरूरत रहती है। पहले भी सेटलमेंट में हमने व्यवस्था की है! मैं यह कहूँगा कि अगर सेटलमेंट में आवश्यकता हो तो वे सर्वेन्ट को रख सकते हैं। मगर विलेज सर्वेन्टस की कोई इसके अलावा ड्यूटी नहीं है कि वह पटेल की मदद करे। पटेल के काम में वह मदद कर नहीं सकता। इसलिये मैं माननीय राजस्व मंत्री से अपील करूंगा कि इस प्रकार से जो बेगार की प्रथा है उसको नष्ट करना चाहिये, न कि बेगार को किसी रूप में वापिस लाने के लिये कोशिश करनी है। मैं मानता हूँ कि हमने उनके लिये कम्पेन्सेशन मुकर्रर कर दिया है कि विलेज सर्वेन्ट को १०० रू० में से १ll रू. देंगे। लेकिन मैं यह कहूँगा कि एक गांव में ५० हजार की वसूली हुई है। एक साल में उसको १०० मिल गये। क्या १०० रू० उसके लिये काफी होंगे? आप उसको मिनिमम वेजेज् एक्ट के मातहत जो यह १०० रु० तनख्वाह दे रहे हैं क्या आपका यह देना वाजिब है। एक तरफ हम यह कह रहे हैं कि छोटे कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़नी चाहिये, बार-बार हम यह कहते हैं कि छोटे कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़नी चाहिये, मगर आप जब इस प्रकार के कानून बनाते हैं तो वह कानून उस भावना के बिल्कुल विपरीत है जिसको आप प्रकट कर रहे हैं। आप एक बलाई को विलेज सर्वेन्ट बना रहे हैं। वह पटेल को मदद करेगा। पटेल जैसा चाहे उससे काम ले। इससे तो बेगार प्रथा को प्रोत्साहन ही मिलेगा। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि ये शब्द इसमें से हटा दिये जाने चाहिये....

" and to take such steps as may be necessary to compel him to perform his duties. " इन शब्दों को हटा दिया जावे या उनको विलेज सर्वेन्ट्स रखने की आवश्यकता ही है तो इसके लिये नियम बनावे कि उनके क्या क्या काम होंगे और अगर वह नियमों का उलंघन करेगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जावेगी। आप इसमें उसे कम्पेल करने का अधिकार देते हैं। वह अपने अधिकारों का दुरूपयोग करेगा।

दूसरा मेरा संशोधन है क्लॉज़ ४६ में पार्ट (४) का :

[श्री भैंरोसिंह]

"Delete the words 'and if possible to prevent' occuring in the first line."

पार्ट (५) में "to report, and if possible to prevent, encroachments on unoccupied land and village boundaries and the unauthorised cutting of wood from any waste land."

इसमें मेरा पहला संशोधन है कि यह शब्द है : "and if possible to prevent" ये शब्द हटा दिये जावें। हमने उनकी क्या ड्यूटीज़ रखी हैं। हमने उनकी यह ड्यूटीज़ रखी हैं कि यदि कोई अनऑकुपाइड लैंड पर अनाधिकार रूप से अधिकार करता है तो उसकी रिपोर्ट करें। गांव की सीमा है, अगर वहां जंगल हैं और वह अनाधिकार रूप से उसको काटने की चेष्टा करता है और लकड़ी काटता है तो वह उसकी रिपोर्ट करे। यह मेरी समझ में नहीं आया कि रिपोर्ट करने का अधिकार है, पटेल जाता है किसी को रोकने के लिए जो जंगल से ज्यादा लकड़ी काटता है। मगर आपको मालूम है उस वक्त उसकी क्या हालत होगी ? क्या कोई उसका कहना मान जावेंगे या नहीं, क्या आप उसको कानूनी अधिकार देते हैं ? अगर आप उसको कानूनी अधिकार भी देते हैं तो आपके शब्द हैं "and if possible to prevent" वह अपना इन्फ्ल्यूएन्स अख्तयार करे और लोगों को कहे कि मैं पटेल हूँ, आप लकड़ी मत काटो; अगर नहीं माने तो वह जबरदस्ती करे। अगर इन्फ्ल्यूएन्स से नहीं मानते तो उसको अपनी ताकत को क्यों नहीं लगाना चाहिये ? यह एक ऐसी चीज़ है जो आपस में लड़ाई पैदा करती है। आपने सुना होगा कि एक पटेल ने लकड़ी काटने से मना किया, उसकी किस तरह की हालत हुई है ? आपने सुना होगा कि उदयपुर में बनेडा स्थान है। उसमें जंगल काटने की बात आई। वहां पर एक नेता को जंगल काटने का परमिट दिया गया। उन्होंने परमिट से उपर लकड़ी काटनी शुरू की। उनको ५०० मन लकड़ी काटने का परमिट था। जब वे लकड़ी काट रहे थे उस समय उनको पटेल ने कहा कि इससे ज्यादा लकड़ी आप नहीं काट सकते। जब उसने उन नेता को कहा तो उन्होंने उसको धमकाया और उस बेचारे की शिकायत की। आज उसको शिकायत करने के लिए 'लेने के देने' पड़ गये। उस बेचारे की कौन सुनता ? अगर यही नेता की जगह कोई दूसरा होता तो उसका थाने में चालान होता। मगर नेता के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। उन्होंने ५०० मन के परमिट के बजाय २००० मन लकड़ी काटी और बाजार में बेच दी। एक सिन्धी की दुकान पर बेच कर उन्होंने दस्तखत कर दिये। उसके बाद में तहक़ीकात हुई और चोरी सिद्ध हो गई। पटेल की रिपोर्ट सिद्ध हो गई कि ५०० मन के बजाय २००० मन लकड़ी काटी है। लेकिन पटेल की रिपोर्ट पर किसी ने विश्वास नहीं किया। वे नेता इस सदन के एक सदस्य थे।

कुं श्री जसवन्तसिंह—आप बार बार नेता का जिक्र कर रहे हैं, मगर नाम नहीं ले रहे हैं। पहला तो यह कि सदन के सदस्य क्या इस प्रकार का काम कर सकते हैं और अगर इस प्रकार का करते हैं तो उनका नाम आपको खुले आम लेना चाहिये।

श्री भैरूंसिंह—(वि. सं. १६) मैं उनका नाम बाद में लूंगा। १५०० मन चोरी से लकड़ी ले गये, उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाता। इस सम्बन्ध में चोरी के मामले की रिपोर्ट थाने में की। इसकी जांच होने के बजाय यह फाइनल रिपोर्ट दे दी कि पटेल ने झूंठी रिपोर्ट की। उनका चालान नहीं हुआ।

श्री लक्ष्मण हीरात—आप उनका नाम बताने की कृपा करें।

श्री भैंरूसिंह—वे बनेडा से आने वाले आपके ही भाई है जिनका नाम है श्री किस्तूर चन्दजी। यदि कोई दूसरा चोरी करता तो उसका चालान आज तक कभी का हो गया होता। चोरी स्वतः सिद्ध होने के बाद तो कुछ होना चाहिए मगर कुछ नहीं हुआ। यह न्याय होता है या अन्याय (घंटी) लेकिन माननीय सदस्य जिन्होंने चोरी की, सदन के सदस्य होने के कारण उनको छोड़ें, तो मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि जब पटेल की रिपोर्ट पर एतबार करते हैं और उस पर इस ढंग से सोचते हैं, पटेल की इतनी कदर है और अगर सरकार कोई मान्यता नहीं देती है कि किसी पटेल को, किसी नम्बरदार को अधिकार दें तो यह उचित नहीं होगा। मेरा संशोधन यह था कि " to report. and if possible to pervent " ये शब्द हटा दिये जांय। वरना किसी नेता से लड़ाई होगी तो मुश्किल, किसी से शारीरिक लड़ाई होगी तो मुश्किल।

दूसरा मेरा अमेन्डमेन्ट है कि "encroachments on unoccupied land" अनऑकुपाइड के साथ साथ "unoccupied and pasture land" एड किया जाय यह मेरा संशोधन है। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट बना। ऑकुपाइड और अन ऑकुपाइड दो तरह की जमीन मानी और यह भी रखा कि ऑकुपाइड और अन ऑकोपाइड के अलावा जो दूसरी जमीन होगी वह भी अन ऑकुपाइड होगी, लेकिन वह पाश्चर लैंड कहलावेगी। आज-कल एक नयी मनोवृत्ति बनी है, एक नया तरीका बना है भूमि-हीन किसानों को भूमि देने का कि जितनी चारागाह, पाश्चर लैंड हैं उन पर कब्जा कर दिया जाय। सरकार प्रोटेक्शन देती है। आपने देखा होगा कि राजस्थान के अन्दर जितनी पाश्चर भूमि थी उस पर धीरे धीरे लोगों ने कब्जा कर लिया, भूमि-हीन किसानों को भूमि दिलाने के नाम पर। सरकार की मर्जी है। लेकिन यही नीति रही तो आज पशुधन का जो विनाश हो रहा है चरागाह की जमीन न होने के कारण उससे भविष्य में राजस्थान को भारी आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ेगा। और उस चीज़ को रोकने के लिए मैंने यह संशोधन रखा है कि "unoccupied" के बाद "unoccupied and pasture land" यह उसमें शामिल हो जाय। उस पर कब्जा करना होगा तो उसकी सूचना सम्बन्धित अधिकारी को वह फोरन देगा। आगे " village boundries and unauthorised cutting of wood from any waste land" है।

अब इसमें जिस प्रकार का यह क्लॉज़ है उसके द्वारा होता यह है कि पटेल को सूचना देनी पड़ेगी कि "unauthorised cutting of wood from any waste land"; किसी भी पड़त जमीन से यदि कोई अनाधिकार पूर्ण चेष्टा से यदि कोई दरख्त काटता हो तो वह सूचना देगा। मेरा इसमें ऐसा संशोधन है कि "from any waste land" इन शब्दों को हटा दिया जाय।

[श्री भैरोंसिंह]

इसका मतलब यह होगा कि अनाधिकारपूर्ण चेष्टा से कोई दरख्त काटेगा तो उसकी सूचना पटेल सरकार के अधिकारियों को देगा और वह आवश्यक है। टिनेन्सी एक्ट में काश्तकारों को अधिकार दिया गया है। वे पेड़ों कोडोमेस्टिक पर्पज़ के लिए तथा कृषि से सम्बन्धित कार्यों के लिए काट सकते हैं। यदि आवश्यकता समझे तो तहसीलदार से या सम्बन्धित अधिकारियों से उन दोनों कामों के अलावा पेड़ काटने की आवश्यकता समझे तो लाइसेन्स हासिल कर पेड़ काट सकता है। लेकिन अधिकार लेने के बाद जिनके लिए अधिकार नहीं है, जिस जमीन से पेड़ काटने का अधिकार नहीं है यदि वहां से कोई पेड़ काटता है तो उसके लिए पटेल द्वारा सरकार के अधिकारियों को सूचना दी जाय। पड़त जमीन में से पेड न काटें। यदि मेरा संशोधन मंजूर कर लिया जाता है तो अनाधिकार पूर्ण चेष्टा से जो आज पड़त जमीन में से पेड काट लिये जाते हैं वे नहीं काटे जा सकेंगे, चाहे जिस पड़त जमीन में से या अन्य प्रकार के जो पाश्चर लैंड्स हैं उनमें से पेड नहीं काटे जा सकेंगे और अगर काटे जाते हैं तो उसके लिए सरकार को सूचना दें।

अब भाग (८) में मेरा यह संशोधन है।

"Insert the words 'the local Panehayat or Municipality, as the case may be, and where such Municipality or Panchayat does not exist' between the words 'as' and 'the' in the first line."

माननीय उपाध्यक्ष, इस भाग ८ के मातहत हमने पटेल को यह ड्यूटी निर्धारित की है कि कलेक्टर जिस स्थान के लिए आदेश दे उस स्थान के ऊपर, वहां उस क्षेत्र में जो पैदायश हुई है या मौत हुई है उसकी सूचना दे। माननीय राजस्व मंत्रीजी शायद इस बात के लिए रजामन्द होंगे कि हमने स्पष्टतया पंचायतों को ऐसे आंकड़े बनाने के अधिकार दिये हैं और पंचायतों के अनिवार्य कर्त्तव्य में इस चीज़ को शामिल किया है। इसमें अब यह हो सकता है कि कलेक्टर यह आदेश दे दे कि तुम्हें सूचना पंचायत को करनी चाहिये। इस दृष्टि से कि कलेक्टर को आदेश देने की आवश्यकता न पड़े इसलिए मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है कि मौत या पैदायश की सूचना पटेल सम्बन्धित पंचायत है तो संबंधित पंचायत को या म्युनिसिपल टाउन है तो उसको दे। तो उसका मतलब यह होगा कि कलेक्टर को दुबारा आदेश जारी नहीं करना पड़ेगा, आदेश देने में भूल हो सकती है लेकिन आदेश देने में देर भी हो सकती है, इसलिए कानून में जहां इसकी आवश्यकता है वहां इसको रख दिया जाय ताकि पटेल स्थानीय पंचायत को सूचना देगा। अगर पंचायत होगी तो और अगर पंचायत नहीं होगी और म्युनिसिपल टाउन होगा तो वहां सूचना देगा। लेकिन जहां दोनों ही नहीं हैं उसके लिए कलेक्टर जैसा आदेश देगा उसका पालन करते हुए जहां वह कहेगा वहां सूचना देगा। इन सारी चीजों से पंचायतें जो आंकड़े बनाने वाली हैं उनको सुविधा रहेगी और कलेक्टर के कार्य में भी सुविधा होगी, उसको आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि दुबारा आदेश दे। इसलिए भाग ८ में मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है।

[श्री भैरों सिंह]

अब पार्ट ६ में मेरा यह संशोधन है :

"Insert the words 'persons of' between the words 'from' and 'the' occurring in line 2."

The part reads:-

"to collect or aid in the collection of all rents, revenue and other demands due form the area for which he is appointed."

मेरा संशोधन यह है कि 'ड्यू फ्रोम दी एरिया' के बजाय 'due form the persons of that area' यह संशोधन यहां कर दिया जाय। वैसे हम यह मान सकते हैं कि लगान आदमियों में बाकी होता है, क्षेत्रों में नहीं। क्षेत्र के किसी व्यक्ति में लगान बाकी रह सकता है। क्षेत्र से वसूल करने का जो नियम बनाया है वह असंगत है। उस क्षेत्र में रहने वाला कोई व्यक्ति है और यदि उसमें लगान बाकी है तो उससे वसूल किया जाय न कि क्षेत्र से। इसलिए मैंने रखा है कि "form the area" के बजाय "form the persons of that area" उस क्षेत्र में रहने वाले जितने व्यक्ति हैं और उनमें से कोई आदमी है और उसमें लगान बाकी है तो पटेल उसको वसूल करने में मदद देगा। "from the area" वह ठीक मनोवृत्ति का द्योतक नहीं है। हमें व्यक्तियों से वसूल करना है न कि एरिया से। इसी दृष्टि कोण से मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है।

अब माननीय उपाध्यक्ष, भाग (१२) में मेरा एक संशोधन है कि "Delete the comma and the words' sudden disappearance' from the first line."

भाग (१२) में यह लिखा है कि "to report to the continued absence, sudden disapperance or death of any estate holder or other person drawing a pension and residing in the area for which he is appointed.

मेरा इसमें संशोधन है कि "sudden disapperance" शब्द हटा दिये जायं। "Sudden disappearance" के हटाने से यह क्लॉज़ इस तरह से पढ़ा जावेगा। " to report the continued absence or death of any estate-holder. " एबसेन्स के अन्दर 'सड्डन डिस्एपियरियेन्स' अपने आप शामिल है। अगर सड्डन डिस्एपीयरियेन्स के नाम पर कोई आदमी आज किसी कारण से कलकत्ता चला गया वह एस्टेट होल्डर कितने दिनों में आयगा या नहीं आयगा, उसकी सूचना पटेल को देनी पड़ेगी। सड्डन डिस्एपीयरियेन्स होगा क्यों किसी चीज का सड्डन डिस्एपीयरियेन्स ? सड्डन डिस्एपीयरियेन्स यह होगा कि पंचायत को

[श्री भैरोंसिंह]

नम्बरदार को आने वाला इत्तला देकर जाय और जल्दी जल्दीमें भाग जायंतो इस चीज़का यहांस मावेश करना पड़ेगा । इस प्रकार की व्यवस्था क्यों हो ? इस प्रकार का प्रतिबन्ध उस जाने वाले पर क्यों लगाया जाय, इस प्रकार का बोझा उस पर क्यों डाला जाय ? उसको अधिकार है कि किसी समय जावे । तो किसी आदमी पर इस प्रकार का बोझा डालना कि वह जावे तो पूछकर जावे और जल्दी में कोई आदमी चला गया तो उस जाने वाले एस्टेट होल्डर की वह सूचना देगा । उसको जाने की किसी समय जरूरत हो सकती है, पता नहीं कि किसी काम से वह चला गया, अचानक चला गया तो वह पटेल सूचना देगा कि फलां एस्टेट होल्डर अचानक चला गया ।

इस प्रकार की सूचना पटेल दे । मुझे केवल आपति एक बात से है और वह यह है कि सरकार इन नियमों का उल्लंघन करने वाले को हटा सकती है । इस प्रकार के अधिकार सरकार ने अपने हाथ में ले लिये । जिससे यह होगा कि मामूली सी बात परव ह हटा सकती है । कितने ही एस्टेट होल्डर ऐसे भी हो सकते हैं जो पटेलों से नाराज हों, वे यदि कहीं बाहर चले जाते हैं और पटेल को सूचना नहीं देते हैं पटेल उनके इशारे पर काम नहीं करता तो उस वक्त क्या होगा ? मान लीजिये किसी गांव के पांच आदमी कलकत्ता चले गये और इत्तला नहीं दी । इत्तला देने का कोई कानून नहीं, अगर सूचना दिये बगैर कोई चला गया तो बेचारे पटेल को तो यह पता नहीं चल सकेगा । उसको आप इस गलती पर बरखास्त कर सकते हैं । नियम बनायें उसमें इतनी लूप होल है, जिस तरह से सरकार चाहे, कलेक्टर चाहे या सब डिविजनल ऑफिसर चाहे उसी तरह से पटेल को बरखास्त कर सकते हैं । यह उनकी मरजी पर सर्विस रही ।

इसलिये मेरा यह निवेदन है कि इसमें से 'सड्डन डिसएपीरियेन्स, शब्द हटा दिये जायं । मान लीजिये किसी पटेल पर किसी की नाराजी होगई और कोई एस्टेट होल्डर भाग गया और सूचना नहीं दी तो उसको बरखास्त किया जास कता है । इस मामूली से मामली बात पर सख्त एक्शन ले सकते हैं । यह शब्द एब्सेन्ट से ही काम चल सकता है । यहां सड्डन डिसएपीएरेन्स हटाया जा सकता है । कन्टीन्यूअस एबसेन्टी में सारी चीज का समावेश हो जाता है ।

ऐसा तो कोई कायदा नहीं जिसके मुताबिक एस्टेट होल्डरको यह सूचना देनेकी आवश्यकता हो कि वह बाहर जा रहा है । इसमें जिस प्रकार की भावना है उसके अनुसार आप एस्टेट होल्डर पर तो किसी प्रकार का कन्ट्रोल नहीं रख सकते । वह इत्तला देकर जाने के लिये बाध्य नहीं । अगर इस प्रकार का कोई कानून भी बन जाता है तो भी वह न्याय संगत नहीं होगा । पटेलों को हटाने के लिये यह कारण एक प्रकार से मन चाहे ढंग से काममें लिया जायगा । इसलिये सड्डन डिसएपीरियेन्स जो शब्द हैं वे हटा दिये जांय । इन सारे संशोधनों को प्रस्तुत करते हुए माननीय राजस्व मंत्री से अपील करुंगा कि मैंने जो अपने संशोधन प्रस्तुत किये हैं वे सारे के सारे संशोधन उचित हैं । मेरे संशोधन में यदि वर्डिंग की किसी प्रकार की दिक्कत महसूस होती हो तो मेरी भावनाओं का ध्यान रखते हुए

[श्री भैरोंसिंह]

उन शब्दों का समावेश किया जा सकता है। इसके साथ साथ मैं माननीय राजस्व मंत्री से दुबारा अनुरोध करूंगा की इस पर गंभीरता से विचार किया जाय। अपनी पुरानी बातों और भाषणों को याद करें और अपने सिद्धान्तों को याद करें। यह सारा का सारा क्लॉज़ संशोधित रुप में स्वीकार कर लें, यह उपयुक्त चीज़ होगी।

श्री माधोसिंह के सभापति पद ग्रहण करने पर असंसदीय वार्ता कार्य-विवरण में से हटाने सम्बन्धी वाद-विवाद

कुं० श्री जसवन्तसिंह—ऑन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, माननीय उपाध्यक्ष, मैं एक निवेदन आपसे करना चाहता हूँ। अभी आप किसी कार्यवश यहां से बाहर पधारे थे। उस समय पेनल ऑफ चेयरमेन में से एक माननीय सदस्य इस आसन को ग्रहण किये हुए थे। उस वक्त कुछ डायलॉग सदन के मेम्बरों के साथ ऐसा हुआ जो शोभनीय नहीं कहा जा सकता। अपनी प्रोसीडिंग बाहर जायगी इसलिये वे शब्द इस डायलॉग में थे, जो चार-पांच सेन्टेन्सेज़ आये हैं उनको मैं चाहता हूँ आप एक्सपन्ज करने के लिये आज्ञा दें।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—वे कौन से वर्ड्स् हैं?

कुं० श्री जसवन्तसिंह—एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि आप मेरी तरफ आखें टक टक क्यों कर रहे हैं। इस प्रकार के शब्द चेयर के लिये प्रयोग करना उचित नहीं था।

एक ओब्जेक्शन जो राइटली उठाया गया उसमें भी चेयर के लिये यह कहा गया कि चेयर की तरफ से माननीय सदस्यों के लिये ये शब्द प्रयोग नहीं किये जांय।

तीसरा जब एक मंत्री महोदय बातें कर रहे थे उस समय चेयर से यह कहा गया कि बातें नहीं करें।

ऐसे ऐसे कुछ सेन्टेन्सेज़ है जो चेयर की तरफ से हो गये हैं; बाहर जाने पर वे अच्छे नहीं दिखाई दे सकते। इसलिये मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि वे शब्द एक्सपन्ज कर दिये जांय।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—माननीय उपाध्यक्ष, जो कुछ हुआ है वह सही हुआ है; उसको एक्सपन्ज करने की जरूरत नहीं।

श्री मथुरादास माथुर—लीडर ऑफ ऑपोज़ीशन की तरफ से जो बातें कही गईं, वे बातें ठीक है; ऐसे शब्दों को एक्सपन्ज किया जाय।

श्री वेदपाल त्यागी—I think चेयर से जो कार्यवाही हुई है, अगर हम उसे एक्सपन्ज कराते रहे तो यह हाउस की प्रतिष्ठा कहां रहेगी ?

श्री भैंरूसिंह (वि. से. १६)—इस बात की भी जांच कराई जाय कि चेयरमेन ने आखें टक टक की थी या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष—ऐसी कोई बात होगी जो एक्सपन्ज करने लायक है तो वे सब स्पीकर साहब के सामने रख दी जावेंगी।

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मन्त्री)—We have no objection, if the remarks are expunged.

श्री उपाध्यक्ष—The Speaker will look into whatever is worth objectionable and that part will be removed.

श्री कस्तूरचन्द का श्री भैंरोंसिंह द्वारा लगाये गये आरोपों का स्पष्टीकरण

श्री कस्तूरचन्द—माननीय उपाध्यक्ष, पर्सनल एक्स्प्लेनेशन के तौर पर कुछ अर्ज करना चाहता हूं। मेरे लायक दोस्त जो दांता रामगढ़ से आये हैं उन्होंने मुझ पर झूठे आरोप लगाये हैं, उनका मैं स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ४६ पर बोलते हुए माननीय लायक दोस्त श्री भैंरोंसिंहजी साहब ने मुझ पर झूठे आरोप लगाकर सदन में अपनी मनगढ़न्त कहानी बनाकर सुनाई है। उसके लिये मैं माननीय साथी से प्रार्थना करूंगा कि वे जानकारी करके यदि मेरे बारे में कुछ बातें करते और हाउस को बताते तो मैं उनका आभारी होता। मगर उन्होंने जो रवैया बना रखा है उसके लिये मैं मेवाड़ की एक कहावत जो मशहूर है कि एक कान्या नाई था, वह राजा की हजामत महल में बनाने जाया करता था। तो उसने राजा के तीन कान देखे तो उसने राजा से कहा कि आपके तीन कान हैं। राजा ने उससे कहा यह बात तुम किसी को मत कहना। यह बात उसके पेट में टिकी नहीं। उसने किसी आदमी से तो नहीं कहा किन्तु एक रूखड़े (पौधे) को जाकर यह कह दिया। इस तरह से उसको जो बात कहने का आफरा चढ़ गया था तो वह आफरा इस तरह से उतर गया। इसी प्रकार माननीय सदस्य को भी इस प्रकार का आफरा रहता है। उस आफरे को निकालने के लिये वे झूठी और अनर्गल बातें सदन में कहते हैं और एक दूसरे के खिलाफ चार्ज लगाते हैं।

श्री भैंरूसिंह—आपके खिलाफ मुकदमा बना है या नहीं ?

श्री कस्तूरचन्द—(अपना भाषण जारी रखते हुए) या तो इस प्रकार की बातों के लिये राष्ट्रदूत मशहूर है राजस्थान में और सदन में हमारे माननीय मित्र श्री भैरूंसिंहजी हैं, जिन्होंने अपना रवैया ही यही बना रखा है; एक तरह से हाउस को खिलौना समझ रखा है।

[श्री कस्तूरचन्द]

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे बारे में जो बातें कही गई हैं उनका मैं स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ। मैंने ५०० मन लकड़ी माननीय जंगलात मंत्री से स्वीकृति लेकर परमिट हासिल किया और ५०० मन लकड़ी ली। मैंने उन लकड़ियों की कीमत बाजार भाव से सरकार को चुकाई है। उसके बाद में जब वह मेरी मिल्कियत हो चुकी तो मुझे अधिकार था कि मैं उस लकड़ी का चाहे जो कुछ करूं। मैंने उन लकड़ियों को बेचकर, जब कि मुझे मकान बनाने के लिये चूने की आवश्यकता थी उससे चूना खरीदा और वह चूना मकान बनाने के काम में लिया। मैंने उससे किसी प्रकार का फायदा नहीं उठाया। मैंने जो ५०० मन लकड़ी ली उसका जनसंघियों ने झूठा प्रचार किया कि इन्होंने तो १२०० मन लकड़ी काट ली। इस प्रकार की झूठी दरख्वास्तें भी अदालतों में दी गई। मेरे ऊपर किसी प्रकार का मुकद्दमा नहीं चला। दरख्वास्त जो देते हैं उनके ऊपर सरकार अपनी कार्यवाही करती है। मैं आपको यह साफ बताना चाहता हूँ कि मुझ पर इस संबन्ध में कोई मुकद्दमा नहीं चला। जो भी दरख्वास्तें इस प्रकार की दी गई हैं वे सब झूठी साबित हुई हैं। इसकी अच्छी तरह से इन्क्वायरी हो चुकी, मुझे २५ गाड़ी लकड़ी मिली है। मैंने २५ गाड़ी के सिवाय २६ वीं गाड़ी तक नहीं ली। यह जो मुझ पर झूठा आरोप लगाया गया है वह बिल्कुल सफेद झूठ है और गलत है।

श्री भैरोंसिंह (१६)—क्या यह सही नहीं है कि फोरेस्ट डिपार्टमेंट की ही यह रिपोर्ट थी कि १११८ मन लकड़ी ले जाई गई है। किसी जनसंघी की रिपोर्ट नहीं थी, बल्कि फोरेस्ट डिपार्टमेंट की ही रिपोर्ट पर कार्यवाही की गई।

श्री किस्तूरचन्द—बिलकुल गलत है, सफेद झूठ है। फोरेस्ट डिपार्टमेंट ने कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं दी।

राजस्थान भू-राजस्व विधेयक, १९५४ (अग्रेतर खण्डश विचार-विमर्श)

श्री उपाध्यक्ष—श्री नाथूराम मिर्धा।

श्री नाथूराम मिर्धा—मेरा जो संशोधन है वह एक बहुत फोर्मल नेचर का है और वह सिर्फ भाषा को ठीक करने की दृष्टि से रखा गया है, इस क्लाज़ ४२ के सब क्लॉज़ (६) में जो भाषा को थोड़ा ठीक करने का दृष्टिकोण है।

अभी जो भाषा है वह यह है:

"to preserve such stations and marks, erected in the area for which is is appointed by the surveyori of Government, as may be mane over to his Iare."

[श्री नाथूराम मिर्धा]

यह जरा भाषा ठीक नहीं होने की वजह से जो इसका मतलब हम निकालना चाहते हैं कि नम्बरदार की यह भी ड्यूटी कि जिस इलाके में वह मुकर्रर किया गया है उसमें गवर्नमेंट के सर्वे विभाग की तरफ से जो मार्क किए गये हैं उन्हें प्रिजर्व करना। इससे कुछ दिक्कत आती है, अतः मैं चाहता हूं कि इसकी भाषा इस प्रकार कर दी जावे।

"to preserve in the area for which he is appointed, such stations and marks erected by the surveyors of Government as may be made over to him."

यह मेरा छोटा सा संशोधन है और मेरे खयाल से यह कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है और आशा है इसको स्वीकार कर लिया जावेगा।

श्री उपाध्यक्ष—श्री चांदमल मेहता।

श्री चांदमल मेहता—Mr. Deputy Speaker, Sir, I beg to move the following amendment to clause 46:--

"Substitue 'tehsildar' for 'collector' in part (iii)

Substitute 'tehsildar' for 'collector' in part (viii)"

Another amendment is that fresh clause 46A be added as under:--

"46A. (1) Subject to rules made under this Act, the Sub-Divisional Officer may on the application of any landholder or of his own motion remove ae lambardar or lamdardar gumasta from office:--

(a) for bad character or gross misconduct; or

(b) for neglect or improper discharge of the duties imposed on him under this Act or under any other enactment for the time being in force; or

(c) for negligent or improper exercise of his powers under section 46 of this Act.

(2) The Sub-Divisional Officer may also suspend a lambardar or lambardar gumasta against whom proceedings for removal have begun and the tehsildar may appoint any landholder to perform the duties of a lambardar or lambardar gumasta, as the case may be, until the proceedings of removal have been completed.

Page No.95

[श्री चांदमल मेहता]

Provided that no person shall be so appointed who is a minor, or is unfitted by any mental or bodily infirmity to perform the duties of the office or is a female who is unable to perform such duties."

उपाध्यक्ष महोदय, अब ४६ ए का नया क्लॉज़ प्रोपोज़ करना चाहता हूं। ४६ ए पर मेरा अमेन्डमेन्ट और एक नया क्लॉज़ और जोडने पर मेरा अमेन्डमेन्ट..

श्री उपाध्यक्ष—यह बाद में लिया जावेगा।

श्री चांदमल मेहता—४६ का जो पार्ट ३ है वह इस तरह है :

"to furnish reports regarding the agricultural conditions of the area for which he is appointed at such places and times as the Collector may fix in this behalf." यहां पार्ट तीन में क्लेक्टर शब्द इस्तेमाल किया गया है। इसमें तहसीलदार करने का मेरा संशोधन है। इस धारा के माफिक एग्रीकल्चर कन्डीशन की रिपोर्ट उस टाइम पर आनी चाहिये कि जिसके बारे में कलेक्टर निश्चित करे। मेरा इस सम्बन्ध में निवेदन है कि इस जगह कलेक्टर के स्थान पर तहसीलदार किया जावे। नम्बरदार तहसीलदार के सीधा मातहत होता है। इस दृष्टि से नम्बरदार जो रिपोर्ट दे वह तहसीलदार के आदेश के माफिक होनी चाहिये। यदि उसे क्लेक्टर आदेश देता है तो कोई आदेश उसका सीधा नम्बरदार के नाम पर नहीं होगा, बल्कि तहसीलदार के नाम पर होगा। तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार ही ठीक रहेगा। फिर कलेक्टर का समय निश्चित करने का अधिकार भी कहीं जाता नहीं है। अगर कभी वह चाहे कि समय वह निश्चित करे तो अपने सबोर्डिनेट्स के कामों को करने का अधिकार ऑलरेडी उसको है। उसका अधिकार कहीं जाता नहीं है क्योंकि हमने इसमें एक ऐसी धारा रख छोड़ी है कि क्लेक्टर को अपने मातहत के अधिकार भी होते हैं। इसलिये मेरा यह संशोधन स्वीकार कर लिया जाना चाहिये।

इसी तरह का दूसरा जो मेरा संशोधन उप धारा ८ में है वह इस प्रकार है। "to report at such places and times as the Collector may fix in this behalf all births and deaths taking place in the area for which he is appointed."

यहां भी जहां क्लेक्टर शब्द है उसके स्थान पर तहसीलदार के लिए मैंने निवेदन किया है और इसके बारे में मेरी वही वजूहातें हैं जो उपधारा (३) के बारे में आई हैं क्योंकि क्लेक्टर के पास में कोई भी इत्तला जाती है तो वह कन्सोलिडेट होकर जाती है, उस तहसील के सम्बन्ध में तहसीलदार के मार्फत। इसलिये तहसीलदार समय निश्चित कर दे। इसलिये पहले उपधारा (३) में जो मैंने निवेदन किया कि क्लेक्टर को भी अधिकार रह जाता है तो वही बात इसमें भी है उसके अधिकार में, इसमें भी कमी नहीं आई है।

Page No.96

[श्री चांदमल मेहता]

अब ४६ को भी मूव कर सकता हूं या वक्त हो गया इसलिये यहीं छोड दूं माननीय उपाध्यक्ष ?

एक **माननीय सदस्य**—समय हो गया है साहब अब तो ।

श्री चांदमल मेहता--वह तो ऐसा है कि अगर मन्त्रीजी मानने की स्थिति में हों तो कोई दिक्कत नहीं आएगी । मैं बहुत थोड़े से समय में निवेदन कर दूंगा । फिर इस ४६ ए को भी मानना ही पड़ेगा, यह मैं मानता हूं । मन्त्रीजी को इसे मानना पड़ेगा यह मैं कह सकता हूं ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सारे बिल में एक बहुत बड़ी कमी है । इसमें हमने यह व्यवस्था तो कर दी है कि नम्बरदार की नियुक्ति कैसे हो । पर वह नम्बरदार हटाया जा सकता है या नहीं और अगर हटाया जावेगा तो कौन हटावेगा ? इस कमी की पूर्ति करने की दृष्टि से मैंने इसमें एक नई धारा जोड़कर यह निवेदन किया है कि एस. डी. ओ. एक नम्बरदार को हटा सकता है और किन कारणों से हटाना चाहिये वह भी मैंने इसमें दर्ज किया है ।

(घंटी)

श्री उपाध्यक्ष—यह बाद में लिया जावेगा । चूंकि समय हो गया है अतः सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती है कल साढ़े आठ बजे सुबह तक के लिये ।

(सदन की कार्यवाही साढे बारह बजे, कल दिनांक १२ अक्टूबर, १९५५ के प्रातः साढ़े आठ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक–११ अक्टूबर, १९५५

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा ।

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या ३०० का उत्तर देखिये)

ख. तालिका, निम्नलिखित १४ पुस्तकों की।

१ सरल विज्ञान कक्षा ६
२ सरल विज्ञान कक्षा ७
३ सरल विज्ञान कक्षा ८
४ सामान्य विज्ञान कक्षा ६
५ सामान्य विज्ञान कक्षा ७
६ सामान्य विज्ञान कक्षा ८
७ इतिहास तथा नागरिक शिक्षा
८ संगीत चन्द्रिका भाग १ कक्षा ६
९ संगीत चन्द्रिका भाग २ कक्षा ७
१० संगीत चन्द्रिका भाग ३ कक्षा ८
११ चित्रकला भाग १ कक्षा ६
१२ चित्रकला भाग २ कक्षा ७
१३ चित्रकला भाग ३ कक्षा ८
१४ अंग्रेजी कक्षा ६

घ. निम्नांकित पुस्तकों के खिलाफ गत वर्ष शिकायतें होने पर भी इस वर्ष इनकी पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया :

१ फ्रन्टियर पब्लिकेशन, जयपुर
२ युनिवर्सिटी बुक हाउस, जयपुर
३ बीकानेर प्रकाशन गृह, बीकानेर
४ शिक्षा पुस्तक मन्दिर, जयपुर
५ प्रभात प्रकाशन मंदिर, जयपुर ।
६ राजस्थान पब्लिशिंग सिन्डीकेट, जयपुर ।
७ किताब घर, किशनपोल बाजार, जयपुर ।
८ इण्डियन प्रेस लि०, इलाहाबाद ।
९ सूरज बलराम सहानी एन्ड सन्स, दिल्ली ।
१० हंसराज खन्ना एन्ड ब्रदर्स, दिल्ली ।
११ भूतंडा ब्रदर्स, जोधपुर ।
१२ वर्धमान पुस्तक भंडार, आगरा ।

१३ साहित्य सदन, देहली।
१४ शिवलाल एन्ड कंपनी लि० आगरा।
१५ किताब घर, कोट गेट, बीकानेर।
१६ शिक्षा पुस्तक भवन, इलाहाबाद।
१७ गुलाबसिंह एन्ड संस, देहली।
१८ मूलराज एन्ड संस, देहली।
१९ पीताम्बर बुक डिपो, देहली।
२० किशोरी शरण अग्रवाल, जयपुर।

परिशिष्ट २

(वे तारांकित प्रश्नोत्तर जो कि सम्बन्धित प्रश्नकर्ताओं की अनुपस्थिति के कारण सदन की मेज पर रखे गये तथा जिनके प्रकाशित कराने की सम्बन्धित मंत्री महोदयों की अनुमति है।)

३०४. (१०४। सी. एम.) श्री धरमचन्द एम. एल. ए. डिविजन नम्बर ३६ :– क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:-

(क) ग्राम हसामपुर, जिला सीकर के मिडिल स्कूल में कितने छात्र हैं ?

(ख) यह मिडिल स्कूल कितने वर्षों से चालू है ?

(ग) इस स्कूल में हसामपुर ग्राम के कितने छात्र पढ़ते है ?

(घ) क्या यह सही है कि इस स्कूल को हाई स्कूल बनाने की सूची में लिया गया था ?

(ङ) यदि हां, तो क्या यह सही है कि इस ग्राम की जनता ने उनके निजी व्यय से हाई स्कूल की बिल्डिंग बनवाई है ?

(च) क्या यह सही है कि स्कूल बिल्डिंग के अलावा हसामपुर की जनता ने १० हजार रुपया देने का वचन दिया था और दस हजार का बाउन्ड मजिस्ट्रेट से तसदीक कराके इन्सपेक्टर सीकर के पास भी भेजा है ?

(छ) यदि हां, तो क्या यह सही है कि ३-९-५५ को हसामपुर के बजाय दो मील के फासले पर दाब्य नांगल की ढाणी नामक गांव में हाई स्कूल खोला गया है ?

(ज) यदि हां, तो इस ग्राम में कितने घर हैं व इस गांव की जन संख्या क्या है ?

(झ) जिस स्थान पर हाई स्कूल खोला गया है वहां पर इस समय कितने छात्र हैं और उक्त गांव के कितने छात्र पढ़ते हैं ?

(ज) क्या स्कूल बिल्डिंग हसामपुर व इस बिल्डिंग में कोई अन्तर है ?

(ट) क्या भविष्य में सरकार हसामपुर स्कूल को हाई स्कूल बनाने का विचार रखती है ?

उत्तर

क. १६२ छात्र हैं।

ख. ६ साल से।

ग. इसके उत्तर के लिये समय की आवश्यकता है।

घ. जी नहीं।

ङ. इसकी जानकारी सरकार को नहीं है।

च. जी हां। परन्तु बोर्ड १८.८.५५ को पहुंचा जब कि छाजा का नागल में हाई स्कूल खुल चुका था।

छ. तारीख ३. ६. ५५ को नहीं, बल्कि १७. ८. ५५ को। यह हाई स्कूल हसामपुर के बजाय नहीं बनाया गया।

ज. जन संख्या हसामपुर २१२७ — जन संख्या छाजों का नागल १६७

झ. छात्र संख्या छाजा का नागल
कक्षा ६ से ८ तक छात्र ६८
कक्षा ६ वी में १७ छात्र

छात्र संख्या हसामपुर
कक्षा ६ से ८ तक ८१ छात्र

य. छाजा का नागल का स्कूल भवन पूर्ण है जब कि हसामपुर स्कूल भवन अपूर्ण है।

ट. जी नहीं।

306. (**44/R.M.**) **Shri H.K. Vyas. M.L.A.** (*Division No.* 160):-Will the **Minister for Revenue** be pleased to state.--

(a) Is the Government aware that the Patta Committee, Laxmangarh Tehsil District Alwer has allotted evacuee land to persons other than landless tenants ?

(b) Is it a fact that the Tehsil Kisan Sabha has made specific complaints giving names and details about this ?

(c) Has any enquiry been made ? If so, what action has been taken ?

उत्तर

(अ) तहसील कमेटी लक्ष्मनगढ़ ने कुछ एवेक्यू जमीन अलॉट की है । आया वह लेन्डलेस टिनेट के अलावा और किसी की है, यह अभी नहीं कहा जा सकता ।

(ब) इसके बाबत एक पेम्फलेट किसान सभा ने निकाला है ।

(स) तहसीलदार इसकी बाबत तहकीकात कर रहा है ।

प्रश्न

३०६.९८/आर. एम. श्री गुरदयालसिंह संधु, एम.एल.ए., डिविजन नम्बर ४६:- क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:-

(क) जिला गंगानगर की तहसील पदमपुर, रायसिंह नगर, अनूपगढ़, करनपुर और गंगानगर के कुछ गांवों में आराजी काश्त की कमेटी पर किन २ सदस्यों को नियुक्त किया गया था ?

(ख) क्या यह सच है कि उन सदस्यों को समय पर उस कमेटी में शामिल होने की इत्तला नहीं दी गई व प्रोग्राम भी ऐसा बनाया गया कि सदस्य हर जगह पर पहुंच नहीं सकते थे ?

(ग) यदि यह सच है तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में जांच कराने के लिये तैयार है ?

उत्तर

क. आर जीरकाश्त पर जमीन देने के लिये निम्नलिखित सदस्यों को नियुक्त किया गया :

(१) एस. डी. ओ.

(२) तहसीलदार

(३) सरपंच

(४) एम. एल. ए.

ख. जी नहीं ।

ग. हर तहसील में जमीन वितरण एक साथ हो रहा था क्योंकि जमीन जल्दी तकसीम करने के बाबत सिंचाई विभाग को बहुत तकाजा था । तहसीलदार व पंच हल्का व सरपंच हर जगह मौजूद थे । यह मुमकीन है कि एम. एल. ए. साहिब किसी स्थान पर न पहुँच सके हों ।

ग. यदि कोई खास मामला जांच करने के लायक सरकार के समक्ष रखा जावेगा तो जांच कराली जावेगी।

310. (105/C.M.) Shri Raja Man Singh M. L. A., (Division No. 97):-Will the Chief Minister be pleased to state—

How many Political sufferers have been given financial and other kind of help by the Rajasthan Government ?

उत्तर

Thirteen-

315. (40/C. I. M.) Shri Sajjan Singh, M. L. A., (Division No. 132):-Will the Minister for Scheduled Castes and Scheduled Tribes he pleased to state—

(a) How much money has been spent by the Rajasthan Government for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the States annually till the year 1955-56.

उत्तर

प्रथम पंचवर्षीय योजना में अनुसूचित जन जाति एवम् अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए सन् ५१ से वर्तमान वर्ष तक ५८१७४५२, २२८३६३७ धन-राशि स्वीकृत हुई थी, जिसके विरूद्ध व्यय का वार्षिक विवरण निम्न प्रकार है ;

क्रम संख्या	वर्ष	अनुसूचित जन जाति	अनुसूचित जाति	योग
१	२	३	४	५
१.	१९५१,५२	५,६५,८८४	७८,७३७	६,४४,६२१
२.	१९५२,५३	८,३९,०७३	१,८३,४०९	१०,२२,४८२
३.	१९५३,५४	८,२२,५३२	२,२७,०८८	१०,४९,६२०
४.	१९५४,५५	१३,१८,६३८	५,४३,०८५	१८,६१,७२३
५.	१९५५,५६ मास अगस्त तक	१,११,१५८	६९,८३८	१,८०,९९६
	योग	३६,५७,२८५	११,०२,१५७	४७,५९,४४२

स्मरण रहे, इस व्यय में राजस्थान सरकार तथा केन्द्रीय सहायता से स्वीकृत अनुदान सम्मिलित हैं। अनुसूचित जन जाति तथा अनुसूचित सेवा के विकास के लिए संविधान की धारा २७५ के अन्तर्गत विशेष प्रावधान देने की नीति हैं

३२२. (२५। एफ. एम.) श्री तेजपाल, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर १५२— क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगेः—

(क) कुम्हेर तहसील की गऊशाला वाली जमीन ६०० बीघा किन लोगों को और कितनी २ काश्त पर दी गई है ?

(ख) इनमें से कितने किसान भूमि-हीन हैं ?

(ग) इनके परिवार के दूसरे लोगों के पास कितनी २ जमीन है ?

(घ) क्या ये सब सम्मिलित परिवार के रूप में रहते हैं और क्या दूसरे भूमिहीनों को भूमि न देकर इनको देने में सरकारी कर्मचारियों ने पक्षपात से काम लिया ?

(ड) यदि हां, तो सरकार इनको किस प्रकार जमीन देगी ?

(च) क्या यह बात ठीक है कि यह जमीन कुम्हेर तहसील के काश्तकारों को न देकर नियम विरुद्ध तहसील के बाहर के किसानों को दी गई है ?

उत्तर

(क) कुम्हेर तहसील की गऊशाला वाली ६४८ बीघा जमीन ३ साल के पट्टे पर तहसील कमेटी में ११६ काश्तकारों को अलॉट की है।

(ख) जिनको यह जमीन अलॉट की है उसकी सूची संलग्न है।

(ग) तहसील कमेटी ने तस्दीक करके कि यह अलग अलग रहते हैं, जमीन अलॉट की है।

(घ) इसकी सूची अभी उपलब्ध नहीं हुई।

(ङ) जमीन पट्टा कमेटी ने दी है और इसके बाबत अभी कोई ऐसी खास शिकायत पेश नहीं हुई कि जिससे यह प्रतीत हो सके कि पक्षपात किया गया।

(च) यदि कोई पक्षपात की खास शिकायत पेश की जावेगी तो उसको जैसी जरूरत होगी ठीक कर दिया जावेगा।

(छ) जमीन पट्टा कमेटी की तस्दीक के बाद सब तहसील कुम्हेर के काश्तकारों को ही दिया जाना बताया जाता है।

(सूची उपलब्ध नहीं हुई)

परिशिष्ट ३

(कृपया प्रश्न संख्या ३२८ का उत्तर देखिये)

लिस्ट प्रश्न संख्या (क) से सम्बन्धित ।

१ उधा पुत्र जीवन
२ पुरा पुत्र सालिगा
३ झोटा पुत्र जीवन
४ रामु पुत्र पैमा
५ कृष्ण पुत्र नानिगा
६ बिरधा पुत्र हरबक्स
७ भुरा पुत्र गनेश
८ ग्याना पुत्र गोपाल
९ दयाराम पुत्र लक्ष्मीराम
१० घीसा पुत्र पांचु
११ हरदेव पुत्र भोमा
१२ सुजा पुत्र भोमा
१३ भुरा पुत्र उधा
१४ लाल पुत्र हरदेव
१५ सालिगा पुत्र हरबक्स
१६ जालिया पुत्र भुरा
१७ रोडु पुत्र हरबक्स
१८ हुक्मा पुत्र लक्ष्मण
१९ दयाराम पुत्र लक्ष्मण
२० सरमान पुत्र त्रिलोक
२१ छोटू पुत्र रामचन्द्र
२२ लाला पुत्र हरदेव
२३ घीसा पुत्र पांचु
२४ चन्दा पुत्र सुजा
२५ पुरा पुत्र बिरधा
२६ गयाना पुत्र कृष्णा
२७ हुक्मा पुत्र सरमान
२८ नानदा
२९ बिरधा पुत्र हरबक्स

लिस्ट प्रश्न (ग) से सम्बन्धित

नाम	रु.	आ.	पा.
१	२		
१ गुलजी वल्द विरधा धोबी	१३६८		
२ काना वल्द देवा धोबी	४००		
३ नाथे खां साहना	१२०६		
४ स्वरूप नारायण पुत्र हूँदी लाल पूर्बीया	३५६		
५ खोसदार नारायण ब्राह्मण	२१७८		
६ पूरा बेटा कजोड़ पूर्विया	६२२		
७ प्रताप पुत्र रोधू कोली	१३२		
८ कल्याण पुत्र नारायण माली	२६६		
९ केशरा पुत्र गोपी माली	१३२		

Page No.104

क्र०सं.	१	२	
१०	केशरा पुत्र गोपी माली	१८१	
११	भीमा पुत्र महादेव धोबी	२३७	
१२	काना पुत्र देवा धोबी	१२६	
१३	सोनाथ पुत्र नानगा	१०७६	
१४	फूल्या बेटा भीमा गूजर	६७४	
१५	लाला पुत्र धन्या रेगर	४१८	
१६	जगन्नाथ बलाई	१३६	
१७	मांग्या बेटा किशन्या चमार	४८३	
१८	मांगू बेटा जीवन्या खारगी	२५८	१२
१६	बलदेव बेटा हीरा खटीक	६६	८
२०	जीवन्या पुत्र चन्दा खटीक	४६८	१२
२१	भवाना पुत्र गणेश कोली	४५	
२२	राधेश्याम पुत्र कालूराम खटीक	४५३	
२३	मन्ना पुत्र रामकंवार डाकोत	२७३	१२
२४	कन्हैयालाल डाकोत	१२८	१२
२५	गोपी पुत्र जगन्नाथ भादभूजा	६८१	
२६	अला बन्दा पुत्र झूंथा लुहार	१२६०	१२
२७	हरदयाल दास चेला नरसिंहदास	४६५	
२८	चूना पुत्र समदार खां मेवाती	८८	४
२६	बसीर खां पुत्र नाजीर खां	५६१	८
३०	नूर मोहमद पुत्र अली मोहम्मद	२३२	१२
३१	अला बक्स पुत्र अमीर	१४८	८
३२	अला बक्स पुत्र अमीर	४०	८
३३	अहमद खां पुत्र रहीम	५६	८
३४	रमजा बक्स पुत्र सूजा खटेरा	५६३	४
३५	रहमान जोजे दासेन मनियार	३२१	
३६	मौलू पुत्र भादुला पिनारा	४२	१२
३७	चांदी बेवा अबदूला मेवाती	१३५	
३८	नारायण पुत्र गोवर्धन माली	२६३	४
३६	भौंरी पुत्र गोवर्धन माली	३०६	१२
४०	सूजा पुत्र सुन्दर माली	१६२	१२
४१	छोटीलाल महादेव माली	१३५	
४२	केशरा पुत्र जगन्नाथ माली	१६८	४
		१८१०१	

क. सं.	१	२		
४३	भूरा पुत्र उदा माली आफ बुद्ध सिंह	११३०		
४४	पूरा पुत्र सालगराम मीना	११३०		
४५	भौरा पुत्र हरबक्स मीना	१२३३		
४६	नन्दा पुत्र काना मीना गिटोर	१००		
४७	छोटू पुत्र रामचन्द्र मीना घाटी	१६७३		
४८	जैला पुत्र भूरा मीना गिटोर	२८६	८	
४९	रोदू पुत्र हरबक्स मीना	४६५		
५०	हुकमा पुत्र लक्षमण मीना गिटोर	४०५		
५१	छोटू पुत्र रामचन्द्र मीना	५०		
५२	घीसा पुत्र पांचू मीना घाटी	६९	८	
५३	चदा पुत्र चूना	१३		
५४	पूरा पुत्र सालग मीना बुद्धसिंह पुरा	२७	१३	६
५५	बोरा पुत्र हरबक्सा मीना बुद्धसिंह पुरा	२७	१३	६
५६	ग्याना पुत्र गोपाल बुद्धसिंह पुरा	४	४	६
५७	किशना पुत्र नानग मीमान बुद्धसिंहपुरा	४	४	६
५८	हुकमा पुत्र लच्छीराम गिटोर	१७		
५९	भूरा पुत्र नन्दा मीना	११०	१२	
६०	झूंथा पुत्र जीवना मीना	६३	६	
६१	पूरा पुत्र सालगराम मीना	२२६	४	
६२	ग्याना पुत्र गोपाल मीना	१२८	२	
६३	किशना पुत्र नानग मिना बुद्धसिंहपुरा	५४	१०	
६४	बिरदा पुत्र हरल्या मीना, बुद्ध सिंहपुरा	१८८	१०	
६५	मोती पुत्र मन्ना कुम्हार,	१३७	१४	
६६	भौरा पुत्र घासी जाट बुद्धसिंहपुरा	११७	२	
६७	रघुनाथ पुत्र नानगराम बगरा, बुद्धसिंहपुरा	१०७	२	
६८	जयनारायन पुत्र चिड़ाराम माली, मनोहरपुरा	१४६	१४	
		८९२९	६	
६९	तुलसा पुत्र पन्ना कोली	२२००		
७०	राधा पुत्र नान्या माली	२२८		
७१	भुरा पुत्र नारायन माली	२५८	१२	
७२	किशना पुत्र बाबू माली-	८५	८	
		२७७४	१२	

Page No.106

१	२	
७३ स्वरूप नारायन पुरोहित सीकर, सूरजमल मुकत्यार को	९३१	
७४ देवीराम पुत्र धन्नालाल गूजर	२००	
	११३१	
७५ काना पुत्र बक्सा से सांगानेर गांव में ली हुई जमीन के मुआवजे की रकम जमा करा दी गई और फिर उसको दे दी गई	१९८	
कुल योग	३११०३	१३

उपरोक्त धनराशि के अतिरिक्त २२१५) निम्न लिखित तीन किसानों को बांट दिए गए। यह धनराशि वृक्षों के मुआवजे के लिए दी गई।

दिनांक			
२२-३-५२	रघुनाथ	१२३६	)
	गुल्या	१०२	) १४७६-१०-९
	मांग्या	१३८ १० ९	)
११-९-५२	गुला	५१	)
	मांग्या	६९ ५ ३	) १२० ५
८-११-५२	रघुनाथ	६१८	) ६१८
			२२१५